SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का उत्तर प्रदेश में खनन और अवैध खनन का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव पर प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या–9

(निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का उत्तर प्रदेश में खनन और अवैध खनन का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-9

विषयसूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii – x
अध्याय–1: परिचय		
परिचय	1.1	1
खनिज संसाधनों के शासन और प्रबंधन के लिये रूपरेखा	1.2	2
खनन नीति 2017	1.3	2
विभाग के कार्य	1.4	3
संगठनात्मक ढांचा	1.5	3
खनन प्राप्तियों के रुझान	1.6	4
खनिज प्राप्तियों के विभागीय आंकड़ों का वित्त लेखे से मिलान न होना	1.7	6
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.8	7
लेखापरीक्षा मानदंड	1.9	7
लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली	1.10	8
नमूनाकरण विधि	1.11	9
इस प्रतिवेदन की विषयवस्तु	1.12	9
आभार	1.13	9
अभिलेख/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई	1.14	10
अध्याय–2: खनिज परिहार की स्वीकृति		
परिचय	2.1	11
पुलों के निकट खनन पट्टों का आवंटन	2.2	11
गलत भू–निर्देशांक का अनुमोदन	2.3	14
सीमा स्तम्भों का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाना	2.4	15
प्रतिभूति जमा राशि और रायल्टी की पहली किश्त शासकीय खाते में विलम्ब से जमा होना	2.5	16
पट्टा विलेख के निष्पादन में विलम्ब पर प्रतिभूति राशि और रायल्टी की पहली किश्त का जब्त न किया जाना	2.6	17
खनन पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	2.7	17
पट्टा धारकों से वित्तीय आश्वासन नहीं/कम लिया जाना	2.8	18
बिना भंडारण लाइसेंस के स्टोन क्रशर इकाइयों का संचालन	2.9	19
वार्षिक खनन योग्य मात्रा में कमी के कारण राजस्व की हानि	2.10	20
प्रमाणित भण्डार में विसंगति से अवैध खनन के जोखिम का संकेत मिलना	2.11	21
निष्कर्ष	2.12	21
अध्याय–3: राजस्व का उद्ग्रहण एवं संग्रहण		
परिचय	3.1	23
रायल्टी और जि०ख०फा०ट्र० अंशदान	3.2	24
ईंट भठ्ठों से राजस्व के उद्ग्रहण एवं संग्रहण में अनियमितताएं	3.3	24
वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनिज प्राप्तियों से एमएसटीसी सेवा शुल्क की कटौती	3.4	26

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रतिभूति जमा लोक लेखे के बजाय समेकित निधि में जमा किया जाना	3.5	27
मुख्य एवं उप खनिजों से प्राप्तियों का पृथक–पृथक लेखांकन न किया जाना	3.6	28
रायल्टी/विनियमन शुल्क का जमा किया जाना	3.7	28
खनन योजना विलम्ब से प्रस्तुत करने पर शास्ति आरोपित न किया जाना	3.8	29
खनन योजना के बिना खनिजों का उत्खनन करने वाले पट्टाधारकों पर शास्ति आरोपित न किया जाना	3.9	29
कार्यदायी संस्थाओं से संबंधित अनियमितताएँ	3.10	30
निष्कर्ष	3.11	35
अध्याय 4: अवैध खनन		
परिचय	4.1	37
अवैध खनन सम्बन्धी नियामक ढांचे में अंतराल	4.2	39
गूगल अर्थ से देखी गई अवैध खनन और अन्य अनियमितताएँ	4.3	41
रिमोट सेंसिंग/जीआईएस के माध्यम से पता लगाया गया अवैध खनन एवं अन्य अनियमिततायें	4.4	48
अवैध रूप से भण्डारित खनिजों की रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति नहीं वसूला जाना	4.5	58
ई–एमएम–11 प्रपत्र के डेटा के विश्लेषण से प्राप्त अनियमितताएं	4.6	59
पट्टा/परमिट प्राप्त किये बिना उत्खनन किये गये खनिजों पर रायल्टी एवं खनिज मूल्य की वसूली न करना	4.7	67
खनन निगरानी प्रणाली प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाना	4.8	67
तकनीकी हस्तक्षेप के लिए उपकर नहीं लगाया जाना	4.9	68
ईंट भठ्ठों की स्थापना में गूगल अर्थ से देखी गई अनियमितताएं	4.10	69
निष्कर्ष	4.11	75
अध्याय 5: आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र		
परिचय	5.1	77
कमजोर आंतरिक नियंत्रण	5.2	78
इलेक्ट्रानिक रूप से सृजित ट्रांजिट पासों (ई–एमएम–11 प्रपत्रों) का आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लेखापरीक्षा न किया जाना	5.3	79
अपर्याप्त मानव संसाधन	5.4	79
विभागीय सुरक्षा बल एवं विभागीय सचल दस्ता का गठन न किया जाना	5.5	80
अधिकारियों के लिए निरीक्षण मानदण्ड तय न किया जाना	5.6	81
सिविल कार्य में प्रयुक्त खनिजों के लिए कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विवरणी प्रस्तुत न किया जाना	5.7	81
पट्टाधारकों द्वारा त्रैमासिक विवरणी (एमएम–12) प्रस्तुत न किया जाना	5.8	82
पट्टाधारकों द्वारा पर्यावरण विवरण (प्रपत्र–V) प्रस्तुत करने की निगरानी न किया जाना	5.9	83
वृक्षारोपण की निगरानी में विफलता	5.10	84
वसूली प्रमाणपत्रों की निगरानी न किया जाना	5.11	84
राज्य में जि०ख०फा०ट्र० के गठन में देरी	5.12	85

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	**पृष्ठ**
बकाया/डी0एम0एफ0 अंशदान रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जाना	5.13	86
डीजीएम द्वारा अर्ह लेखापरीक्षक के माध्यम से जि०ख०फ़ा० ट्रस्ट के लेखों की लेखापरीक्षा न कराया जाना	5.14	86
जि०ख०फ़ा०ट्र० नियमावली का उल्लंघन करते हुये जि०ख०फ़ा०ट्र० निधि से व्यय	5.15	87
जि०ख०फ़ा०ट्र० निधि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के विकास के लिए न किया जाना	5.16	88
माइन मित्रा पोर्टल में दोषपूर्ण सत्यापन तंत्र	5.17	88
बंद खदानों में सुधार एवं पुनर्वास कार्य की निगरानी न किया जाना	5.18	89
पट्टेदारों द्वारा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व/कार्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व/पर्यावरण प्रबंधन योजना से संबंधित कार्यों की निगरानी न किया जाना	5.19	90
निष्कर्ष	5.20	90
परिशिष्टियाँ		**93–114**
शब्द और संक्षेपण की शब्दावली		**115–116**

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश सरकार के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार में सम्पादित ''उत्तर प्रदेश में खनन और अवैध खनन के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज की सहायता से सम्पादित एक अध्ययन आख्या भी शामिल है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं जो 2017–18 से 2021–22 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आए और साथ ही वे जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आए थे लेकिन विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। जहाँ भी आवश्यक हुआ, 2021–22 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्तों को भी शामिल किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।

कार्यकारी सारांश

सीमित और गैर–नवीकरणीय होने के कारण खनिज मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं। उनका दोहन दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों और दृष्टिकोणों द्वारा निर्देशित होता है। खनिज राजस्व के मुख्य स्रोतों में से एक हैं और उत्तर प्रदेश राज्य के आर्थिक विकास में प्रमुख योगदानकर्ता हैं। खनन राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत भी है।

राज्य में, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को खनन क्षेत्र के समग्र विकास एवं राज्य के खजाने में खनिज राजस्व के संग्रह का कार्य सौंपा गया है। विभाग खनिज उत्पादन की सतर्कता एवं निगरानी, क्षेत्रों का सर्वेक्षण एवं सीमांकन, खनिज राजस्व संग्रह, खनिज जाँच एवं अन्वेषण और खनिज जानकारी के प्रसार के कार्यों की देखरेख करता है।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व के अनुकूलन के साथ सतत खनन की लेखापरीक्षा की गयी और 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये राजस्व क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसे शामिल किया गया। तब से 2017 में नई खनन नीति लागू की गई और खनन पट्टों का आवंटन ई–निविदा–सह–ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से किया गया। अगस्त 2017 से खनिजों के परिवहन के लिए भौतिक एम एम–11 प्रपत्र के स्थान पर इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट पास (ई–एम एम–11 प्रपत्र) की शुरुआत की गई। बड़ी संख्या में अवैध खनन के मामले सामने आए और समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन सहित खनन गतिविधियों के सभी पहलुओं की जाँच करने के लिए **"उत्तर प्रदेश में खनन और अवैध खनन का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव"** विषय को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी कि क्या खानों और खनिजों के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों और नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है; क्या विभाग के पास पर्याप्त मानव संसाधन, कुशल आईटी प्रणाली है और अवैध खनन का पता लगाने और रोकने के लिए नवीनतम तकनीक और जानकारी का उपयोग किया गया है; और क्या खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रभावी नियंत्रण मौजूद थे ताकि पर्यावरण और पारिस्थितिक चिंताओं को ठीक से संबोधित किया जा सके।

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय और राज्य के 18 जनपदों में 18 जिला खान कार्यालय शामिल थे। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से आवश्यक इनपुट प्राप्त किये गये थे। चयनित तहसीलों (जनपद हमीरपुर में सरीला तथा जनपद प्रयागराज में बारा) में पट्टों के भू–स्थानिक विश्लेषण के लिये प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद से परामर्श सेवाएं प्राप्त की गयीं।

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष नीचे प्रस्तुत हैं:

अ. खनिज परिहार की स्वीकृति

सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 पुलों के पास रेत खनन पर रोक लगाते हैं, हालांकि, लेखापरीक्षा में चार ऐसे उदाहरण मिले जहां पुलों के पास खनन पट्टे दिए गए थे, जो पर्यावरण और सुरक्षा जोखिम पैदा कर रहे थे। ***यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है और पुलों के पास पट्टे नहीं दे सकती है।***

84 सफल बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति जमा और रायल्टी की प्रथम किश्त, आशय पत्र जारी होने की तारीख से 12 से 424 दिनों की समाप्ति के बाद सरकारी खाते में जमा की गई थी। कुल 613 स्टोन क्रशर इकाइयाँ भंडारण लाइसेंस लिए बिना संचालित हो रही थीं। खदानों के बंद होने की सुधार और पुनर्वास लागत के सापेक्ष विभाग को क्षतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक वित्तीय आश्वासन, पट्टा विलेखों के निष्पादन से पहले

54 पट्टेदारों से एकत्र नहीं किया गया था। ***यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले सफल बोलीदाताओं से वित्तीय आश्वासन का संग्रह सुनिश्चित कर सकती है।***

ब. राजस्व का अधिरोपण और संग्रहण

विभाग को पट्टाधारकों और ईंट भट्ठा मालिकों से रायल्टी, फीस और अन्य बकाया राशि वसूलने की अपनी प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारी राजस्व जमा न करने, सरकारी राजस्व के विलंबित जमा पर ब्याज न लगाने/कम लगाने, खनन योजनाओं को विलंब से प्रस्तुत करने और खनिजों के अवैध उत्खनन पर जुर्माना न लगाने के मामले सामने आए हैं।

पट्टाधारकों से प्राप्त प्रतिभूति जमा को लोक लेखा के बजाय राज्य की समेकित निधि में जमा किया गया। संघ और राज्यों के लिए प्रमुख और लघु शीर्षों की सूची में प्रावधान होने के बावजूद मुख्य और उप खनिजों से प्राप्तियों का अलग–अलग लेखांकन नहीं किया गया।

स. खनिजों का परिवहन

खनिज को खनन क्षेत्र से उसके गंतव्य तक ले जाने के लिए ट्रांजिट पास की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार की कार्यदायी संस्थाओं के ठेकेदारों को निकाले गए खनिज के लिए रायल्टी के भुगतान के प्रमाण के रूप में ट्रांजिट पास प्रस्तुत करना आवश्यक है। ठेकेदारों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को प्रस्तुत ट्रांजिट पास में देखी गई अनियमितताएं ट्रांजिट पास की फर्जी/फोटो कापी/कार्यालय कापी/चेक पोस्ट कापी प्रस्तुत करना, अन्य गंतव्यों के लिए जारी ट्रांजिट पास, कार्य प्रारम्भ होने से पहले और कार्य पूरा होने के बाद ट्रांजिट पास जारी करने की तिथि थी। कार्यदायी संस्थाओं और विभाग ने ट्रांजिट पास से संबंधित इन अनियमितताओं को नहीं देखा। ***यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग और सिविल कार्य करने वाली सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के बीच समन्वय को मजबूत कर सकती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ठेकेदारों ने वैध लाइसेंसधारियों से खनिज प्राप्त किए हैं और निष्पादन संस्थाओं को वैध ट्रांजिट पास प्रस्तुत किए हैं। सरकार ट्रांजिट पास की अनियमितताओं की विस्तृत जाँच भी कर सकती है और यदि कोई गंभीर चूक पाई जाती है तो जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए।***

ट्रांजिट पास (ई–एमएम–11 प्रपत्र) के डेटा के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि ट्रांजिट पास बनाने वाले साफ्टवेयर में इनपुट नियंत्रण तंत्र कमजोर था। पट्टाधारकों ने खनिजों के परिवहन के लिए अनुपयुक्त वाहनों, अयोग्य/फर्जी पंजीकरण संख्या वाले वाहनों और निषिद्ध महीनों के लिए ट्रांजिट पास बनाए। ट्रांजिट पास में उल्लिखित दूरी वास्तविक दूरी से बहुत अधिक थी। ***यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार विभागीय पोर्टल में उचित नियंत्रण सक्षम कर सकती है और इसे वाहन डेटाबेस से जोड़ सकती है ताकि ई–एमएम–11 प्रपत्र बनाने में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और खनिजों के परिवहन के लिए अनुपयुक्त वाहनों, अनुमन्य मात्रा से अधिक खनिजों के परिवहन, अवास्तविक दूरी और निषिद्ध महीनों में ई–एमएम–11 प्रपत्र सृजित करने से रोका जा सके। सरकार खनिजों का अधिक लदान और खनिजों के परिवहन के लिए अनुपयुक्त वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग और परिवहन विभाग के बीच समन्वय भी स्थापित कर सकती है।***

द. अवैध खनन

उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिए गए खनन क्षेत्रों के मामले में खनिज मूल्य और रायल्टी क्या होगी। विभाग ने बोली दर की अनदेखी की और जनवरी 2016 से संशोधित नहीं किए गए आधार दर पर रायल्टी और खनिज मूल्य उन पट्टाधारकों से वसूल की,

जिन्होंने पट्टा क्षेत्र और/या स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों से अवैध रूप से खनिजों का उत्खनन किया था, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को संभावित राजस्व से वंचित होना पड़ा। ***यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों में खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम की धारा 21(5) के अनुसार खनिज मूल्य और रायल्टी को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली में संशोधन कर सकती है। सरकार नीलामी के माध्यम से तय किए गए खनन पट्टों के निकटवर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन के मामलों में लागू होने वाली रायल्टी की दरों की समयबद्ध तरीके से समीक्षा और अद्यतन भी कर सकती है।***

गूगल अर्थ से पट्टों के चयनित स्थलों की जाँच से ऐसे मामले सामने आए जहां खनिजों का उत्खनन पट्टा क्षेत्रों के बाहर और बिना खनन पट्टे दिए किया गया था। ***यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार संदिग्ध अवैध खनन गतिविधियों की जल्द पहचान करने के लिए रिमोट सेंसिंग और उन्नत सर्वेक्षण उपकरणों की मदद से मानचित्रण और निगरानी प्रक्रिया को मजबूत कर सकती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सकता है। सरकार खनिजों के अवैध उत्खनन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर सकती है।***

ईंट भट्ठों की स्थापना में अन्य ईंट भठ्ठों, आवासीय क्षेत्र, स्कूल/कालेज, बाग, पारिस्थितिकी–संवेदनशील क्षेत्र और ऐतिहासिक स्मारकों से दूरी संबंधी निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं किया गया। ***यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि मानदंडों का उल्लंघन करके स्थापित और अवैध रूप से संचालित सभी ईंट भट्ठों को बंद कर दिया गया है।***

अवैध खनन का पता लगाने के लिए खान मंत्रालय द्वारा विकसित खनन निगरानी प्रणाली का उपयोग अवैध खनन को रोकने में प्रभावी रूप से नहीं किया गया।

य. आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र

खनन गतिविधियों की निगरानी, संबंधित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कार्य है। मानव संसाधन की कमी के कारण विभागीय सुरक्षा बल एवं विभागीय सचल दस्ता गठित नहीं किया गया तथा खानों का निरीक्षण मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया। जिला खान अधिकारी से उच्चतर अधिकारियों द्वारा खानों के निरीक्षण के मानदंड तय नहीं किए गए। निगरानी की कमी के कारण वसूली प्रमाण पत्रों के माध्यम से ₹ 408.68 करोड़ के राजस्व की वसूली लंबित है। ***यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार रिपोर्टिंग एवं निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा एवं विभाग की अन्य शाखाओं को अपेक्षित मानव शक्ति प्रदान करने पर विचार कर सकती है। सरकार खनन गतिविधियों की उचित निगरानी के लिए विभाग के अधिकारियों के लिए निरीक्षण मानदंड तय करना भी सुनिश्चित कर सकती है।***

पट्टाधारकों द्वारा प्रपत्र एमएम–12 में त्रैमासिक विवरणी जमा न करने के मामले सामने आए, जो खनन योजना में दर्शायी गई स्वीकार्य मात्रा के विरुद्ध उत्खनित मात्रा की तुलना करने तथा खनन क्षेत्र में लगे कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने का एक साधन है। ***यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार खनिजों की आवाजाही पर प्रभावी निगरानी रखने तथा खनन के माध्यम से सृजित रोजगार के आंकड़े एकत्र करने के लिए आवधिक विवरणी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।***

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (जि०ख०फ़ा०ट्र०) के गठन में दो वर्ष से अधिक की देरी से खनन प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा जि०ख०फ़ा०ट्र० के ट्रस्टियों ने जि०ख०फ़ा०ट्र० के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए प्रयास नहीं किए। जि०ख०फ़ा०ट्र० के ट्रस्टियों ने जि०ख०फ़ा०ट्र० नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया तथा ऐसे कार्यों पर व्यय किया जो नियमावली में निर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंधित नहीं थे। ***यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार जि०ख०फ़ा०ट्र० नियमावली के अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कल्याण***

एवं विकास के लिए एकत्रित जि०ख०फा०ट्र० निधि का उपयोग सुनिश्चित करे तथा अधिकारियों द्वारा जि०ख०फा०ट्र० निधि के व्यपवर्तन के लिए जिम्मेदारी तय करे।

पट्टाधारकों को उ०प्र०प्र०नि०बो० को प्रपत्र–V में पर्यावरण विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था। हालांकि, पर्यावरण विवरण प्रस्तुत करने की निगरानी विभाग और उ०प्र०प्र०नि०बो० द्वारा नहीं की गई थी। ***यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि पट्टाधारकों द्वारा प्रपत्र– V में पर्यावरण विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भूतत्व और खनिकर्म विभाग के बीच समन्वय तंत्र स्थापित किया जाए।***

वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार पट्टेधारकों द्वारा किये जाने वाले आवश्यक वृक्षारोपण की विभाग द्वारा निगरानी नहीं की गई थी। बंद खदानों में पट्टेधारकों द्वारा सुधार और पुनर्वास कार्य की भी निगरानी विभाग द्वारा नहीं की गई थी। इन कार्यों की निगरानी नहीं करने से पर्यावरणीय गिरावट और खनन क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के क्षरण का खतरा था। ***यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि पट्टाधारकों द्वारा किए जाने वाले आवश्यक वृक्षारोपण कार्य की उचित निगरानी के लिए वन विभाग और भूतत्व और खनिकर्म विभाग के बीच समन्वय तंत्र स्थापित किया जाए।***

र. अच्छी प्रथाएँ/पहल

इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार द्वारा की गई अच्छी पहलों पर भी प्रकाश डाला गया है जैसे खनन पट्टों की ई–नीलामी, माइन मित्रा पोर्टल, एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली (आईएमएसएस) और शास्ति और कारावास के कड़े प्रावधान। खनन पट्टों की ई–नीलामी अगस्त 2017 से लागू की गई थी। अवैध खनन के लिए शास्ति को बढ़ा दिया गया (मई 2017) जिसमें पांच साल तक की कैद या शास्ति जो प्रति हेक्टेयर दो लाख रुपये से कम नहीं होगा और प्रति हेक्टेयर पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, या दोनों का प्रावधान है।

माइन मित्रा पोर्टल दिसंबर 2020 में लागू किया गया था। पोर्टल को खनन से संबंधित गतिविधियों की आनलाइन प्रस्तुति और निगरानी जैसे कि ट्रांजिट पास का सृजन और सत्यापन, खनन योजना का प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन तथा भंडारण लाइसेंस जारी करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वर्ष 2020 में आईएमएसएस का क्रियान्वयन शुरू किया गया था, जिसमें अवैध खनन की शिकायतों वाले क्षेत्रों की ड्रोन निगरानी, खनिज परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टैग और खदानों के निकास पर पैन टिल्ट जूम (पीटीजेड) कैमरा के साथ धर्म काँटा और राज्य कमांड सेंटर के साथ उनके एकीकरण की सुविधा का प्रावधान था। अप्रैल 2022 तक आईएमएसएस के तहत 80,000 वाहन पंजीकृत किए गए, खनन क्षेत्रों में 441 धर्म काँटा लगाए गए, अवैध परिवहन की जाँच के लिए खनन अधिकारियों को हाँथ में पकड़ी जाने वाली 75 मशीनें प्रदान की गईं और 16 स्वचालित चेक–गेट लगाए गए। हालांकि, आईएमएसएस का उपयोग ड्रोन निगरानी के माध्यम से आनसाइट अवैध खनन को रोकने के लिए नहीं किया गया था और इसका उपयोग केवल खनिजों के अवैध परिवहन की जाँच के लिए किया गया था।

राज्य सरकार की पहल के परिणामस्वरूप खनन प्राप्तियाँ 2016–17 में ₹ 1,548.39 करोड़ से (110 प्रतिशत) बढ़कर 2017–18 में ₹ 3,258.88 करोड़ हो गईं, हालांकि, बाद में यह 2021–22 में घटकर ₹ 2,655.48 करोड़ रह गईं। इसी प्रकार, विभाग द्वारा पकड़े गए खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन के मामलों की संख्या 2017–18 में 10,188 मामलों से (155 प्रतिशत) बढ़कर 2021–22 में 25,986 मामले हो गई और इन मामलों में वसूली भी 2017–18 में ₹ 28.73 करोड़ से (335 प्रतिशत) बढ़कर 2021–22 में ₹ 124.89 करोड़ हो गई।

अध्याय–I

परिचय

अध्याय–I : परिचय

1.1 परिचय

सीमित और गैर–नवीकरणीय होने के कारण खनिज मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं; इसलिए उनका दोहन दीर्घकालिक लक्ष्यों और परिप्रेक्ष्य द्वारा निर्देशित होता है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (खा0ख0वि0वि0 अधिनियम) की धारा 3 के अन्तर्गत परिभाषित खनिजों में खनिज तेल को छोड़कर सभी खनिज शामिल हैं। खा0ख0वि0वि0 अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत, उप खनिजों का अर्थ है निर्माण पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली बालू के अलावा साधारण बालू, और कोई अन्य खनिज जिसे केन्द्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गौण घोषित करे। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रमुख खनिज कोयला, लौह अयस्क, एंडेलूसाइट, राक फास्फेट, चूना पत्थर, पोटाश, सिलिमेनाइट आदि हैं, जबकि राज्य में पाए जाने वाले उप खनिज सिलिका बालू, चाइना क्ले, ग्रेनाइट आयामी पत्थर, ग्रेनाइट गिट्टी, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ईंट मिट्टी और बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर आदि हैं। खनन न केवल राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, बल्कि सरकार के लिए राजस्व का भी एक प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार यह राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 31.03.2022 तक राज्य में कुल 1,369 पट्टे/परमिट संचालित थे। उत्तर प्रदेश का खनिज मानचित्र नीचे दर्शाया गया है–

चार्ट 1.1 उत्तर प्रदेश का खनिज मानचित्र

माइन मित्रा, एक सम्पूर्ण खनिज प्रबन्धन प्रणाली, उपयोगकर्ता इंटरफेस में पारदर्शिता लाने और वास्तविक समय डेटा निगरानी और व्यवसाय प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग के माध्यम से खनन और खनिज परिवहन में अवैध प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा एक अभिनव और महत्वाकांक्षी पहल है। यह एक एकीकृत

पोर्टल है जो नागरिकों को एक ही छतरी के नीचे ई–सेवाएँ, ऑनलाइन खनिज प्रबन्धन, स्मार्ट प्रवर्तन प्रणाली और ऑनलाइन ई–कामर्स प्लेटफार्म प्रदान करता है।

1.2 खनिज संसाधनों के शासन और प्रबन्धन के लिए रूपरेखा

केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित खा0ख0वि0वि0 अधिनियम (समय–समय पर संशोधित) खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए कानूनी ढाँचा तैयार करता है। यह खनन कार्यों के तरीके और प्रणाली, खनिजों के संरक्षण व व्यवस्थित विकास और इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए दण्ड का भी प्रावधान करता है। खा0ख0वि0वि0 अधिनियम की धारा 13 और 15 के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को क्रमशः प्रमुख खनिजों और उप खनिजों के लिए परिहार स्वीकृत करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ हैं।

खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास और परमिट, लाइसेंस और पट्टों के अनुदान को विनियमित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा खनिज परिहार नियमावली, 1960 और ग्रेनाइट (संरक्षण और विकास) नियमावली, 1999 भी बनाए गए हैं।

खा0ख0वि0वि0 अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत उप खनिजों के दोहन के लिए कानून राज्यों को सौंपे गए हैं। खा0ख0वि0वि0 अधिनियम की धारा 23 सी के अन्तर्गत राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण की रोकथाम और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार है। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 एवं 2021 तथा उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 एवं 2018 बनाये गये।

1.3 खनन नीति 2017

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने खनिजों के बारे में जागरूकता, सभी लोगों तक किफायती मूल्य पर खनिजों की पहुँच और उपलब्धता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 'खनन नीति 2017' प्रख्यापित की है।

खनिज नीति के मुख्य उद्देश्य हैं:

1– खदानों एवं खनिजों के माध्यम से राज्य का सतत सामाजिक–आर्थिक विकास;

2– खनिजों का संरक्षण;

3– पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना;

4– खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसर में वृद्धि;

5– अगले पाँच वर्षों के भीतर खनिजों से राजस्व को 1.85 प्रतिशत से बढ़ाकर (राज्य के अपने संसाधनों का) तीन प्रतिशत करना; और

6– अवैध खनन/परिवहन को नियन्त्रित करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप और अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करना।

अवैध खनन को नियन्त्रित करने के उद्देश्य को पूरा करने की रणनीति में विभागीय सचल दल, विभागीय सुरक्षा बल, अधिकतम पट्टे और लाइसेंसिंग, खनन पट्टे क्षेत्र की जियो फेंसिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) ट्रैकिंग, खनन निगरानी प्रणाली, गेटों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी)/पैन टिल्ट ज़ूम (पीटीजेड) खनन प्रणाली का गठन और इसे कण्ट्रोल कमांड सेन्टर से जोड़ना, जिला स्तर पर अंतर–विभागीय टास्क फोर्स के गठन के माध्यम से अवैध खनन/परिवहन को रोकने के लिए जोखिम बढ़ाना, सख्त कारवाही सुनिश्चित करना, एमएम–11 प्रपत्रों का ई–जेनरेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित आवक अभिलेख, ऑनलाइन भुगतान

प्रणाली, अवैध खनन से सम्बन्धित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन आदि।

1.4 विभाग के कार्य

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के मुख्य कार्य हैं:

1–खनिजों की खोज, पूर्वानुमान और आकलन।

2–खानों एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास।

3–खनिज परिहार प्रदान करना।

4–भाटक एवं रायल्टी का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण।

5–पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और खनिज उपयोग के साथ वैज्ञानिक खनन के लिए उद्यमियों को तकनीकी जानकारी और सुविधाएँ प्रदान करना।

6–खनन कार्यों की निगरानी और खनन क्षेत्रों के पुनरुद्धार के साथ–साथ खनन में लगे श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना।

1.5 संगठनात्मक ढाँचा

प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (विभाग) का समग्र नियन्त्रण एवं निर्देशन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, (डीजीएम) उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है। मुख्यालय पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की सहायता दो अपर निदेशकों द्वारा की जाती है जिसकी आगे सहायता चार संयुक्त निदेशकों द्वारा की जाती है। जिला स्तर पर, जिला खान अधिकारी (जि0खा0अ0) भुगतान योग्य और देय रायल्टी, अपरिहार्य भाटक और परमिट शुल्क आदि का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), जिला कलेक्टर के समग्र प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत खनन प्राप्तियों के संग्रह और लेखांकन के प्रभारी हैं। संगठनात्मक ढाँचा नीचे **चार्ट–1.1** में वर्णित है।

चार्ट 1.1

संगठनात्मक ढाँचा

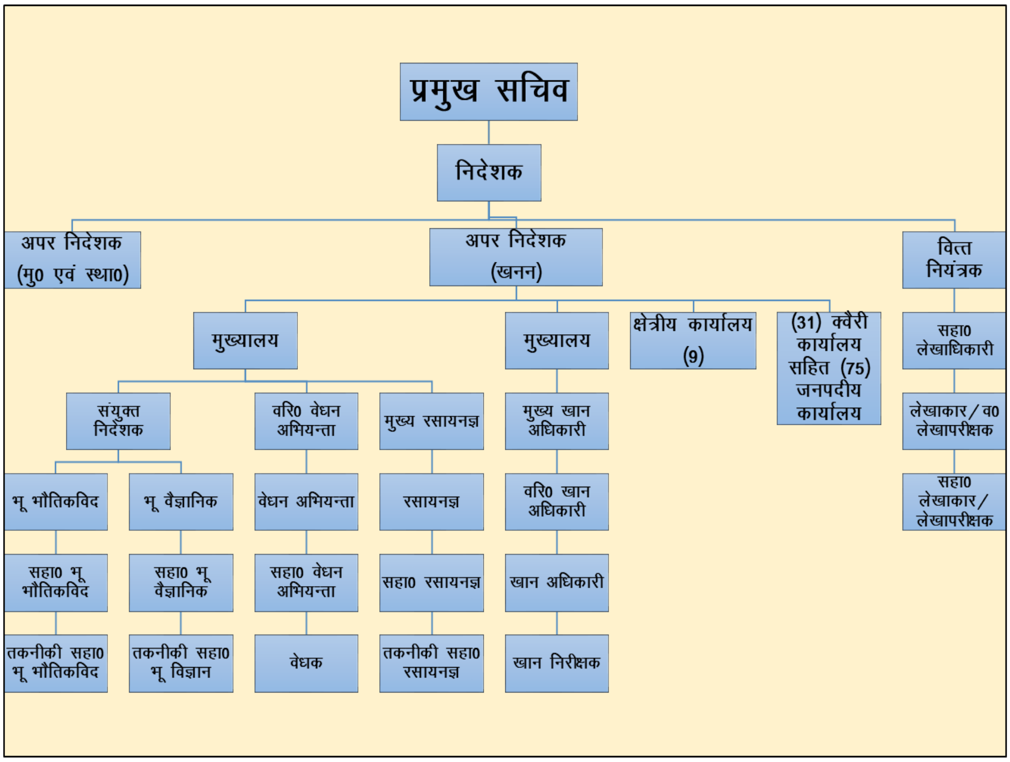

1.6 खनन प्राप्तियों के रुझान

- **राज्य के कुल राजस्व की तुलना में खनन प्राप्तियों के रुझान**

खनन नीति 2017 का एक उद्देश्य राज्य के अपने संसाधनों में खनन प्राप्तियों की हिस्सेदारी को अगले पाँच वर्षों में यानी 2022 तक 1.85 प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करना था। राज्य का कुल राजस्व और शीर्ष ''0853 गैर–लौह खनन और धातुकर्म उद्योग'' के अन्तर्गत खनन प्राप्तियाँ 10 वर्षों के लिए **तालिका–1.1** में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.1

राज्य के कुल राजस्व के सापेक्ष खनन प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	करेतर राजस्व	राज्य का कुल राजस्व	खनन प्राप्तियाँ	राज्य के कुल राजस्व में खनन प्राप्तियों का प्रतिशत
2012-13	58,098.36	12,969.98	71,068.34	722.13	1.02
2013-14	66,582.08	16,449.80	83,031.88	912.52	1.10
2014-15	74,172.42	19,934.80	94,107.22	1,029.42	1.09
2015-16	81,106.26	23,134.65	1,04,240.91	1,222.17	1.17
2016-17	85,965.92	28,944.07	1,14,909.99	1,548.39	1.35
2017-18	97,393.00	19,794.86	1,17,187.86	3,258.88	2.78
2018-19	1,20,121.86	30,100.71	1,50,222.57	3,165.44	2.11
2019-20	1,22,825.83	81,705.08	2,04,530.91	2,180.93	1.07
2020-21	1,19,897.30	11,846.15	1,31,743.45	3,112.74	2.36
2021-22	1,47,356.46	11,435.97	1,58,792.43	2,655.48	1.67

स्रोतः उत्तर प्रदेश शासन के वित्त लेखे।

राज्य के कुल राजस्व में खनन प्राप्तियों का हिस्सा **चार्ट–1.2** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.2

राज्य के कुल राजस्व के सापेक्ष खनन प्राप्तियों का प्रतिशत

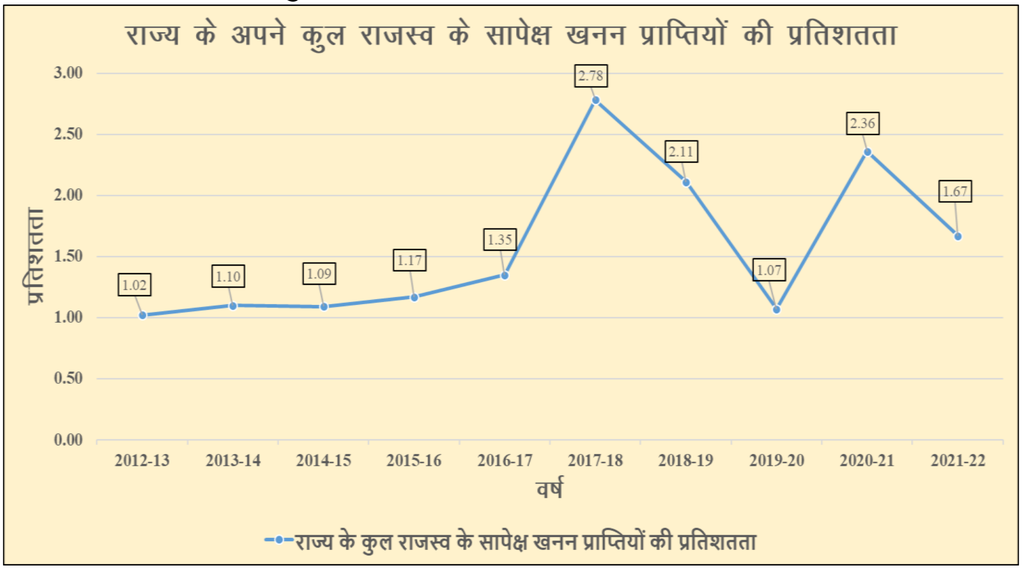

उपरोक्त तालिका और चार्ट से पता चलता है कि विगत दस वर्षों के दौरान राज्य के कुल राजस्व के सापेक्ष खनन प्राप्तियाँ 1.02 प्रतिशत से 2.78 प्रतिशत के बीच थीं। खनन नीति 2017 में राज्य के राजस्व में खनन प्राप्तियों की हिस्सेदारी को तीन प्रतिशत तक बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसे हासिल नहीं किया जा सका। राज्य के कुल राजस्व में खनन प्राप्तियों की हिस्सेदारी मात्र वर्ष 2017–18, 2018–19 तथा 2020–21 में ही दो प्रतिशत से अधिक रही।

अग्रेतर, खनन प्राप्तियाँ 2017–18 और 2021–22 के मध्य अस्थिर थीं। 2017–18 में खनन प्राप्तियाँ तुलनात्मक रूप से अधिक थीं और 2019–20 में कम थीं। उ0प्र0 सरकार ने 2017–18 से खनन पट्टों के आवंटन में ई–नीलामी प्रणाली शुरू की थी और खनन प्राप्तियों का संग्रह 2016–17 में ₹ 1,548.39 करोड़ से बढ़कर (110.47 प्रतिशत) 2017–18 में ₹ 3,258.88 करोड़ हो गया। यद्यपि, बाद के वर्षों में प्राप्ति के प्रतिशत में उतार–चढ़ाव आया।

विभाग ने कहा कि कोविड–19 महामारी की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण विकास/निर्माण कार्य प्रभावित हुआ जिसके परिणामस्वरूप खनिजों की माँग कम हो गई। पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसके कारण खनन पट्टे तय समय में संचालित नहीं हो सके। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में खनन कार्यों में रुकावट के कारण खनिजों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ।

- **बजट अनुमान के सापेक्ष में खनन प्राप्तियाँ**

मुख्य शीर्ष "0853 अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग" के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं खनन प्राप्तियों का विवरण **तालिका–1.2** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2

बजट अनुमान के सापेक्ष खनन प्राप्तियाँ

				(₹ करोड़ में)
वर्ष	**बजट अनुमान**	**खनन प्राप्तियाँ**	**अन्तर (कालम 3 – कालम 2)**	**प्रतिशत अन्तर**
2017-18	3,200	3,258.88	(+) 58.88	(+) 1.84
2018-19	4,000	3,165.44	(-) 834.56	(-) 20.86
2019-20	4,400	2,180.93	(-) 2,219.07	(-) 50.43
2020-21	4,000	3,112.74	(-) 887.26	(-) 22.18
2021-22	4,500	2,655.48	(-) 1,844.52	(-) 40.99

स्रोत : उ0प्र0 सरकार के वित्त लेखे और उ0प्र0 सरकार के राजस्व और प्राप्तियों के विवरण के अनुसार बजट अनुमान।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि मात्र वर्ष 2017–18 में खनन प्राप्तियाँ बजट अनुमान से अधिक थीं, जबकि शेष वर्षों में विभाग द्वारा राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक बजट अनुमान और खनन प्राप्ति के बीच अन्तर (–) 50.43 प्रतिशत से (–) 20.86 प्रतिशत तक था, इस प्रकार, खनन प्राप्ति बजट अनुमान से बहुत कम थी।

- **खनिजवार प्राप्तियाँ**

राज्य की खनिजवार प्राप्तियाँ **तालिका–1.3** में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 1.3
खनिजवार प्राप्तियाँ

(₹ लाख में)

खनिजों और अन्य से प्राप्तियाँ	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1. गौण खनिज					
साधारण मिट्टी	24,466.34	5,793.70	0.00[1]	0.00	0.00
ईंट मिट्टी	25,171.65	18,240.63	19,600.00	16,166.83	14,650.76
ग्रेनाइट (आयामात्मक)	8,743.05	2,108.81	513.00	724.64	861.37
स्लैब	681.76	1,154.47	277.00	635.49	744.51
गिट्टी / बोल्डर	37,982.25	59,751.95	51,414.00	44,980.18	40,654.86
बजरी	0.00	2,043.05	10.46	912.69	346.81
मोरम	96,975.05	1,24,327.13	74,432.00	1,08,617.90	65,634.25
बालू	41,560.73	27,118.64	22,320.00	24,994.04	19,519.78
स्टोन डस्ट	--	--	--	--	215.83
आरबीएम	--	--	--	--	5534.20
सिलिका बालू	331.40	915.85	283.00	301.71	352.67
पायरोफाइलाइट–डायस्पोर	55.99	57.93	46.00	36.35	33.29
प्रवर्तन	2,873.00	8,086.00	4,867.00	7,755.00	12,489.00
अन्य[2]	51,802.00	18,051.00	725.00	64,403.00	54,683.00
2. प्रमुख खनिज					
कोयला	33,721.28	46,796.90	41,361.83	39,686.81	47,525.42
लाइमस्टोन	1,479.41	2,097.81	2,243.21	2,059.41	2,302.30

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

1.7 खनन प्राप्तियों के विभागीय आँकड़ों का वित्त लेखों से मिलान न होना

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के बारहवें अध्याय के प्रस्तर 96 में उपबन्धित है कि प्राप्तियों के किसी विशेष वर्ग के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी विशेष व्यवस्था के अधीन, यह देखना विभागीय नियन्त्रण अधिकारियों का कर्तव्य है कि सरकार को देय सभी राशि नियमित रूप से और तुरन्त निर्धारित किया जाता है, वसूल किया जाता है और शासकीय खाते में विधिवत जमा किया जाता है। नियन्त्रण अधिकारियों को तदनुसार अपने अधीनस्थों से मासिक लेखों और विवरणियों को उचित रूप में प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसे कोषागार में या अन्यथा भुगतान की गई राशि के लिए क्रेडिट का दावा किया गया हो तथा इसकी महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत ट्रेजरी क्रेडिट के विवरण के साथ तुलना की जाए, जिससे यह देखा जा सके कि एकत्रित एवं प्रतिवेदित राशि विधिवत सरकारी खाते में जमा कर दी गई है।

यदि गलत क्रेडिट नियन्त्रण अधिकारियों के ध्यान में आते हैं, तो उन्हें तुरन्त लेखों में सुधार की दृष्टि से महालेखाकार को सूचित करना चाहिए। यदि किसी क्रेडिट का दावा किया गया है लेकिन लेखों में नहीं पाया गया है, तो सबसे पहले सम्बन्धित उत्तरदायी विभागीय अधिकारी से पूछताछ की जानी चाहिए। जहाँ विभागीय नियमों के अन्तर्गत विभागीय रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया जाता है, वहाँ कार्यालय प्रमुखों को प्राप्तियों

1 वर्ष 2019–20 से सामान्य मिट्टी की रायल्टी दिनाँक 27 मार्च 2018 की अधिसूचना द्वारा शून्य कर दी गई।
2 अन्य में सीमांकन शुल्क, आवेदन शुल्क, कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्तियाँ शामिल हैं।

की सही और पूर्ण रिपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय के अन्दर अपनी व्यवस्था करनी होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा सूचित खनन प्राप्तियों और राज्य सरकार के वित्त लेखों के अनुसार खनन प्राप्तियों के बीच अन्तर था। यद्यपि विभाग द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज के कार्यालय के साथ नियमित मिलान किया जा रहा था लेकिन विभाग ने विसंगतियों को दूर नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप विभाग खनन प्राप्तियों का सही व पूर्ण रूप से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने में विफल रहा। विवरण **तालिका–1.4** में दिखाया गया है।

तालिका 1.4

खनन प्राप्तियों के विभागीय आँकड़ों का वित्त लेखों से मिलान न होना

			(₹ करोड़ में)
वर्ष	वित्त लेखों के अनुसार खनन प्राप्तियाँ	विभाग के अनुसार खनन प्राप्तियाँ	अन्तर (कालम 2–कालम 3)
2017-18	3,258.88	3,244.57	(+) 14.31
2018-19	3,165.44	3,164.51	(+) 0.93
2019-20	2,180.93	2,177.49	(+) 3.44
2020-21	3,112.74	3,120.97	(-) 8.23
2021-22	2,655.48	2,664.59	(-) 9.11

स्रोत : उ0प्र0 सरकार के वित्त लेखे और विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

वित्त लेखे के अनुसार खनन प्राप्तियाँ वर्ष 2017–18 से 2019–20 में विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए खनन प्राप्तियों के आँकड़ों से अधिक थीं जबकि 2020–21 और 2021–22 में कम थीं।

विभाग ने समापन गोष्ठी में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा कि कोषागार से प्राप्त विवरण और महालेखाकार कार्यालय में उपलब्ध विवरण के बीच विसंगति को दूर किया जाएगा।

1.8 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्याः

1– खानों और खनिजों के प्रशासन को नियन्त्रित करने वाले अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है;

2– विभाग के पास पर्याप्त मानव संसाधन, प्रभावशाली आईटी प्रणाली और अवैध खनन का पता लगाने और रोकने के लिए नवीनतम तकनीक और जानकारी का उपयोग किया गया है; और

3– खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रभावी नियन्त्रण मौजूद थे जिससे कि पर्यावरण और पारिस्थितिक मामलों में उचित प्रकार से ध्यान दिया जा सके।

1.9 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु निम्नलिखित से लेखापरीक्षा मानदण्ड लिये गयेः

- खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
- खनिज परिहार नियमावली, 1960
- उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 एवं 2021
- उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2002 एवं 2018
- उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली, 2017
- उत्तर प्रदेश खनन नीति, 2017

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- सतत् बालू खनन प्रबन्धन दिशानिर्देश, 2016 और
- विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएँ एवं परिपत्र आदि।

1.10 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में पाँच वर्ष की अवधि अर्थात 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि को आच्छादित किया गया। इस लेखापरीक्षा का क्षेत्र यह जाँच करना था कि क्या राज्य में खनन गतिविधियाँ अधिनियमों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गयी थी। लेखापरीक्षा ने रायल्टी के निर्धारण, आरोपण और संग्रहण, जिला खनिज निधि (डी0एम0एफ0) में योगदान और प्रभावित खनन क्षेत्रों में इसके उपयोग की जाँच की। लेखापरीक्षा ने यह भी जाँचा कि क्या अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने के लिए प्रभावी तन्त्र मौजूद था और अवैध खनन को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।

लेखापरीक्षा मानदण्डों के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी गई पद्धति में निदेशालय, भूतत्व व खनिकर्म और 18 चयनित[3] जनपदों में जि0खा0अ0 कार्यालय में अभिलेखों की जाँच, खनन डेटाबेस[4] का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्न उठाना, भौतिक सत्यापन, रिमोट सेन्सिंग व जी0आई0एस0 प्रणाली के आँकड़ों का उपयोग करना, उत्तर प्राप्त करना और विभाग के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करना शामिल था। लेखापरीक्षा ने 18 जनपदों में संचालित 531 पट्टों/परमिटों में से 277 पट्टों/परमिटों की नमूना जाँच की। चयनित जिलों को राज्य के मानचित्र में नीचे दर्शाया गया है।

मानचित्र 1.2 चयनित जिले

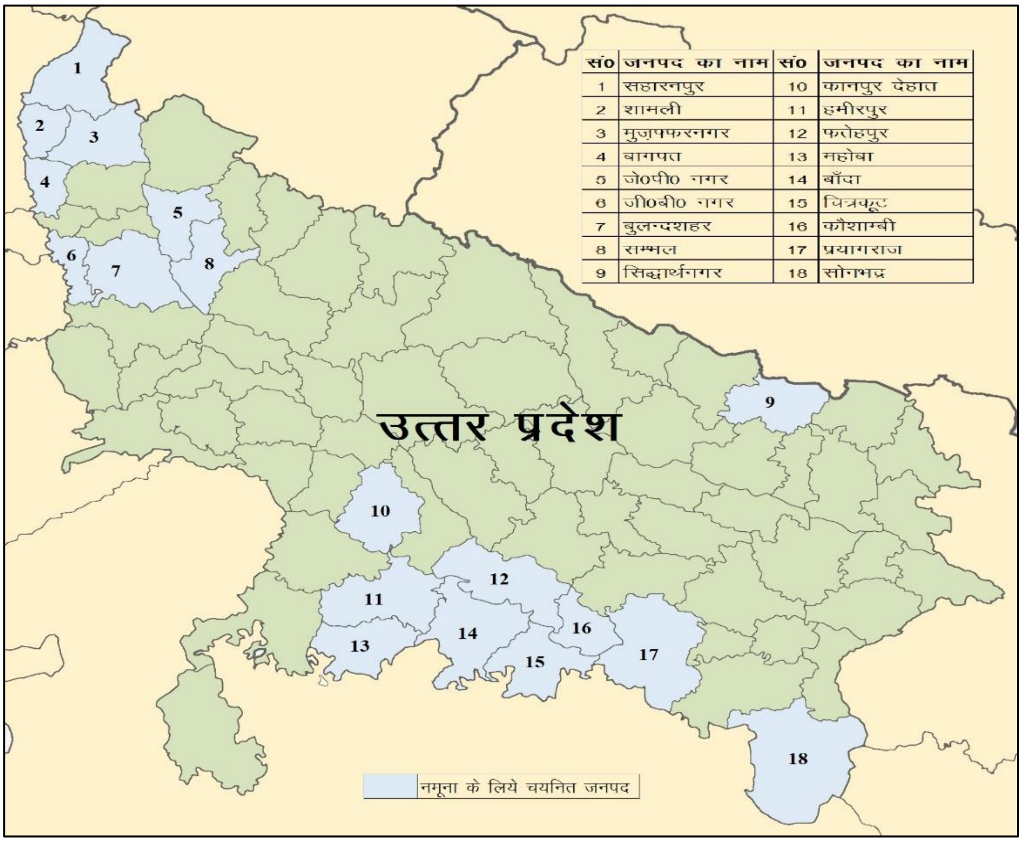

3 बागपत, बांदा, बुलन्दशहर, चित्रकूट, फ़तेहपुर, जी.बी. नगर, हमीरपुर, जे.पी. नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, मुजफ्फर नगर, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थ नगर और सोनभद्र।

4 माइन मित्रा पोर्टल और आईएमएसएस का डेटाबेस।

लेखापरीक्षा ने भू–स्थानिक विश्लेषण के लिए अवैध खनन के रिपोर्ट किए गए मामलों के आधार पर दो नमूना जिलों में क्षेत्रों[5] का चयन किया था, जो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (एमएनएनआईटी), प्रयागराज द्वारा प्रदान की गई तकनीकी परामर्श की मदद से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से प्राप्त उपग्रह इमेजरी के माध्यम से किया गया था। सलाहकार ने विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में चयनित क्षेत्रों का दौरा किया और लेखापरीक्षा को एक अध्ययन रिपोर्ट सौंपी।

अन्य चयनित जिलों में गूगल अर्थ प्रो[6] का उपयोग पर्यावरण मन्जूरी, सीमा सर्वेक्षण रिपोर्ट और खनन योजना आदि से प्राप्त पट्टा निर्देशांक की केएमएल[7] फ़ाइलें बनाकर अवैध खनन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया गया था। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ई–एमएम–11 के डंप डेटा का विश्लेषण लेखापरीक्षा द्वारा टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर[8] की सहायता से किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदण्ड, लेखापरीक्षा क्षेत्र, कार्यप्रणाली को समझाने और इस मुद्दे पर विभाग के विचार/अभिमत को जानने के लिए विभाग के साथ परिचयात्मक गोष्ठी 28 जून, 2022 को आयोजित की गयी थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने और निष्कर्षों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 4 अगस्त, 2023 को निष्पादन लेखापरीक्षा के समापन पर एक समापन गोष्ठी आयोजित की गई थी। विशेष सचिव सह अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म ने लेखापरीक्षा प्रयासों एवं निष्कर्षों की सराहना की तथा यथाशीघ्र सरकार का उत्तर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर और समापन गोष्ठी के दौरान दिए गये उत्तर को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.11 नमूनाकरण विधि

आईडीईए[9] सॉफ्टवेयर की सहायता से स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने के आधार पर लेखापरीक्षा जाँच के लिए 18 जिलों (75 जिलों का 24 प्रतिशत) का चयन किया गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के मुख्य शीर्ष "0853–अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियाँ" के पिछले पाँच वर्षों (2017–18 से 2021–22) के आँकड़ों से नमूनाकरण किया गया था। इसके अलावा विभाग से भी सूचनायें इकठ्ठा की गयी।

1.12 इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु

इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पाँच अध्याय हैं। अध्याय I परिचयात्मक होने के कारण, परिचय, विभाग का संगठनात्मक ढाँचा, राजस्व प्राप्तियाँ, लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदण्ड और लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करता है। अध्याय II खनिज परिहार की स्वीकृति से सम्बन्धित है, अध्याय III राजस्व के उद्ग्रहण और संग्रहण में कमियों पर प्रकाश डालता है, अध्याय IV अवैध खनन से सम्बन्धित है और अध्याय V आन्तरिक नियन्त्रण और निगरानी तन्त्र में कमियों पर प्रकाश डालता है। प्रतिवेदन का वित्तीय प्रभाव ₹ 784.54 करोड़ है।

1.13 आभार

लेखापरीक्षा आवश्यक सूचनाओं और अभिलेखों के प्रदान करने में विभाग द्वारा दिए गए सहयोग को स्वीकार करती है।

---

5 जनपद हमीरपुर में तहसील सरीला एवं जनपद प्रयागराज में तहसील बारा।

6 गूगल अर्थ प्रो, गूगल अर्थ का उन्नत संस्करण है, जो एक कम्प्यूटर प्रोग्राम है जिससे मुख्य रूप से उपग्रह पर आधारित पृथ्वी की त्रिविमीय इमेजरी प्रस्तुत करता है।

7 कीहोल मार्कअप लैंग्वेज (केएमएल) फ़ाइल का उपयोग गूगल अर्थ जैसे अर्थ ब्राउज़र में भौगोलिक डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

8 यह बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा विज़ुअलाइज़ेशन एनालिटिकल टूल है।

9 इंटरैक्टिव डेटा निष्कर्षण और विश्लेषण।

1.14 अभिलेख/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के बाद भी विभाग निम्नलिखित अभिलेख/सूचनाओं को प्रस्तुत नहीं कर सका।

1– बकाया पंजिका और बकाया की स्थिति;

2– डीजीएम और जिला कार्यालयों को जारी किए गए 465 लेखापरीक्षा ज्ञापों पर उत्तर;

3– आईएमएसएस और माइन–मित्रा के डम्प डेटा की डेटा डिक्शनरी।

अध्याय–II

खनिज परिहार की स्वीकृति

अध्याय–II

खनिज परिहार की स्वीकृति

सारांश

सतत बालू खनन प्रबन्धन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार पुलों के पास बालू खनन नहीं किया जायेगा। हालांकि, लेखापरीक्षा ने चार दृष्टांत देखे जिनमें पुलों के पास खनन के पट्टे आवंटित कर दिए गए। 84 सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा राशि और रायल्टी की प्रथम किश्त विलम्ब से सरकारी खाते में जमा की गई। विभाग 43 पट्टा विलेख के निष्पादन में विलम्ब के लिये प्रतिभूति राशि और रायल्टी की प्रथम किश्त जब्त करने में विफल रहा। यह देखा गया कि 54 पट्टाधारकों ने पुनर्ग्रहण और पुनर्वास की लागत के विरुद्ध अपेक्षित वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत नहीं किया/कम प्रस्तुत किया। विभाग यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि 613 स्टोन क्रशर इकाइयाँ भण्डारण लाइसेंस लेने के बाद ही संचालित हों। एक प्रकरण में खनन योजना के अनुमोदन से पहले खनन योजना में प्रमाणित भण्डार और कुल भण्डार का निर्धारण उचित तरीके से नहीं किया गया था।

2.1 परिचय

खा0ख0वि0वि0 अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अधीन, राज्य सरकार को उप खनिजों के लिए खनिज परिहार देने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। तदनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार (उ0प्र0स0) ने उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (उ0प्र0उ0ख0प0) नियमावली, 1963 तैयार किया। वर्तमान में राज्य में खनिज परिहार लम्बी अवधि के खनन पट्टों के लिए ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली और अल्पावधि[10] पट्टों के लिए खनन परमिट प्रणाली के माध्यम से दी जाती है।

खनन पट्टे के रूप में किसी भी खनिज परिहार का व्यवस्थापन उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 (समय–समय पर संशोधित) के नियम 27 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं को आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त करने के बाद उक्त नियमों के नियम 29 के अनुसार अनुमोदित खनन योजना और पर्यावरण मंजूरी (प0म0) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जहाँ नियमों के अन्तर्गत खनिज परिहार स्वीकृत किया जाता है, वहाँ पर्यावरण मंजूरी देने के एक महीने के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा। निष्पादित पट्टा विलेख तीन माह की अवधि के अन्दर पंजीकृत किया जाएगा। यदि जिस व्यक्ति को ऐसा खनिज परिहार स्वीकृत किया गया है, वह उपरोक्त अवधि के अन्दर निष्पादन/पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है, तो जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), एलओआई को रद्द करने के बाद, जमा की गई रायल्टी और प्रतिभूति राशि की पहली किश्त राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लेगा।
लेखापरीक्षा ने चयनित कार्यालयों और डीजीएम के अभिलेखों की जाँच की और लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अनियमितताओं की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2 पुलों के निकट खनन पट्टों का आवंटन

सतत बालू खनन प्रबन्धन दिशानिर्देश (एसएसएमएमजी), 2016 के अनुसार, पुलों से 200 से 500 मीटर के अन्दर स्थित किसी भी क्षेत्र में बालू खनन नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि खनन की गहराई तीन मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो,

---

[10] अधिकतम छह माह तक।

तक सीमित होगी और जल धारा में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश दिनाँक 05 अप्रैल 2019 के अनुसार राज्य सरकार को एसएसएमएमजी, 2016 का पालन करना आवश्यक है। एनजीटी ने पुनः अपने आदेश दिनाँक 26 फरवरी 2021 के माध्यम से सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को बालू खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों (ईएमजीएसएम, 2020) के साथ पढ़े जाने वाले एसएसएमएमजी, 2016 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।

गूगल अर्थ प्रो में सीमांकन रिपोर्ट/पर्यावरण मंजूरी (प0म0) के अनुसार दिखाए गए 231 खनन पट्टों के भू–निर्देशांकों का अंकन करने के बाद, लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन जनपदों में पुलों के पास बालू/मोरम के चार खनन पट्टे आवंटित किए गए थे। विवरण **तालिका–2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1

पुलों के पास खनन पट्टे

जनपद का नाम	पुलों के पास खनन पट्टों की संख्या	चित्र संख्या
बांदा	2	2.1 एवं 2.2
चित्रकूट	1	2.3
कानपुर देहात	1	2.4

क्रमांक सहित चित्र

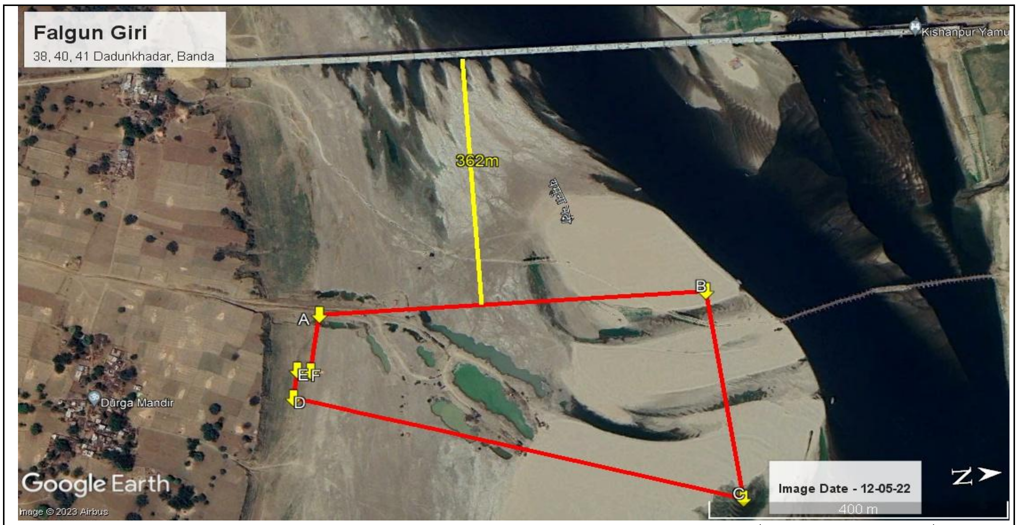

चित्र: 2.1 सुश्री फाल्गुन गिरी –38, 40, 41 दादूंखादर, बांदा (पट्टा अवधि 08.04.2022 से 07.04.2027) पुल से दूरी 362 मीटर (डाउनस्ट्रीम)

चित्र: 2.2 मेसर्स त्रिपाठी कांट्रेक्टर, 1130 अछरौड़, बांदा (पट्टा अवधि 01.03.2021 से 28.02.2026) पुल से दूरी 254 मीटर (डाउनस्ट्रीम)

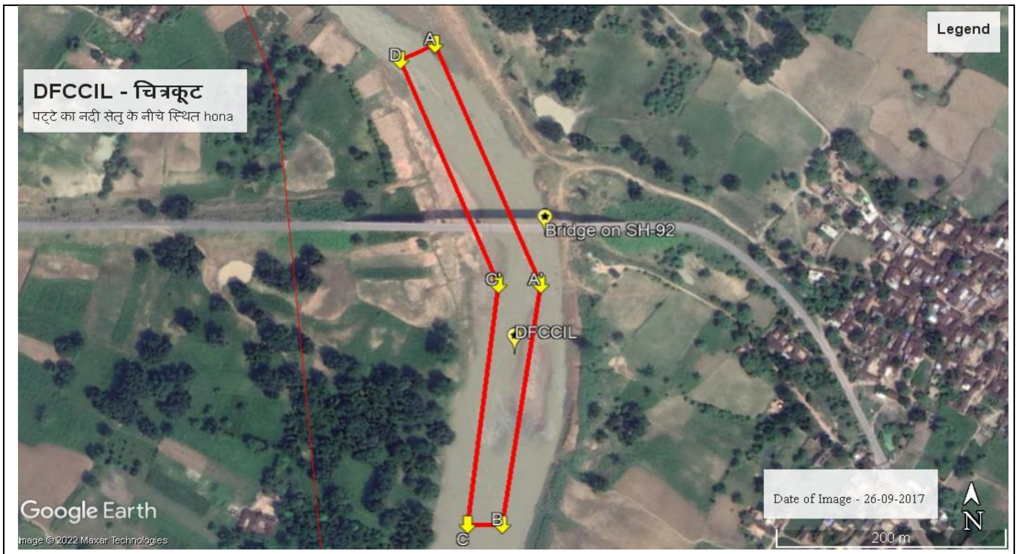

चित्र : 2.3 डीएफसीसीआईएल, 190/2 लमियारी, चित्रकूट (पट्टा अवधि 23.10.2017 से 07.11.2019) पट्टा पुल के नीचे है (राज्य राजमार्ग 92 का हिस्सा)

चित्र: 2.4 इंदर सिंह–खा–01 दौलतपुर कछार, कानपुर देहात (पट्टा अवधि 06.12.2021 से 05.12.2026) पुल से दूरी (राष्ट्रीय राजमार्ग 27 का हिस्सा) – 210 मीटर

उपरोक्त चित्रों में यह स्पष्ट था कि एसएसएमएमजी, 2016 का उल्लंघन करते हुए पुलों के पास पट्टे दिए गए थे।

महत्वपूर्ण संरचनाओं के पास पट्टे देने से संरचना के नीचे की मिट्टी की रूपरेखा को खराब कर पुल के सहारे को कमजोर कर सकते हैं, जिससे इसका जीवन काल कम हो सकता है।

समापन गोष्ठी में शासन ने कहा कि नदियों पर पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य पट्टा विलेख के निष्पादन के बाद प्रारम्भ हुआ। यद्यपि, शासन ने उपरोक्त मामलों की जाँच कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पुलों के पास खनन पट्टे पुलों के निर्माण के बाद आवंटित किये गये थे।

संस्तुति 1:

सरकार सतत बालू खनन प्रबन्धन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है और पुलों के पास पट्टे नहीं दे सकती है।

2.3 गलत भू–निर्देशांक का अनुमोदन

गूगल अर्थ प्रो पर खनन योजना/पर्यावरण मंजूरी (प0म0) में दर्शाये गये 14 जनपदों के 231 खनन परमिटों/पट्टों के भू–निर्देशांकों का अंकन करने के बाद, लेखापरीक्षा ने देखा कि जेपी नगर जनपद में दो बालू परमिट के क्षेत्र और हमीरपुर जनपद में दो खनन पट्टों के क्षेत्र सही नहीं थे क्योंकि दोनों परमिटों/पट्टों के क्षेत्र एक–दूसरे पर प्रतिच्छादित थे, जैसा कि निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है। इसके अलावा, एमएनएनआईटी इलाहाबाद, प्रयागराज के जीआईएस सेल ने भी हमीरपुर जिले में उपरोक्त कमियों की पुष्टि की।

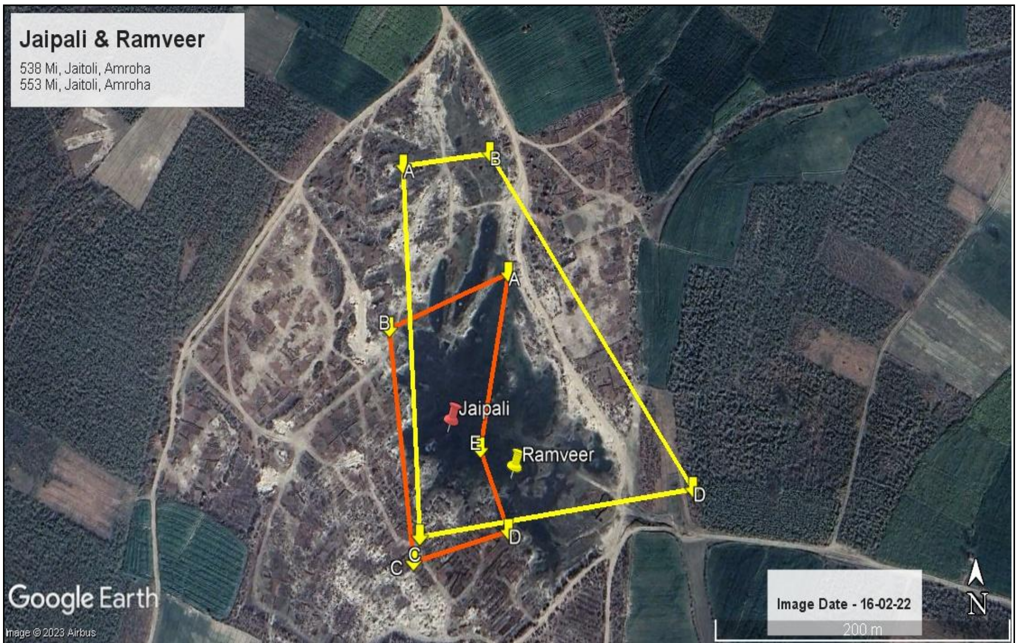

चित्र: 2.5–गूगल अर्थ इमेजरी में जेपी नगर में दो चल रहे परमिटों के लिए पाए गए परमिट समन्वय का प्रतिच्छादन

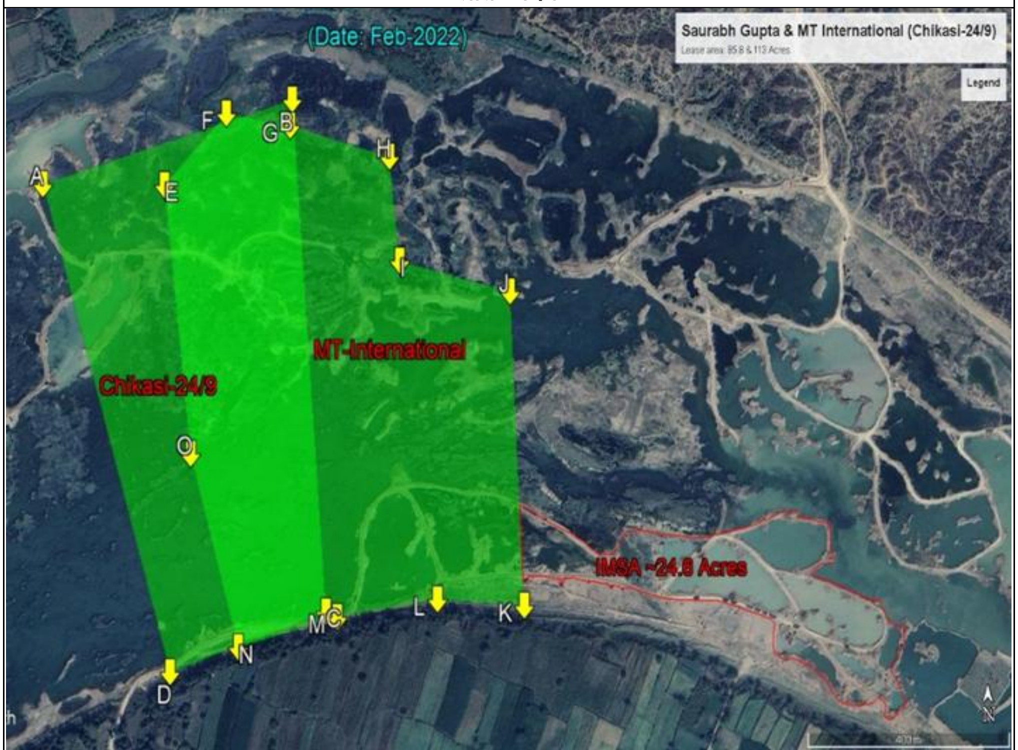

चित्र:2.6 – गूगल अर्थ इमेजरी हमीरपुर में पट्टों की ओवरलैपिंग को दर्शाता है

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि दोनों परमिटों/पट्टों की गाटा संख्या अलग–अलग थी और परमिटों/पट्टों का प्रति–आच्छादन इंगित करता है कि या तो खनन अधिकारी

द्वारा गहन क्षेत्र सर्वेक्षण नहीं किया जा सका या परमिटों/पट्टों के भू–निर्देशांक ठीक से सुनिश्चित नहीं किए जा सके।

समापन गोष्ठी में शासन ने कहा कि सभी परमिट निजी व्यक्तियों के हैं और खनन योजना बनाते समय पंजीकृत अर्ह व्यक्ति उनके स्तर पर सामंजस्य स्थापित कर योजना बनाते हैं। फिर भी इस प्रकार के मामलों की जाँच कर कार्यवाही की जायेगी। तथ्य यह है कि ये पट्टे उचित क्षेत्रीय सर्वेक्षण किए बिना प्रदान किए गए थे।

2.4 सीमा स्तम्भों का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाना

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 35 में उपबन्धित है कि पट्टाधारक सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक सीमा चिन्हों और स्तम्भों को खड़ा करेगा और हर समय रख रखाव एवं अच्छी मरम्मत करेगा। एसएसएमएमजी, 2016 के अनुसार, पट्टा क्षेत्र की सीमा को पक्के स्तम्भों से सीमांकन करने के बाद ही खनन शुरू किया जाना चाहिए।

परामर्शदाता द्वारा विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में हमीरपुर एवं प्रयागराज (18 जनपदों में हमीरपुर की सरीला तहसील एवं प्रयागराज की बारा तहसील क्षेत्र भ्रमण के लिये चयनित किये गये थे) के बालू/मोरम/गिटटी के तीन पट्टों के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान पाया गया कि सीमा स्तम्भ ठीक से नहीं लगाये गये थे। या तो वहाँ कोई स्तम्भ नहीं था या टूटा हुआ स्तम्भ था या फिर कोई स्थाई ढाँचा नहीं था। बारा, प्रयागराज में अमन ब्रिक फील्ड के पट्टा क्षेत्र में स्थायी स्तम्भों में से एकमात्र स्तम्भ अपनी वास्तविक सीमा स्थान से 80 मीटर दूर पाया गया। निम्नलिखित चित्र स्थिति को दर्शाते हैं:

चित्र: 2.7– भेड़ी खरका, सरीला, हमीरपुर की फील्ड विजिट

चित्र: 2.8– टूटा हुआ स्तम्भ जो ए.जे. कंस्ट्रक्शन के पास पाया गया भेड़ी खरका, सरीला, हमीरपुर

चित्र: 2.9– सरिता कंस्ट्रक्शन, बारा, प्रयागराज के भौतिक सत्यापन के दौरान स्थायी सीमा स्तम्भ नहीं पाए गए।

चित्र: 2.10– बारा के अमन ब्रिक फील्ड में एकमात्र स्थायी स्तम्भ अपने वास्तविक स्थान से 80 मीटर दूर पाया गया

पट्टा क्षेत्र में अवैध एवं अवैज्ञानिक खनन को रोकने के लिए सीमा स्तम्भ को सही ढंग से स्थापित किया जाना चाहिए। सही ढंग से स्थापित स्तम्भ के बिना अवैध खनन गतिविधियों पर नजर रखना संभव नहीं है। सम्बन्धित जि0खा0अ0 पट्टा क्षेत्र का उचित सीमांकन सुनिश्चित करने में विफल रहे।

शासन ने समापन गोष्ठी में कहा कि जनपदों में लगातार जाँच की जाती है, अनियमिततायें मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि इन पट्टा क्षेत्रों के भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि सीमांकन स्तम्भ ठीक से स्थापित नहीं पाये गये थे।

2.5 प्रतिभूति जमा राशि और रायल्टी की पहली किश्त शासकीय खाते में विलम्ब से जमा होना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में उपखनिज के पट्टों के आवंटन हेतु अगस्त 2017 से ई–नीलामी/ई–निविदा/ई–निविदा सह ई–नीलामी की व्यवस्था लागू की गयी है। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक बोलीदाता/निविदाकर्ता को नोटिस में निर्धारित बयाना राशि के रूप में धनराशि जमा करनी होगी। सफल बोलीदाताओं/निविदाकर्ताओं को छोड़कर शेष बोलीदाताओं/निविदाकर्ताओं को बयाना राशि वापस कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश[11] दिनाँक 14 अगस्त 2017 में कहा गया है कि उप खनिजों के पट्टे के लिए प्रत्येक सफल बोलीदाता को एलओआई प्राप्त करने के बाद प्रथम वर्ष की देय रायल्टी का 50 प्रतिशत (25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा और 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में) आशय पत्र (एलओआई) जारी होने के दिनांक से दो कार्य दिवसों के भीतर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन (एमएसटीसी)[12] के भुगतान गेटवे माध्यम से जमा करना होगा। सफल बोलीदाता/निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई बोली–पूर्व बयाना राशि को उक्त राशि जमा करने से पहले समायोजित किया जाएगा। उ0 प्र0 सरकार और एमएसटीसी के बीच निष्पादित अनुबन्ध[13] के अनुसार एमएसटीसी द्वारा सम्बन्धित जिले से एमएसटीसी को एलओआई की प्राप्ति के दिनांक से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर राजस्व डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से डीजीएम कार्यालय को भेज दिया जाएगा।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के भाग I के नियम 21 के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 266, 267 और 284 में परिभाषित सभी धन, बिना किसी विलम्ब के, पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी की आधिकारिक क्षमता में बैंक या ट्रेजरी में जमा किया जाएगा और शासकीय लेखे में सम्मिलित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0[14] (चूँकि, जनपद जे पी नगर और मुजफ्फरनगर में कोई पट्टा नहीं दिया गया है) में 217 पट्टों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और 10 जि0खा0का0[15] के 84 पट्टों में देखा कि सफल बोली दाता द्वारा एमएसटीसी पोर्टल पर जमा किये गये बोली पूर्व बयाना राशि, प्रतिभूति जमा और रायल्टी की प्रथम किश्त का डिमाण्ड ड्राफ्ट एलओआई जारी होने के दिनांक से 12 दिनों से 424 दिनों के व्यतीत हो जाने के बाद एमएसटीसी द्वारा डीजीएम को सौंपा गया, जैसा कि **परिशिष्ट–I** में वर्णित है।

अग्रेतर, यह पाया गया कि डीजीएम ने इन डिमाण्ड ड्राफ्टों को सम्बन्धित जि0खा0अ0 को उचित लेखे के अन्तर्गत कोषागार में जमा करने के लिए भेजा था और ये डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) एलओआई जारी होने के दिनाँक से 19 दिनों से 441[16] दिनों के व्यतीत हो जाने के बाद कोषागार में जमा किए गए थे। डीजीएम ने सरकारी राजस्व को समय पर सरकारी लेखे में जमा कराना सुनिश्चित नहीं किया। इसके अलावा, एमएसटीसी और सरकार के बीच निष्पादित अनुबन्ध में सरकारी राजस्व को डीजीएम कार्यालय को अग्रेषित

[11] पैरा 19(2)।

[12] ई–नीलामी हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सेवा प्रदाता।

[13] 22 अक्टूबर 2019।

[14] जहाँ ई–नीलामी के जरिए खनन पट्टे दिए गए।

[15] बांदा, चित्रकूट, फ़तेहपुर, जी.बी. नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज और सोनभद्र।

[16] इस मामले में एलओआई 27.07.2018 को जारी किया गया था. हालाँकि, एमएसटीसी ने डीडी दिनाँक 24.09.2029 को पत्र दिनाँक 03.10.2019 के माध्यम से अग्रेषित किया। इसे अंततः 11.10.2019 को सरकारी खाते में जमा कर दिया गया।

करने में एमएसटीसी की ओर से हुये विलम्ब के लिए शास्ति के किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया था।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि कार्य की व्यस्तता के कारण कभी–कभी जिलाधिकारी द्वारा निदेशालय से बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने में देरी हो जाती है जिसके कारण इसे निर्धारित लेखा शीर्ष में कुछ विलम्ब से जमा किया जाता है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमएसटीसी ने एलओआई जारी होने के दिनाँक से 12 दिनों से 424 दिनों के व्यतीत हो जाने के बाद डीडी सौंपे और ये डीडी 19 दिनों से 441 दिनों के व्यतीत हो जाने के बाद राजकोष में जमा किए गए। विभाग को इन मामलों की जाँच करनी चाहिए जिससे यह पता लगाया जा सके कि विलम्ब किस बिन्दु पर हुआ था।

2.6 पट्टा विलेख के निष्पादन में विलम्ब पर प्रतिभूति राशि और रायल्टी की पहली किश्त का जब्त न किया जाना

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 (47वां संशोधन 2019) के नियम 34 (5) के अनुसार, प0म0 की तिथि से एक महीने की अवधि के अन्दर प्रस्तावक द्वारा पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा। यदि पट्टा विलेख निर्धारित अवधि के भीतर निष्पादित नहीं किया जाता है, तो उक्त आशय पत्र रद्द कर दिया जाएगा और प्रतिभूति राशि और रायल्टी की प्रथम किश्त उक्त नियमावली के नियम 59 (1) के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 में 217 पट्टों की पत्रावलियों की नमूना जाँच किया और नौ जि0खा0का0[17] में देखा कि 43 पट्टा विलेख, प्रस्तावक द्वारा प0म0 प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद 4 दिनों से 1,007 दिनों[18] के विलम्ब से निष्पादित किए गए थे। चूँकि, ये पट्टा विलेख प0म0 प्राप्त करने के बाद एक महीने की अवधि के अन्दर निष्पादित नहीं किए गए थे, इसलिए प्रतिभूति की धनराशि और रायल्टी की प्रथम किश्त ₹ 104.77 करोड़ जब्त की जानी थी। हालाँकि, आशय पत्र रद्द नहीं किया गया और उपरोक्त राशि जब्त नहीं की गई। विवरण **परिशिष्ट–II** में दर्शाया गया है।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में कहा कि उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 35 (5) के प्रावधान के अनुसार खनन पट्टा प्रस्तावक के पक्ष में पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र जारी होने के दिनाँक से एक माह के भीतर निष्पादित किया जाएगा। उक्त नियम में निर्धारित अवधि के भीतर खनन पट्टा विलेख निष्पादित नहीं करने पर खनन पट्टा रद्द किये जाने तथा प्रतिभूति राशि जब्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 59 (1) और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 2021 के नियम 60 (1) में प्रावधान है कि यदि प्रस्तावक पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के एक महीने के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित करने में विफल रहता है तो आशय पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रतिभूति राशि एवं रायल्टी की प्रथम किश्त जिलाधिकारी द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

2.7 खनन पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

रायल्टी और जि0ख0फा0ट्र0 में देय अंशदान (रायल्टी के 10 प्रतिशत के बराबर राशि) खनन पट्टों की स्वीकृति के लिए पट्टाधारकों द्वारा भुगतान किया जाता है। खनन पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क[19] आरोपित किया जाता है।

---

[17] चित्रकूट, फ़तेहपुर, जी बी नगर, हमीरपुर, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, शामली और सोनभद्र।

[18] 180 दिन तक की देरी, मामले 29; 181 से 365 दिन के बीच देरी के मामले पाँच और एक साल से अधिक की देरी के मामले नौ।

[19] पंजीकरण शुल्क ₹ 20,000 दिनांक 12.02.2020 तक देय था। दिनांक 13.02.2020 से प्रतिफल राशि की एक प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क देय थी।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (भा0स्टा0 अधिनियम) की अनुसूची I–बी के अनुच्छेद 35 (बी) (i) में उपबन्धित है कि जहाँ तीस साल से अनधिक अवधि के लिए पट्टा नजराने या प्रीमियम के लिए, या अग्रिम दिए गये धन के लिए स्वीकृत किया गया है और जहाँ कोई किराया आरक्षित नहीं है, तो स्टाम्प शुल्क प्रभार्य पट्टे में निर्धारित ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम की राशि या मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए अन्तरण के समान होना चाहिए। ऐसे पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रतिफल के दो/चार[20] प्रतिशत की दर से प्रभार्य था। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 35 के स्पष्टीकरण (I) में कहा गया है कि जब कोई पट्टाधारक आवर्तक प्रभार जैसे सरकारी लगान, भू–स्वामी के भाग का सेस या मकान मालिक के भाग के नगर पालिका दर या टैक्स, जो विधि अनुसार पट्टादाता से वसूल होते है अदा करना स्वीकार करे तो वे राशियाँ जिनको अदा करने का इकरार पट्टाग्रहीता द्वारा किया गया हो किराये का भाग समझी जायेगी।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0[21] में 217 पट्टों की पत्रावलियों की नमूना जाँच किया और देखा कि अप्रैल 2017 और मार्च 2022 के बीच पाँच से 20 साल की अवधि के लिए निष्पादित 173 खनन पट्टा विलेखों में, स्टाम्प शुल्क वसूलने के लिए केवल रायल्टी की राशि को शामिल किया गया था और जि0ख0फा0ट्र0 में देय अंशदान को शामिल नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, ₹ 6,532.77 करोड़ के प्रतिफल पर केवल ₹ 190.59 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क लिया गया। हालाँकि, ₹ 7,186.05 करोड़ के प्रतिफल पर ₹ 211.55 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस लिया जाना चाहिए था। इस प्रकार, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की कम वसूली के कारण शासन को ₹ 20.96 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा, जैसा कि **परिशिष्ट–III** में दर्शाया गया है।

समापन गोष्ठी में विभाग ने बताया कि ट्रस्ट में जमा की गई धनराशि राजकोष में जमा नहीं होती, जिससे उस पर स्टाम्प शुल्क की कोई देयता नहीं बनती।

विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पट्टा विलेख के विवरण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि रायल्टी के अलावा, जि0ख0फा0ट्र0 में किये गये अंशदान का भी भुगतान करना आवश्यक था। इस प्रकार, भा0स्टा0 अधिनियम की अनुसूची 1 बी के अनुच्छेद 35 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, जि0ख0फा0ट्र0 में किये गये अंशदान पर स्टाम्प शुल्क आरोपित करने के उद्देश्य से पट्टे के प्रतिफल मूल्य में शामिल किया जाना आवश्यक था। अग्रेतर, जीएसटी, आन्ध्र प्रदेश के अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण में, डी0एम0एफ0 की राशि प्रतिफल के रूप में माना गया था।

2.8 पट्टाधारकों से वित्तीय आश्वासन नहीं/कम लिया जाना

पट्टाधारक द्वारा सक्षम प्राधिकारी को वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि प्राधिकरण को पुनर्ग्रहण और पुनर्वास लागत के खिलाफ क्षतिपूर्ति दी जा सके। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 (2017 में संशोधित) के नियम 34 (6) में प्रावधान है कि प्रत्येक पट्टाधारक को वित्तीय आश्वासन देना होगा। वित्तीय आश्वासन की राशि इन–सीटू–चट्टान जमा के लिए पच्चीस हजार रुपये और बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से किसी भी मिश्रित अवस्था में विशेष रूप से नदी तल की खदानों में पाए जाने वाले खनन पट्टे के लिए पन्द्रह हजार रुपये प्रति एकड़ खनन और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए उपयोग किये जाने वाले क्षेत्र की होगी। हालाँकि, उप–नियम (7) में निर्दिष्ट किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय आश्वासन की न्यूनतम राशि प्रत्येक श्रेणी की खदानों या सम्बन्धित क्षेत्र के लिए दो लाख रुपये होगी।

---

[20] किसी विकास क्षेत्र के भीतर स्थित अचल संपत्ति के मामले में।

[21] बागपत, बांदा, बुलन्दशहर, चित्रकूट, फ़तेहपुर, जीबी नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

वित्तीय आश्वासन जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित में से किसी एक रूप में पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगाः

(ए) किसी भी अनुसूचित बैंक से साख पत्र

(बी) निष्पादन या ज़मानत बाण्ड;

(सी) किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूति या सक्षम प्राधिकारी को स्वीकार्य कोई अन्य गारन्टी।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 में 217 पट्टों की पत्रावलियों की नमूना जाँच किया और 14 जि0खा0का0[22] में देखा कि सम्बन्धित जि0खा0अ0 द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले 54 पट्टाधारकों से ₹ 3.74 करोड़ की वित्तीय आश्वासन की राशि संग्रहीत नहीं की गई थी। विभाग ने सम्बन्धित पट्टाधारकों से वित्तीय आश्वासन संग्रह करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। अग्रेतर, प्रयागराज जनपद के 11 पट्टाधारकों ने ₹ 43.58 लाख के सापेक्ष ₹ 23.00 लाख जमा किये। अतः पट्टाधारकों द्वारा ₹ 20.58 लाख कम जमा किये गये। इस प्रकार, पट्टाधारकों ने ₹ 3.95 करोड़ का वित्तीय आश्वासन जमा नहीं किया/कम जमा किया। विवरण **परिशिष्ट–IV** में दर्शाया गया है।

समापन गोष्ठी में शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

संस्तुति 2:

सरकार पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले सफल बोलीदाताओं से वित्तीय आश्वासन का संग्रह सुनिश्चित कर सकती है।

2.9 बिना भण्डारण लाइसेंस के स्टोन क्रशर इकाईयों का संचालन

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 (समय–समय पर संशोधित) के नियम 70(2) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति उप नियम (1) के अन्तर्गत जारी एमएम[23]–11 और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2002 और 2018 के नियम 5 (2) के अन्तर्गत या अन्य राज्य सरकारों द्वारा जारी फार्म[24] सी के बिना राज्य में किसी भी खनिज का परिवहन नहीं करेगा। सरकार ने 9 मार्च 2019 के अपने आदेश[25] में स्पष्ट किया कि स्टोन क्रशर उद्योगों और अन्य खनिज आधारित उद्योगों को भी भण्डारण लाइसेंस दिया जाएगा। नियम 2018 के नियम 5(2) में यह भी प्रावधान है कि आवेदक को भण्डारण लाइसेंस के लिए दस हजार रुपये की गैर–वापसी योग्य फीस जमा करनी होगी।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और छह जि0खा0का0 में देखा कि स्टोन क्रशरों को भण्डारण लाइसेंस नहीं दिया गया था। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (उ0प्र0प्र0नि0बो0) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह देखा गया कि पत्थरों के संदलन के लिए 1,035 स्टोन क्रशर इकाईयाँ स्थापित की गईं, जिनमें से 708 स्टोन क्रशर इकाईयों को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से संचालन की सहमति (सीटीओ) प्रदान की गई। इसके अलावा, यह पाया गया कि 613 स्टोन क्रशर उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यक भण्डारण लाइसेंस लिए बिना संचालित थे। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने इन स्टोन क्रशर इकाइयों को भण्डारण लाइसेंस देने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। विवरण **तालिका–2.2** में दर्शाया गया है।

---

[22] बागपत, बांदा, फ़तेहपुर, जीबी नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

[23] ट्रान्जिट पास (रवन्ना) लघु खनिज के परिवहन के लिए खनन पट्टा या परमिट धारक द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पट्टेदार और खेप लेने वाले का नाम और पता, खनिजों की प्रकृति और मात्रा और वाहन संख्या का विवरण शामिल है जिसके माध्यम से खनिजों का परिवहन किया जाता है।

[24] खनिजों के भण्डारण के लिए लाइसेंस धारक भण्डारण से खनिजों के वैध परिवहन के लिए फार्म सी में ट्रान्जिट पास जारी करेगा।

[25] जीओ नं0. 583/86–2019–183/2011 दिनाँक 09 मार्च 2019 के माध्यम से।

तालिका 2.2

स्टोन क्रशर इकाइयों के भण्डारण लाइसेंस का विवरण

जिले का नाम	स्थापित स्टोन क्रशर की संख्या	स्टोन क्रशर इकाइयों की संख्या जिन्हें यूपीपीसीबी द्वारा एनओसी दी गई	स्टोन क्रशर को भण्डारण लाइसेंस दिया गया
बांदा	30	9	0
चित्रकूट	119	50	0
हमीरपुर	11	1	0
महोबा	311	202	0
प्रयागराज	85	67	0
सहारनपुर	95	95	95
सोनभद्र	384	284	0
योग	**1035**	**708**	**95**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि केवल जि0खा0अ0 सहारनपुर ने स्टोन क्रशर को भण्डारण लाइसेंस प्रदान किया है। बिना भण्डारण लाइसेंस के 613 स्टोन क्रशर के संचालन से ₹ 61.30 लाख के शुल्क की हानि के साथ–साथ अवैध रूप से खनिजों के परिवहन को प्रोत्साहन मिला।

सरकार ने समापन गोष्ठी में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और सभी स्टोन क्रशर इकाइयों को यथा शीघ्र लाइसेंस देने का आश्वासन दिया।

2.10 वार्षिक खनन योग्य मात्रा में कमी के कारण राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आदेश[26] दिनाँक 14 अगस्त 2017 द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनिज परिहार प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि ई–टेण्डर सह ई–नीलामी में भाग लेने से पहले बोलीदाताओं को क्षेत्र में खनिज की मात्रा और खनन स्थल तक पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में स्थल का निरीक्षण करके आश्वस्त हो जाना चाहिए। ई–टेन्डर सह ई–नीलामी में भाग लेने के बाद इस सम्बन्ध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 217 पट्टों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और जि0खा0का0 कानपुर देहात में देखा कि तहसील सिकन्दरा के ग्राम बिलासपुर कछार की गाटा संख्या 58 के लिए साधारण बालू की ई–निविदा सह ई–नीलामी के लिए निविदायें 3 दिसम्बर 2018 को आमन्त्रित की गई थीं, जिसमें वार्षिक खनन योग्य मात्रा 3,33,810 घन मीटर अनुमानित की गई थी। पहले चरण की निविदा 18 दिसम्बर 2018 से 19 दिसम्बर 2018 तक और दूसरे चरण की निविदा 20 दिसम्बर 2018 को खोली गई थी। ₹ 264 प्रति घन मीटर की उच्चतम बोली के आधार पर मेसर्स आनंदेश्वर एग्रो फूड्स प्रा0 लिमिटेड को 5 फरवरी 2019 को एलओआई जारी किया गया था।

अग्रेतर यह देखा गया कि 08 जनवरी 2019 और 14 फरवरी 2019 को बोलीदाता ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि बालू की उपलब्धता केवल क्षेत्र के कुछ हिस्से में है और बाकी हिस्से में पानी बह रहा है, इसलिए बालू की खनन योग्य मात्रा का ताजा अनुमान लगाकर पूर्व अधिसूचित मात्रा को संशोधित किया जाय। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी/प्रशासन, उप जिलाधिकारी/सिकन्दरा एवं खान निरीक्षक कानपुर देहात को स्थल निरीक्षण कर जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर खनन योग्य मात्रा प्रति वर्ष 1,10,057 घन मीटर आंकी गई। जिलाधिकारी कानपुर देहात ने पत्र दिनाँक 22 अप्रैल 2019 द्वारा डीजीएम से बोलीदाता के अनुरोध पर खनन क्षेत्र एवं अनुमानित मात्रा को कम करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया। प्रत्युत्तर में डीजीएम ने उपरोक्त शासनादेश दिनाँक 14 अगस्त

[26] 1875/86–2017–57(सामान्य)/2017 टीसी–1 दिनाँक 14.08.2017।

2017 में उल्लिखित शर्त का हवाला देते हुए 23 मई 2019 को जिलाधिकारी को सूचित किया कि इस मामले में अपने स्तर से कार्यवाही कर निर्णय लिया जाये। संयुक्त समिति की 16 मार्च 2019 की जाँच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा वार्षिक खनन योग्य मात्रा 1,10,057 घन मीटर निर्धारित की गयी। 14 अगस्त 2017 के आदेश में उल्लिखित शर्तों के विरुद्ध जिलाधिकारी द्वारा खनन योग्य मात्रा में कमी की गई थी। इस प्रकार, पट्टाधारक को अनुचित लाभ दिया गया था और वार्षिक मात्रा में कमी के कारण, सरकार को रायल्टी के रूप में 5.91 करोड़[27] प्रति वर्ष के भारी राजस्व से वंचित होना पड़ा था।

सरकार ने समापन गोष्ठी में कहा कि मात्रा में अन्तर पुनःपूर्ति[28] के कारण हो सकता है, हालाँकि मामले की जाँच की जाएगी। शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिलाधिकारी ने 14 अगस्त 2017 के सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए वार्षिक मात्रा कम कर दी।

2.11 प्रमाणित भण्डार में विसंगति से अवैध खनन के जोखिम का संकेत मिलना

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 34 के अनुसार, खनन संक्रियाएं खनन योजना के अनुसार की जायेंगी।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 में 217 पट्टों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और देखा कि जि0खा0का0 प्रयागराज में एक प्रकरण में सिलिका सैन्ड की पट्टाधारक श्रीमती निर्मल रानी चावला के पक्ष में 24 जुलाई 2015 को स्वीकृत खनन योजना के अनुसार प्रमाणित भण्डार की मात्रा 26,19,548 टन थी और कुल आरक्षित और संसाधन की मात्रा 82,79,796 टन थी। वर्ष 2015–16 और 2019–20 के बीच पट्टाधारक द्वारा कुल 1,13,594.64 टन सिलिका बालू का उत्खनन और परिवहन किया गया। इसके अलावा, खनन योजना दिनाँक 15 नवम्बर 2019 (10 जनवरी 2020 को अनुमोदित) के अनुसार, प्रमाणित भण्डार की मात्रा को घटाकर 9,94,770 टन कर दिया गया और कुल आरक्षित और संसाधन की मात्रा को घटाकर 40,38,274 टन कर दिया गया। इस प्रकार, पाँच वर्षों के अन्दर प्रमाणित भण्डार की मात्रा में 16,24,778 टन की कमी हुई और कुल आरक्षित और संसाधन की मात्रा में 42,41,522 टन की कमी हुई, जबकि उक्त अवधि के दौरान पट्टाधारक द्वारा केवल 1,13,594.64 टन सिलिका बालू का उत्खनन और परिवहन किया गया था। इससे संकेत मिलता है कि या तो खनन योजना में प्रमाणित भण्डार और कुल आरक्षित और संसाधन की मात्रा का निर्धारण खनन योजना के अनुमोदन से पहले ठीक से नहीं किया गया था अथवा अवैध रूप से खनिज निकालने के जोखिम से इन्कार नहीं किया जा सकता है। बाद के प्रकरण में खनन योजना को मंजूरी देते समय डीजीएम ने इस विसंगति पर ध्यान नहीं दिया। इस विसंगति की उचित जाँच की आवश्यकता है।

खनन योजना को तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार तैयार किया जाना है कि खनन क्षेत्र के विकास में सहायता मिल सके। पट्टाधारक को खनन योजना में उल्लिखित भण्डार के अनुसार खनिजों का उत्खनन करना होगा। यदि खनन योजना वैज्ञानिक तरीके से तैयार नहीं की गई तो विभाग का खनन पर कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा और पट्टाधारक अवैज्ञानिक तरीके से अधिक खनिज निकाल सकता है।

सरकार ने समापन गोष्ठी में आश्वासन दिया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) तैयार करते समय प्रमाणित भण्डार का निर्धारण वैज्ञानिक तकनीक से किया जाएगा।

2.12 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने ऐसे दृष्टांत देखे जहाँ खनन पट्टे पुलों के पास दिए गए। सफल बोली दाता द्वारा भुगतान किये गये प्रतिभूति जमा और रायल्टी की प्रथम किश्त विलम्ब से शासकीय खाते में जमा की गयी थी। पट्टा विलेख के निष्पादन में विलम्ब के लिये प्रतिभूति जमा और रायल्टी की प्रथम किश्त जब्त नहीं की गयी थी। पट्टा विलेख के

---

[27] 3,33,810 मी^{3} – 1,10,057 मी^{3} = 2,23,753 मी^{3} * ₹ 264= ₹ 5,90,70,792।

[28] बालू के भण्डार को पूर्व स्तर या स्थिति में बहाल करना।

निष्पादन से पहले वित्तीय आश्वासन संग्रहीत नहीं किया गया था। स्टोन क्रशर इकाइयों को भण्डारण लाइसेंस देने के सरकारी आदेश का विभाग पालन नहीं कर सका। ये दृष्टांत इंगित करते हैं कि खनन गतिविधियों की निगरानी में सुधार की सम्भावना है। प्रमाणित भण्डार की मात्रा में विसंगति से खनिजों के अवैध खनन के जोखिम का संकेत मिलता है, जिसकी उचित जाँच की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा द्वारा देखे गये खनिजों के अवैध उत्खनन के प्रकरणों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय IV में की गयी है।

अध्याय–III

राजस्व का उद्ग्रहण एवं संग्रहण

अध्याय–III

राजस्व का उद्ग्रहण एवं संग्रहण

सारांश

राज्य सरकार द्वारा रायल्टी/विनियमन शुल्क/पलोथन आदि के रूप में राजस्व उद्ग्रहित और एकत्रित किया जाता है। राज्य सरकार को रायल्टी सहित देय कोई भी राशि, यदि निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो राज्य सरकार पट्टाधारक से भू–राजस्व के बकाया के रूप में ऐसी देय राशि की वसूली कर सकती है।

विभाग को अपनी प्राप्तियों की निगरानी में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि खदानों के पट्टा/परमिट धारकों और ईंट भट्ठा मालिकों से बकाया राजस्व नहीं/कम वसूल किया गया था। 20 पट्टाधारकों द्वारा जि०ख०फा०ट्र० का अंशदान जमा नहीं किया गया। ई–नीलामी के लिए अधिकृत कम्पनी एमएसटीसी ने सफल बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई खनन प्राप्तियों से सेवा शुल्क काट लिया। विभाग ने अपने राजस्व को बढ़ा कर बताया क्योंकि प्रतिभूति की राशि पट्टाधारक द्वारा राजस्व मद में जमा की गई थी। संघ एवं राज्यों के लिये मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में प्रावधान होने के बावजूद उप खनिजों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों को उचित लघु शीर्ष के अन्तर्गत जमा नहीं किया जा रहा था।

विभाग ने पट्टाधारकों द्वारा खनन योजना प्रस्तुत करने की तिथि का उचित अभिलेख नहीं बनाकर रखा। लेखापरीक्षा ने खनन योजना तैयार करने की तिथि को प्रस्तुत करने की तिथि माना और पाया कि 25 पट्टाधारकों ने खनन योजना विलम्ब से प्रस्तुत किया था एवं विभाग ने इन मामलों में जुर्माना नहीं लगाया था। संशोधित खनन योजना के बिना खनिज उत्खनन करने वाले 14 पट्टाधारकों से विभाग द्वारा खनिज मूल्य एवं जुर्माना भी नहीं वसूला गया।

कार्यदायी संस्थाओं में ठेकेदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रान्जिट पास में अनियमितताएं देखी गईं, जैसे कि अन्य गंतव्य के लिए निर्गत किए गए, तीसरी प्रति/प्रतिरूप प्रति संलग्न, कार्य दिये जाने से पूर्व और कार्य पूर्ण होने के बाद की निर्गत तिथि थी।

3.1 परिचय

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 (समय–समय पर संशोधित) के नियम 28(2)(4) में प्रावधान है कि निविदा/नीलामी की राशि की किश्तें चतुर्थ अनुसूची के अनुसार त्रैमासिक तय की जाएंगी। उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 के नियम 58(1) में उपबन्धित है कि राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी पट्टाधारक को नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के अन्दर पट्टे के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय रायल्टी सहित कोई भी धनराशि अथवा अनिवार्य किराये का भुगतान करने के लिए नोटिस दे सकता है और यदि भुगतान के लिए निर्धारित तिथि के बाद पन्द्रह दिनों के अन्दर इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसके बाद खनन पट्टा समाप्त किया जा सकता है। यह अधिकार राज्य सरकार के उस अधिकार के अतिरिक्त होगा, जिसके अन्तर्गत वह पट्टाधारक से भू–राजस्व के बकाया के रूप में ऐसी राशि वसूल कर सकता है।

अग्रेतर, उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली, 2017 के नियम 10(2) के अनुसार उप खनिज के मामले में प्रत्येक खनिज परिहार/परमिट धारक को रायल्टी के अतिरिक्त वह राशि जो रायल्टी के 10 प्रतिशत के बराबर है या जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जा सकती है, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (जि०ख०फा०ट्र०) को भुगतान करना होगा जहाँ खनन कार्य किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने 18 जिला खान कार्यालयों और डीजीएम के अभिलेखों की जाँच किया। खनन संक्रियाओं से राजस्व के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई अनियमितताओं की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है:

लेखापरीक्षा परिणाम

3.2 रायल्टी और जि०ख०फा०ट्र० अंशदान

खनन पट्टों के लिए रायल्टी और जि०ख०फा०ट्र० में अंशदान को पट्टाधारक द्वारा त्रैमासिक/मासिक आधार पर सरकार को भुगतान करना आवश्यक है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो पट्टा निरस्त किया जा सकता है और नियमों के अनुसार रायल्टी को भू–राजस्व के बकाया के रूप में संगृहीत किया जा सकता है।

3.2.1 रायल्टी की वसूली न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 217 पट्टा पत्रावलियों की नमूना जाँच किया और चार जि0खा0का0[29] में देखा कि 10 पट्टाधारकों ने पट्टा विलेख के भुगतान अनुसूची के अनुसार जनवरी 2019 और मार्च 2022 के बीच देय ₹ 55.04 करोड़ की रायल्टी के विरूद्ध ₹ 7.43 करोड़ की राशि जमा किया। विभाग ₹ 47.61 करोड़ की रायल्टी वसूल करने में विफल रहा, जैसा कि **परिशिष्ट–V** में दर्शाया गया है।

3.2.2 जि०ख०फा०ट्र० में अंशदान संग्रह न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 217 पट्टा पत्रावलियों की नमूना जाँच किया और देखा कि पाँच जि0खा0का0[30] में अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के बीच 20 पट्टाधारकों द्वारा रायल्टी के 10 प्रतिशत की दर से जि०ख०फा०ट्र० में ₹ 13.71 करोड़ का योगदान जमा करना आवश्यक था, लेकिन उन्होंने जि०ख०फा०ट्र० में अंशदान नहीं जमा किया। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने भी इन बकाया राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। इसके परिणामस्वरूप जि०ख०फा०ट्र० में अंशदान की वसूली नहीं हो पाई जैसा कि **परिशिष्ट–VI** में दर्शाया गया है।

समापन गोष्ठी में शासन ने पट्टाधारकों से देय राशि वसूल करने का आश्वासन दिया। लेखापरीक्षा का मत है कि माइन मित्रा पोर्टल में ही ऐसा नियन्त्रण होना चाहिए जिससे समय पर राजस्व संग्रहण की निगरानी की जा सके।

3.3 ईंट भट्ठों से राजस्व के उद्ग्रहण एवं संग्रहण में अनियमितताएं

सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित ईंट भट्ठों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएसएस) में परमिट आवेदन शुल्क के साथ निर्धारित दरों पर रायल्टी की समेकित राशि के भुगतान का प्रावधान है। इसमें सरकार को देय रायल्टी, शुल्क या अन्य राशि के विलंबित भुगतान पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित करने का भी प्रावधान है। वर्ष 2017–18 के ओटीएसएस में ईंट निर्माण में उपयोग होने वाली पलोथन[31] मिट्टी पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत रायल्टी अधिरोपित की जानी थी। उ०प्र०जि०ख०फा०ट्र० नियमावली,

[29] फतेहपुर, हमीरपुर, प्रयागराज और सोनभद्र।
[30] चित्रकूट, फ़तेहपुर, हमीरपुर, प्रयागराज और सोनभद्र।
[31] रेत भरी मिट्टी।

2017 में उपबन्धित है कि प्रत्येक खनिज परमिट धारक को रायल्टी के अलावा, उस जिले के ट्रस्ट को रायल्टी के 10 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करना होगा जिसमें खनन कार्य किया जाता है। उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 (यथा संशोधित)[32] के प्रावधान के अनुसार, ईंट भट्ठा वर्ष[33] 2018–19 और उसके बाद के लिए रायल्टी के स्थान पर ईंट भट्ठा पर विनियमन शुल्क आरोपित किया गया है।

अग्रेतर, 23 नवम्बर 2017 के सरकारी आदेश के अनुसार, संचालित ईंट भट्ठों की वास्तविक संख्या का पता लगाने और तदनुसार कार्यवाही शुरू करने के लिए जि0खा0अ0 को व्यापार कर/जीएसटी कार्यालय और जिला पंचायत से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। 16 जनपदों के 1,483 ईंट भट्ठों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई अनियमितताओं का विवरण नीचे दिया गया है:

3.3.1 ईंट भट्ठा मालिकों से परमिट आवेदन शुल्क, रायल्टी और पालोथन की वसूली न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 1,483 ईंट भट्ठा पंजिका और पत्रावलियों/चालान की नमूना जाँच किया और देखा कि तीन जि0खा0का0[34] में 31 ईंट भट्ठा मालिकों ने ईंट भट्ठा वर्ष 2017–18 के लिए रायल्टी, पलोथन, परमिट आवेदन शुल्क और जि०ख०फा०ट्र० में योगदान का भुगतान नहीं किया। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने न तो उनके व्यवसाय को रोकने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की और न ही ₹ 45.60 लाख की रायल्टी, ₹ 4.56 लाख के पलोथन, ₹ 0.62 लाख के परमिट आवेदन शुल्क और ₹ 4.56 लाख के जि०ख०फा०ट्र० में अंशदान सहित ₹ 55.34 लाख की बकाया राशि की वसूली के लिए कोई प्रयास किया जैसा कि **परिशिष्ट–VII** में दर्शाया गया है।

3.3.2 ईंट भट्ठा मालिकों से पलोथन की वसूली न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 1,483 ईंट भट्ठा पंजिका और पत्रावलियों/चालान की नमूना जाँच किया और देखा कि सात जि0खा0का0[35] में 175 ईंट भट्ठा मालिकों ने ईंट भट्ठा वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए भुगतान की गई ₹ 2.36 करोड़ की रायल्टी के सापेक्ष ₹ 23.56 लाख का पलोथन जमा नहीं किया, जैसा कि **परिशिष्ट–VIII** में दर्शाया गया है।

3.3.3 ईंट भट्ठा मालिकों से जि०ख०फा०ट्र० में अंशदान की वसूली न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 1,483 ईंट भट्ठा पंजिका और पत्रावलियों/चालान की नमूना जाँच किया और देखा कि 10 जि0खा0का0[36] में 541 ईंट भट्ठा मालिकों ने 2017–18 की अवधि के लिए जि०ख०फा०ट्र० में भुगतान की गई रायल्टी ₹ 7.14 करोड़ के सापेक्ष ₹ 71.42 लाख रुपये का अंशदान नहीं किया। संबंधित जि0खा0अ0 ने ईंट भट्ठा मालिकों से जि०ख०फा०ट्र० में अंशदान वसूलने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। इसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई जैसा कि **परिशिष्ट–IX** में दर्शाया गया है।

---

[32] 46वाँ संशोधन दिनाँक 06.03.2019।

[33] अक्टूबर से सितम्बर।

[34] हमीरपुर, कानपुर देहात और सहारनपुर।

[35] फ़तेहपुर, जीबी नगर, जेपी नगर, हमीरपुर, सहारनपुर, शामली और सिद्धार्थनगर।

[36] फ़तेहपुर, जीबी नगर, हमीरपुर, जेपी नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल और सिद्धार्थनगर।

3.3.4 ईंट भट्ठा मालिकों से विनियमन शुल्क, परमिट आवेदन शुल्क और पलोथन की वसूली न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 1,483 ईंट भट्ठा पंजिका और पत्रावलियों/चालान की नमूना जाँच किया और 11 जि0खा0का0[37] में देखा कि 477 ईंट भट्ठा मालिकों ने ईंट भट्ठा वर्ष 2018–19 से 2021–22 के लिए विनियमन शुल्क, पलोथन और आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने न तो व्यवसाय को रोकने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की और न ही ₹ 7.01 करोड़ की विनियमन फीस, ₹ 70.08 लाख के पलोथन और ₹ 9.54 लाख के आवेदन शुल्क सहित बकाया धनराशि ₹ 7.80 करोड़ की वसूली के लिए कोई प्रयास किया, जैसा कि **परिशिष्ट–X** में वर्णित है।

अग्रेतर, केवल पाँच जि0खा0अ0[38] जीएसटी कार्यालय से प्राप्त ईंट भट्ठों की सूची लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा सके। अन्य जि0खा0अ0 ने जीएसटी कार्यालय से सूची नहीं प्राप्त किया। यह 23 नवम्बर 2017 के सरकारी आदेश का उल्लंघन था, और विभाग आवेदन शुल्क, रायल्टी/विनियमन शुल्क, पलोथन और डी0एम0एफ0 की वसूली के लिए सम्बन्धित जिले में संचालित ईंट भट्ठों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए वास्तविक समय के प्रामाणिक डाटा का लाभ नहीं उठा सका।

समापन गोष्ठी में शासन ने इन मामलों की जाँच करने और ईंट भट्ठा मालिकों से बकाया राशि वसूलने का आश्वासन दिया। लेखापरीक्षा का मानना है कि इन मामलों में भी माइन मित्रा पोर्टल में ही ऐसा नियंत्रण प्रावधान होना चाहिए जिससे समय पर राजस्व संग्रहण की निगरानी की जा सके।

3.4 वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनिज प्राप्तियों से एमएसटीसी सेवा शुल्क की कटौती

उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय पुस्तिका[39] में प्रावधान है कि कोषागार नियम के अन्तर्गत, संविधान के अनुच्छेद 266, 267, एवं 284 में परिभाषित सभी धन, सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमता में प्राप्त या दिए गए, का बिना किसी देरी के राजकोष में पूरा भुगतान किया जाएगा या बैंक में और सरकारी लेखे में शामिल किया जाएगा। कोषागार नियम 7(2) (पैराग्राफ 21–ए) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, उपरोक्त प्राप्त धन को विभागीय व्यय को पूरा करने के लिए विनियोजित नहीं किया जाएगा, न ही सरकारी लेखे से अलग रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0[40] और डीजीएम के अभिलेखों की जाँच की और देखा कि राज्य में खनिज ब्लाकों की ई–नीलामी आयोजित करने के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए एमएसटीसी लिमिटेड और उ0प्र0 सरकार के बीच 11 अगस्त 2017 को एक अनुबन्ध किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार एमएसटीसी सेवा शुल्क बिलों की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर प्रत्येक खनन पट्टे की सफल नीलामी के लिए ₹ 30,000 (18 प्रतिशत जीएसटी को छोड़कर) के सेवा शुल्क का हकदार था।

उपरोक्त अनुबन्ध के चार महीने बाद उ0प्र0 सरकार ने 12 दिसम्बर 2017 को एमएसटीसी के साथ एक और अनुबन्ध किया और सेवा शुल्क के भुगतान के उपबन्ध को हटा दिया और यह उपबन्ध जोड़ दिया कि एमएसटीसी सेवा शुल्क को आवेदन शुल्क यदि आवश्यक हो तो ईएमडी से समायोजित करेगा और शेष राशि शासकीय खाते में जमा करायेगा।

[37] जीबी नगर, हमीरपुर, जेपी नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

[38] जी.बी. नगर, हमीरपुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और सोनभद्र।

[39] वित्तीय पुस्तिका खण्ड. 5 के भाग I का नियम 21।

[40] बागपत, बांदा, बुलन्दशहर, चित्रकूट, फ़तेहपुर, जीबी नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राजस्व प्राप्ति से ऐसी कटौती के लिए एमएसटीसी लिमिटेड और उ0प्र0 सरकार के बीच निष्पादित अनुबन्धों के उपबन्ध भी उद्धृत नियमों की अवहेलना कर रहे थे।

एमएसटीसी ने शासकीय प्राप्ति (मुख्य शीर्ष "0853–अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग" के अन्तर्गत जमा की जाने वाली) से ₹ 70.80[41] लाख का अपना सेवा शुल्क और जीएसटी काट लिया, जिसका अलग से दावा किया जाना चाहिये था और विभागीय व्यय से समायोजित किया जाना चाहिये था। विवरण **परिशिष्ट–XI** में दर्शाया गया है।

शासन ने समापन गोष्ठी में बताया कि यह पुस्तक समायोजन का मामला है और इससे राजस्व की कोई क्षति नहीं हुई है। लेखापरीक्षा का मानना है कि राजस्व प्राप्तियों से सेवा शुल्क नहीं काटा जाना चाहिये क्योंकि इससे राजस्व प्राप्तियों के आँकड़ों का कम चित्रण होता है।

3.5 प्रतिभूति जमा लोक लेखे के बजाय समेकित निधि में जमा किया जाना

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 (समय–समय पर संशोधित) के नियम 13 के अनुसार, पट्टे के नियमों और शर्तों के उचित अनुपालन के लिए वार्षिक पट्टा धनराशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में जमा की जाएगी। उपरोक्त नियमावली के नियम 50 (उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 2021 के नियम 49) के अनुसार, खनन पट्टे की समाप्ति के बाद राज्य सरकार के पास जमा की गई प्रतिभूति की राशि, जिसका उपयोग इन नियमों में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाना आवश्यक नहीं है, पट्टे की समाप्ति की तिथि से छह महीने की अवधि के अन्दर पट्टाधारक को वापस कर दिया जाएगा।

उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 195 में उपबन्धित है कि सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अलावा, जो समेकित निधि से सम्बन्धित हैं, कुछ अन्य लेनदेन सरकारी खातों में आते हैं, जिनके सम्बन्ध में सरकार एक बैंकर के रूप में अधिक कार्य करती है, उदाहरण के लिए, भविष्य निधि से सम्बन्धित लेनदेन, अन्य जमा जैसे ठेकेदारों द्वारा की गई प्रतिभूति जमा या अदालती जमा या किसी सरकारी संस्था के माध्यम से परियोजनाओं के निष्पादन के लिए स्थानीय निकाय द्वारा जमा आदि। इस प्रकार प्राप्त धन को लोक लेखे में रखा जाता है और सम्बन्धित संवितरण भी उसी से किया जाता है। लोक लेखे की धनराशि सरकार का राजस्व नहीं होती है और इसे जमा करने वाले व्यक्तियों और प्राधिकारियों को कभी न कभी वापस भुगतान करना पड़ता है।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0[42] के 217 पट्टा पत्रावलियों की नमूना जाँच किया और देखा कि 200 पट्टाधारकों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि "0853 अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग" खाते के मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत समेकित निधि में जमा की गई थी। हालाँकि, प्रतिभूति जमा ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप सार्वजनिक खाते में जमा किया जाना चाहिए था। विभाग ने बजट नियमावली का उल्लंघन करते हुए ₹ 315.73 करोड़ की प्रतिभूति की धनराशि सार्वजनिक खाते के बजाय राजस्व शीर्ष खाते में जमा कर दी। राजस्व मद में प्रतिभूति की धनराशि जमा होने के कारण विभाग द्वारा राजस्व को बढ़ाकर बताया गया। विवरण **परिशिष्ट–XII** में दर्शाया गया है।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में कहा कि खनन पट्टे की अवधि पूरी होने पर, शेष प्रतिभूति की राशि या तो पट्टे की अन्तिम किश्त के रूप में समायोजित की जाती है या पट्टाधारक को वापस कर दी जाती है। यदि प्रतिभूति की राशि 8443 के शीर्ष में

[41] नमूना जाँच किये गये 16 जि0ख0का0 में पट्टों की संख्या (₹ 30,000 + ₹ 30,000 पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0) अर्थात् 200x ₹ 35,400।

[42] बागपत, बांदा, बुलन्दशहर चित्रकूट, फ़तेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र।

जमा की गई, तो नियमों के उल्लंघन या पट्टा विलेख की शर्तों के अनुपालन के मामले में प्रतिभूति से कटौती करना संभव नहीं होगा।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि नियमों के उल्लंघन या अनुपालन न करने की स्थिति में विभाग प्रतिभूति राशि जब्त कर सकता है। इसके अलावा, यह बजट मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन है और खनन राजस्व का बढ़ाकर वर्णन है।

3.6 मुख्य एवं उप खनिजों से प्राप्तियों का पृथक–पृथक लेखांकन न किया जाना

खनिज प्राप्तियाँ मुख्य शीर्ष "0853–अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग" के अन्तर्गत जमा की जाती हैं। सुधार पर्ची संख्या 965 दिनाँक 09 जुलाई 2021 के माध्यम से, लेखा महानियंत्रक के कार्यालय ने मौजूदा लघु शीर्ष "102–खनिज रियायत शुल्क, किराया और रायल्टी" का नाम बदलकर लघु शीर्ष "102–मुख्य खनिज रियायत शुल्क, किराया और रायल्टी" कर दिया और संघ और राज्यों के लिए मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में निम्नलिखित नए लघु शीर्ष सम्मिलित किए गए:

लघु शीर्ष "107–उप खनिज रियायत शुल्क, किराया और रायल्टी"

लेखापरीक्षा ने देखा कि उप खनिजों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों को लघु शीर्ष "107–उप खनिज रियायत शुल्क, किराया और रायल्टी" के बजाय लघु शीर्ष "102–खनिज रियायत शुल्क, किराया और रायल्टी" के अन्तर्गत जमा किया जा रहा था। डीजीएम ने मुख्य और लघु खनिजों से प्राप्तियों के अलग–अलग लेखांकन के लिए जि0खा0अ0 को कोई निर्देश जारी नहीं किया।

समापन गोष्ठी में शासन ने वित्त विभाग के आदेश के अनुसार कोषागार पोर्टल पर एक नए लघु शीर्ष का प्रावधान करने पर सहमति व्यक्त की।

3.7 रायल्टी/विनियमन शुल्क का जमा किया जाना

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली[43], 1963 में उपबन्धित है कि राज्य सरकार को किसी भी किराए, रायल्टी, सीमांकन शुल्क और किसी भी अन्य देय राशि को जमा करने में देरी के लिए 30 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद 24 प्रतिशत प्रति वर्ष (मई 2017 से संशोधित करके 18 प्रतिशत) की दर से ब्याज आरोपित किया जाएगा।

3.7.1 रायल्टी विलम्ब से जमा करने पर ब्याज कम/न आरोपित किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 में 217 पट्टों की पत्रावलियों की नमूना जाँच किया और आठ जि0खा0का0[44] में देखा कि 35 पट्टाधारकों ने 2018–19 से 2021–22 की अवधि के लिए 6 दिन से 452 दिनों की देरी के साथ ₹ 127.53 करोड़ की रायल्टी जमा की। यद्यपि भुगतान में देरी का विवरण अभिलेखों पर उपलब्ध था, विभाग ने ₹ 7.38 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 5.36 लाख का ब्याज आरोपित किया। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा ₹ 7.32 करोड़ का कम ब्याज आरोपित किया गया जैसा कि **परिशिष्ट–XIII** में दर्शाया गया है।

3.7.2 विनियमन शुल्क विलम्ब से जमा करने पर ब्याज कम/न आरोपित किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 में 1,483 ईंट भट्ठों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और नौ जि0खा0का0[45] में देखा कि 171 ईंट भट्ठा मालिकों ने 2017–18 से 2021–22

---

[43] नियम 58(2)।

[44] बुलन्दशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज और सोनभद्र।

[45] फ़तेहपुर, जीबी नगर, जेपी नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल और सिद्धार्थनगर।

की अवधि के लिए 184 दिनों से 1,854 दिनों[46] की देरी के साथ ₹ 2.51 करोड़ की रायल्टी/विनियमन शुल्क और पलोथन जमा किया। हालाँकि, भुगतान में देरी का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध था, विभाग ने ₹ 56.02 लाख के देय ब्याज के सापेक्ष विलंबित जमा पर ब्याज के रूप में केवल ₹ 8.97 लाख वसूल किया। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा ₹ 47.05 लाख का कम ब्याज आरोपित किया गया जैसा कि **परिशिष्ट–XIV** में दर्शाया गया है।

समापन गोष्ठी में शासन ने सम्बन्धित बकाएदारों से देय ब्याज की धनराशि जमा कराने का आश्वासन दिया।

3.8 खनन योजना विलम्ब से प्रस्तुत करने पर शास्ति आरोपित न किया जाना

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963[47] (तैंतालीसवां संशोधन) के नियम 59 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत वह प्रस्तावक जिसने एलओआई प्राप्त कर लिया है, लेकिन नियम 34 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एक माह की निर्धारित अवधि के भीतर खनन योजना प्रस्तुत नहीं की है, एक लाख रुपये की शास्ति का दायी होगा। शास्ति की धनराशि जमा करने में विफलता की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा वह धनराशि सम्बन्धित पट्टे के विरूद्ध जमा की गयी प्रतिभूति राशि से काट ली जायेगी। अगस्त 2019 से शास्ति की राशि संशोधित करके[48] ₹ 10,000 प्रतिदिन कर दी गई है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि राज्य सरकार ने शास्ति की राशि संशोधित कर दी और इसे देरी के सन्दर्भ में दिनों की संख्या से जोड़ दिया परन्तु निदेशालय ने कोई अभिलेख नहीं बनाया जिससे खनन योजना प्रस्तुत करने में विलम्ब स्थापित किया जा सके। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 217 पट्टा पत्रावलियों की नमूना जाँच किया और देखा कि खनन योजना की प्रस्तुति की तिथि खनन योजना में उल्लिखित नहीं थी और जि0खा0अ0 के पास भी उपलब्ध नहीं थी। हालाँकि, कुछ खनन योजनाओं में, इन खनन योजनाओं को तैयार करने वाले मान्यता प्राप्त अर्ह व्यक्ति द्वारा तैयार करने की तिथि का उल्लेख किया गया था। लेखापरीक्षा ने खनन योजना तैयार करने की तिथि को प्रस्तुत करने की तिथि माना और देरी की गणना की। लेखापरीक्षा ने पाँच जि0खा0का0[49] में पाया कि 25 मामलों में खनन योजनाएं 4 से 273 दिन से अधिक की देरी से डीजीएम को पट्टाधारकों द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। विभाग ने ₹ 1.08 करोड़ की शास्ति लगाए बिना खनन योजना को अनुमोदित किया जैसा कि **परिशिष्ट–XV** में बताया गया है।

समापन गोष्ठी में शासन ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि खनन योजना प्रस्तुत करने में देरी के लिए प्रस्तावकों से नियमानुसार शास्ति जमा कराया जाय।

3.9 खनन योजना के बिना खनिजों का उत्खनन करने वाले पट्टाधारकों पर शास्ति आरोपित न किया जाना

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 (समय–समय पर संशोधित) के अन्तर्गत सभी उप खनिजों के सम्बन्ध में खनन संक्रियाएं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निदेशक द्वारा विधिवत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार की जाएंगी, जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं, प्रगतिशील खदान बंद करने की योजना सहित खनन किए गए क्षेत्रों के पुनर्ग्रहण और पुनर्वास के स्वरूप का विवरण दिया जाएगा। एक बार अनुमोदन मिलने के

[46] एक वर्ष तक की देरी, मामले 71; एक से दो साल के बीच की देरी, मामले 76; दो से तीन साल के बीच की देरी, मामले 15; और तीन साल से अधिक की देरी, मामले 10।

[47] अधिसूचना संख्या 1956/86–2017–57(सामान्य)–2017 दिनाँक 14 अगस्त 2017।

[48] अधिसूचना संख्या देखें. 1868/86–2019–57–2017 दिनाँक 13 अगस्त, 2019।

[49] चित्रकूट, जीबी नगर, हमीरपुर, महोबा और सहारनपुर।

बाद खनन योजना पट्टे की पूरी अवधि या पाँच साल, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगी। यदि पट्टा अवधि पाँच वर्ष से अधिक है तो उस स्थिति में पट्टाधारक निदेशक के समक्ष खनन योजना पुनः प्रस्तुत करेगा।

खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत जब भी कोई व्यक्ति कानूनी अधिकार के बिना किसी भूमि से कोई खनिज उठाता है, तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से उठाए गए खनिज की वसूली कर सकती है या जहाँ ऐसे खनिज का निस्तारण पहले ही किया जा चुका है, उसका मूल्य रायल्टी के साथ वसूल सकती है। इसके अलावा उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 के नियम 21 (2) के अन्तर्गत कुल रायल्टी खनिजों के खनिमुख मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक की दर पर तय नहीं की जाती है। इस प्रकार, खनिज मूल्य लागू रायल्टी का पाँच गुना माना जाता है।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 217 पट्टों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और तीन जि0खा0का0[50] में पाया कि 14 पट्टाधारकों ने अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के बीच बिना नवीनीकरण और बिना संशोधित खनन योजना के 8.38 लाख घन मीटर[51] पत्थर गिट्टी/बोल्डर/सिलिका बालू का उत्खनन किया और ₹ 12.58 करोड़ की रायल्टी का भुगतान किया जो उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली,1963 के अनुरूप नहीं था। खनन योजना के नवीनीकरण के बिना पट्टाधारकों द्वारा उत्पादित/परिवहित किया गया खनिज अवैध था और इसलिए, पट्टाधारकों को खनिज मूल्य और शास्ति का भुगतान करना आवश्यक था। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने न तो खनन गतिविधियाँ रोकी और न ही एमएम–11 प्रपत्र जारी करना बंद किया। वे खनिज का मूल्य ₹ 62.90 करोड़ वसूल करने में भी विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–XVI** में दर्शाया गया है।

खनन योजनाएँ तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार तैयार की जाती हैं ताकि क्षेत्र के विकास में मदद मिल सके। यदि खनन गतिविधियाँ अनुमोदित खनन योजना के बिना की जाती हैं, तो विभाग का इस पर कोई नियन्त्रण नहीं होगा और पट्टाधारक अवैज्ञानिक तरीके से अधिक खनिज निकाल सकता है, जो खनिज संसाधनों, वनों की सुरक्षा, जलधाराओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और वायु एवं जल प्रदूषण को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, विभाग एमएम–11 प्रपत्रों के सृजन को खनन योजना के साथ जोड़ने में विफल रहा क्योंकि एमएम–11 प्रपत्र खनन योजना की समाप्ति के पश्चात् जारी किए गए थे।

समापन गोष्ठी में शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि माइन मित्रा पोर्टल में उचित प्रावधान किया जाएगा।

3.10 कार्यदायी संस्थाओं से सम्बन्धित अनियमितताएँ

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 और 2018 में उपबन्धित है कि कोई भी व्यक्ति वैध ट्रान्जिट पास (प्रपत्र एमएम–11[52]/प्रपत्र सी[53]) के बिना किसी भी खनिज का परिवहन नहीं करेगा। खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम[54] में उपबन्धित है कि कानूनी अधिकार के बिना खनिज उठाने पर रायल्टी के साथ खनिजों का मूल्य भी वसूला

50 चित्रकूट, प्रयागराज और सोनभद्र।

51 पट्टाधारक को जारी एमएम–11 प्रपत्र से देखी गई खनिज की मात्रा।

52 उप खनिजों के परिवहन के लिए खनन पट्टा या क्रशर प्लान्ट के धारक द्वारा जारी किया गया ट्रान्जिट पास (रवन्ना)। इसमें पट्टाधारकों के नाम और पते, खनिजों की प्रकृति और मात्रा और वाहन संख्या शामिल है जिसके माध्यम से खनिजों का परिवहन किया जाता है।

53 खनिजों के भण्डारण के लिए लाइसेंस धारक भण्डार से खनिजों के वैध परिवहन के लिए प्रपत्र–सी में ट्रान्जिट पास जारी करेगा।

54 खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम की धारा 21(5)।

जा सकता है। खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम की धारा 4 (1–ए) और धारा 21 (1 से 5) के साथ पठित उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 का नियम 70(1) उपबन्धित करता है कि पट्टा या परमिट धारक या इसके लिए उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी वाहन, मवेशी या परिवहन के किसी भी साधन से खनिज परिवहन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रपत्र एमएम–11 में ट्रान्जिट पास निर्गत करेगा।

नियम 70(2) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति उप नियम (1) के अन्तर्गत जारी एमएम–11 के बिना राज्य में किसी भी खनिज का परिवहन नहीं करेगा। इसके अलावा, नियम 70(6) में प्रावधान है कि जो कोई भी व्यक्ति इस नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अगर दोषी पाया जाता है, तो उसे छह महीने तक की कैद या 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। पुनः सरकार ने 15 अक्टूबर 2015 के अपने आदेश में दोहराया कि यदि ठेकेदार प्रपत्र एमएम–11 में अपेक्षित रायल्टी रसीद प्रस्तुत नहीं करते हैं तो रायल्टी के अलावा खनिज का मूल्य (आमतौर पर रायल्टी का पाँच गुना) ठेकेदार के बिल से काटकर राजकोष में जमा कर दिया जाएगा (राज्य सरकार द्वारा रायल्टी की दर 19 जनवरी 2016 से संशोधित की गई थी)।

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश दिनाँक 5 अक्टूबर[55] 2006 में कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यों को निष्पादित करने वाले सम्बन्धित विभागों को देय रायल्टी के भुगतान के बाद ही ठेकेदारों को भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सरकार ने अपने आदेश दिनाँक 6 जून 2020 द्वारा निर्देश दिया कि ठेकेदारों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं में जमा किए गए ई–ट्रान्जिट पास को सम्बन्धित जिले के जि0खा0अ0 द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

इस प्रकार, खनिजों (जैसे बालू, धातु, पत्थर, आदि) का उपयोग करने वाले किसी भी ठेकेदार को उत्खनित किये गए खनिज के लिए रायल्टी के भुगतान के प्रमाण के रूप में ट्रान्जिट पास (प्रपत्र एमएम–11/प्रपत्र–सी) जमा करना आवश्यक है। प्रासंगिक प्रपत्र जमा न करने की स्थिति में, कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्धित अधिकारियों को ठेकेदार के बिलों से रायल्टी और खनिज मूल्य की कटौती करने और उसे सरकारी खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

3.10.1 ट्रान्जिट पास के बिना निष्पादित कार्यों के लिए ठेकेदारों से खनिज मूल्य की वसूली न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 18 जि0खा0का0 के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और पाँच जि0खा0का0[56] में देखा कि 156 मामलों में, 12 कार्यदायी संस्थाओं के ठेकेदारों ने सिविल कार्यों में उपयोग किए गए खनिजों के बिलों के साथ आवश्यक एमएम–11 प्रपत्र जमा नहीं किए। कार्यदायी संस्थाओं ने अप्रैल 2017 और मार्च 2022 के मध्य ठेकेदारों के बिलों से ₹ 4.48 करोड़ की रायल्टी काट ली और उसे राजकोष में जमा कर दिया। हालाँकि, कार्यदायी संस्थाओं ने ठेकेदारों से खनिज मूल्य और शास्ति वसूल नहीं किया जबकि ठेकेदारों द्वारा ट्रान्जिट पास प्रस्तुत नहीं किया गया था। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रायल्टी की कटौती की जानकारी होने के बावजूद, संबंधित जि0खा0अ0 ने ठेकेदारों से खनिज मूल्य की वसूली सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ मुद्दा नहीं उठाया और 15 अक्टूबर, 2015 के सरकारी आदेश, जिसमें ठेकेदार के बिलों से खनिज मूल्य की कटौती का प्रावधान था, के अनुसार खनिज मूल्य ₹ 22.40 करोड़ रुपये और जुर्माना ₹ 39.00 लाख की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू करने में विफल रहे जैसा कि **परिशिष्ट–XVII** में दर्शाया गया है।

शासन ने समापन गोष्ठी में इन विसंगतियों पर गौर करने का आश्वासन दिया।

---

[55] क्रमांक 4951(1)–77–5–2006–506/05 दिनाँक 05 अक्टूबर 2006।

[56] बांदा, जीबी नगर, प्रयागराज, सहारनपुर और सिद्धार्थनगर।

3.10.2 कार्यदायी संस्थाओं को नकली/अनियमित एमएम–11 प्रपत्र जमा करने के मामलों में रायल्टी और खनिज मूल्य की वसूली न किया जाना

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 के अनुसार एमएम–11 प्रपत्र तीन प्रतियों में मुद्रित होना आवश्यक है– (i) कार्यालय प्रति (पट्टा धारक की), (ii) पहली प्रति–चेक पोस्ट पर रखने के लिए और (iii) दूसरी प्रति ट्रांसपोर्टर/अन्तिम उपभोक्ता के लिए। केवल एमएम–11 प्रपत्र की उपभोक्ता की प्रति (दूसरी प्रति) ही परिवहन के लिए वैध है और इसे भुगतान की गई रायल्टी के प्रमाण के रूप में माना जाएगा। पट्टाधारक द्वारा ट्रान्जिट पास जारी करते समय ट्रान्जिट पास की तीनों प्रतियों में समस्त जानकारी भरना अनिवार्य है। अपने आदेश[57] में सरकार ने स्पष्ट किया कि यदि ठेकेदार वैध ट्रान्जिट पास के रूप में रायल्टी रसीद प्रस्तुत नहीं करता है तो कार्यदायी संस्था रायल्टी और खनिज मूल्य की वसूली के लिए उत्तरदायी है। उपयोग किए गए खनिजों के विरुद्ध ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए एमएम–11 प्रपत्रों को सम्बन्धित जि0खा0अ0 से सत्यापित कराया जा सकता है। मुद्रित एमएम–11 प्रपत्र के स्थान पर 1 अगस्त 2017 से 17 अंकों के सीरियल नम्बर वाले इलेक्ट्रॉनिक एमएम–11 (ई–एमएम–11) प्रपत्र लागू किए गए थे।

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के नियम 5(2) में उपबंधित है कि खनिजों के भण्डारण के लिए लाइसेंस धारक भण्डार से खनिजों के वैध परिवहन के लिए प्रपत्र सी में ट्रान्जिट पास जारी करेगा।

इसके अलावा, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–VI के नियम 77 के अनुसार, आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) नकदी और भण्डार, प्राप्ति और व्यय के मूल अभिलेख के सभी मामलों में यथार्थता के लिए उत्तरदायी हैं।

इस प्रकार, ठेकेदारों के बिल पारित करते समय, डीडीओ से प्रस्तुत दस्तावेजों की वास्तविकता को सत्यापित करने की अपेक्षा की जाती है। 41 कार्यदायी संस्थाओं के 2,544 एमएम–11 प्रपत्रों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई अनियमितताओं का विवरण नीचे दिया गया है:

3.10.2.1 भुगतान की गई रायल्टी के साक्ष्य के रूप में एमएम–11 प्रपत्र की नकली/छायाप्रति/कार्यालय प्रति/चेक पोस्ट प्रति प्रस्तुत करना

लेखापरीक्षा ने कार्यदायी संस्थाओं/विभागों के अभिलेखों[58] की नमूना जाँच की और भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट से प्रति सत्यापन किया और देखा कि:

- 167 मामलों में, ठेकेदारों द्वारा एक ही प्रपत्र का कई बार उपयोग किया गया।

लेखापरीक्षा ने तीन जिलों[59] की चार कार्यदायी संस्थाओं में देखा कि रायल्टी का भुगतान किये गये खनिज के उपयोग के प्रमाण के रूप में ठेकेदारों द्वारा एक ई–एमएम–11 प्रपत्र का कई बार[60] उपयोग किया गया था। इसे प्रथम प्रस्तुति में ही वैध होना चाहिए लेकिन कार्यदायी संस्थाओं ने इसे कई बार स्वीकार किया। उसी ई–एमएम–11 प्रपत्र को दोबारा और आगे जमा करने पर ठेकेदारों पर रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति आरोपणीय था। एक ही ई–एमएम–11 प्रपत्र को अनेकों बार प्रस्तुत करने को चिन्हित करने में कार्यदायी संस्थाओं की विफलता के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 1.72 लाख की रायल्टी, ₹ 8.60 लाख के खनिज मूल्य और ₹ 25 लाख की शास्ति सहित ₹ 35.32 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–XVIII** में दर्शाया गया है।

---

[57] 15 अक्टूबर 2015 एवं 15 जुलाई 2019।

[58] एमएम–11 प्रपत्र, वाउचर, रनिंग बिल और ठेकेदार के अन्तिम बिल।

[59] फ़तेहपुर, कौशाम्बी और सिद्धार्थनगर।

[60] दो से नौ बार।

• 245 मामलों में, एमएम–11 प्रपत्र की या तो कार्यालय प्रति या चेक पोस्ट प्रति का उपयोग किया गया था।

लेखापरीक्षा ने छह जिलों[61] की नौ कार्यदायी संस्थाओं में देखा कि एमएम–11 प्रपत्रों की कार्यालय प्रति/चेक पोस्ट प्रति जमा करने के कारण ठेकेदारों पर रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति आरोपणीय था। ठेकेदारों द्वारा एमएम–11 प्रपत्रों की गलत प्रति प्रस्तुत करने का पता लगाने में कार्यदायी संस्थाओं की विफलता के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 5.06 लाख की रायल्टी, ₹ 25.30 लाख के खनिज मूल्य और ₹ 61.25 लाख की शास्ति सहित ₹ 91.61 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–XIX** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त मामलों में से कुछ उदाहरणात्मक मामले, जहाँ नकली एमएम–11 प्रपत्र और एमएम–11 प्रपत्र की छायाप्रति ठेकेदारों द्वारा खनिजों के लिए रायल्टी के भुगतान के प्रमाण के रूप में कार्यदायी संस्थाओं को प्रस्तुत किया गया था, **तालिका–3.1** में दिए गए हैं और आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

तालिका 3.1

नकली एमएम–11 प्रपत्र और एमएम–11 प्रपत्र की छायाप्रति का विवरण

क्र. सं.	एमएम–11 प्रपत्र संख्या.	अनुबन्ध का विवरण जिसमें एमएम–11 प्रपत्र संलग्न किया गया था		ई–एमएम 11 में पट्टाधारक का नाम प्रस्तुत किया गया	जारी करने का दिनांक	उल्लिखित मात्रा (घन मीटर में)	एक ही ई–एमएम 11 प्रपत्र प्रस्तुत करने की संख्या
		अनुबन्ध क्रमांक/वाउचर क्रमांक	दिनाँक				
1	31451803026508781	131/एसई - 736सी बस्ती वृत वार्ड न0.69/ 30.03.2022	27.10.2020	मैसर्स बजरंग स्टोन्स	17.11.2020	30	चार बार
2	31451903027609002			लालता प्रसाद	18.02.2021	18	दो बार
					22.02.2021	18	दो बार
					02.03.2021	18	दो बार
3	31451903027609120				22.02.2021	20	दो बार
					02.03.2021	20	एके बार
4	31451803025543411			महेश कुमार अग्रवाल	16.02.2021	18	दो बार
5	31451803025802299			राजेन्द्र प्रसाद साहू	27.12.2020	14	एक बार
				राजेन्द्र प्रसाद साहू	26.12.2020	14	पाँच बार
				राजेन्द्र प्रसाद साहू	24.12.2020	14	एक बार
				सीताराम अग्रवाल	30.01.2021	18	दो बार
6	31451903027607989			लालता प्रसाद	30.01.2021	18	दो बार

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर सूचना

• प्रति सत्यापित करते समय लेखापरीक्षा ने देखा कि ई–एमएम–11 संख्या 31451803026508781, 31451903027609002, 31451903027609120 और 31451803025543411 के विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थे क्योंकि पोर्टल अभिलेख नहीं मिला दिखा रहा था। इसके अलावा, ठेकेदारों द्वारा जमा किए गए एमएम–11 फार्म संख्या 31451903027609002 और 31451903027609120 के मामले में एक ही संख्या का प्रपत्र जारी करने की अलग–अलग तिथियों का उल्लेख किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से ठेकेदारों द्वारा हेरफेर और नकली प्रपत्र जमा करने का स्पष्ट संकेत दिया गया।

• यह पाया गया कि मूल ई–एमएम–11 प्रपत्र संख्या 31451803025802299 दिनाँक 08.09.2019 को पट्टाधारक श्री अहमद कमाल खान द्वारा जिला महराजगंज के लिए जारी किया गया था और ठेकेदार ने पट्टाधारक के नाम और जारी करने के दिनांक

---

[61] बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और सिद्धार्थनगर।

में हेरफेर करने के बाद कई बार इस ई–एमएम–11 प्रपत्र को जमा किया था। नकली एमएम–11 प्रपत्र जमा किये जाने का कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

• एक अन्य मामले में पाया गया कि ई–एमएम–11 प्रपत्र संख्या 31451903027607989 मूल रूप से पट्टाधारक श्री लालता प्रसाद द्वारा 03.07.2020 को 14 घन मीटर मात्रा के लिए जारी किया गया था और ठेकेदार ने 30.01.2021 को जारी 18 घन मीटर की मात्रा के लिए इसे जमा किया था। नकली एमएम–11 प्रपत्र जमा करना कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

इस प्रकार, ठेकेदारों ने एक ही एमएम 11 प्रपत्र कई बार जमा किए, एमएम–11 प्रपत्र की कार्यालय प्रति/चेक पोस्ट प्रति जमा की और नकली एमएम–11 प्रपत्र भी जमा किए। कार्यदायी संस्थाएं ठेकेदारों को भुगतान जारी करते समय इसका पता लगाने में विफल रहीं। एमएम–11 प्रपत्र प्रामाणिक नहीं होने के कारण कार्यों में प्रयुक्त खनिज को अवैध खनन से प्राप्त माना जाना चाहिए था। कार्यदायी संस्थाओं ने सम्बन्धित जि0खा0अ0 से प्रस्तुत एमएम–11 प्रपत्र की वास्तविकता का सत्यापन नहीं कराया। इस प्रकार कार्यदायी संस्थाओं के साथ–साथ संबंधित जि0खा0अ0 ठेकेदारों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को प्रस्तुत ट्रान्जिट पास की शुद्धता सुनिश्चित करने में विफल रहे।

3.10.2.2 प्रस्तुत किए गए एमएम–11 प्रपत्र अन्य गंतव्यों के लिए निर्गत किए गए

लेखापरीक्षा ने 18 जनपदों की 41 कार्यदायी संस्थाओं में प्रस्तुत 2,544 एमएम–11 प्रपत्र की नमूना जांच किया और 10 जिलों[62] की 19 कार्यदायी संस्थाओं में देखा कि ठेकेदारों द्वारा जमा किए गए 941 एमएम–11 प्रपत्र अन्य गंतव्यों के लिए जारी किए गए थे। चूँकि एमएम–11 प्रपत्र अन्य गंतव्यों के लिए जारी किए गए थे, इसलिए ठेकेदारों पर रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति आरोपणीय थी। इसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 19.82 लाख की रायल्टी, ₹ 99.10 लाख के खनिज मूल्य और ₹ 2.35 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 3.54 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–XX** में दर्शाया गया है।

3.10.2.3 प्रस्तुत किये गये एमएम–11 प्रपत्र की तिथियाँ कार्य देने से पहले की थीं

लेखापरीक्षा ने 18 जनपदों की 41 कार्यदायी संस्थाओं में प्रस्तुत 2,544 एमएम–11 प्रपत्र की नमूना जाँच किया और पाँच जिलों[63] की नौ कार्यदायी संस्थाओं में देखा कि ठेकेदारों द्वारा जमा किए गए 284 एमएम–11 प्रपत्र काम देने से पहले[64] के थे। चूँकि, एमएम–11 प्रपत्र काम देने से पहले जारी किए गये थे, इसलिए इन्हे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था एवं ठेकेदारों पर रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति आरोपणीय था। इसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 4.50 लाख की रायल्टी, ₹ 22.49 लाख के खनिज मूल्य और ₹ 71 लाख की शास्ति सहित ₹ 97.99 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–XXI** में दर्शाया गया है।

3.10.2.4 प्रस्तुत किए गए एमएम–11 प्रपत्रों को निर्गत करने की तिथियाँ कार्य पूर्ण होने की तिथियों के बाद की थीं

लेखापरीक्षा ने 18 जनपदों की 41 कार्यदायी संस्थाओं में प्रस्तुत 2,544 एमएम–11 प्रपत्र की नमूना जाँच किया और तीन जिलों[65] की चार कार्यदायी संस्थाओं में देखा कि ठेकेदारों

---

[62] बागपत, बांदा, बुलन्दशहर, फ़तेहपुर, हमीरपुर, जे.पी. नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, मुज़फ़्फ़र नगर और सिद्धार्थनगर।

[63] बागपत, जे.पी. नगर, कौशाम्बी, प्रयागराज और सिद्धार्थनगर।

[64] काम शुरू होने से दो से 1,304 दिन पहले।

[65] कौशाम्बी, प्रयागराज और सिद्धार्थनगर।

द्वारा जमा किए गए 27 एमएम–11 प्रपत्र कार्य पूरा होने की तिथियों के बाद[66] जारी किए गए थे। चूँकि, कार्य पूरा होने के बाद एमएम–11 प्रपत्र जारी किए गये थे, इसलिए ठेकेदारों पर रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति आरोपणीय थी। इसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 0.63 लाख की रायल्टी, ₹ 3.15 लाख की खनिज मूल्य और ₹ 6.75 लाख की शास्ति सहित ₹ 10.53 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–XXII** में दर्शाया गया है।

ठेकेदारों द्वारा नकली/अनियमित ट्रान्जिट पास प्रस्तुत करने में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के उपयोग का जोखिम शामिल था।

समापन गोष्ठी में शासन ने इन विसंगतियों पर गौर करने का आश्वासन दिया और कहा कि इन विसंगतियों से बचने के लिए अब ट्रान्जिट पास में सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं और सभी राज्यों के खनन पोर्टलों को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ऐसे मामलों की पहचान की जा सके।

संस्तुतिः

3. सरकार भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग और सिविल कार्य करने वाली सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के मध्य समन्वय को मजबूत कर सकती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ठेकेदारों ने वैध लाइसेंसधारियों से खनिज प्राप्त किये हैं और कार्यदायी संस्थाओं को वैध ट्रान्जिट पास प्रस्तुत किये हैं।

4. सरकार ट्रान्जिट पासों की अनियमितता की विस्तार से जाँच कर सकती है और यदि कोई गंभीर चूक पाई जाए तो जिम्मेदारी तय करनी चाहिये और उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

3.11 निष्कर्ष

विभाग को अपना बकाया वसूलने के लिए अपनी प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं जहां पट्टाधारकों/ईंट भट्ठा मालिकों से रायल्टी/जि०ख०फा०ट्र० में योगदान/विनियमन शुल्क/पालोथन/ब्याज आदि वसूल नहीं किए गए। उप खनिजों से प्राप्तियों का लेखांकन भी निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं था। डीजीएम ने मुख्य और उप खनिजों से प्राप्तियों के अलग–अलग लेखांकन के लिए जि0खा0अ0 को कोई निर्देश जारी नहीं किया। विभाग ने खनन योजनाओं को देर से प्रस्तुत करने के लिए शास्ति की राशि आरोपित नहीं की और संशोधित खनन योजना के बिना खनिजों का उत्खनन करने वाले पट्टाधारकों से खनिज मूल्य और शास्ति वसूलने में विफल रहा।

विभाग को ठेकेदारों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को प्रस्तुत किए गए ट्रान्जिट पास की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली को मजबूत करना चाहिए क्योंकि ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं जहां ठेकेदारों ने ट्रांजिट पास प्रस्तुत किए जो नकली/कार्यालय प्रति/चेक पोस्ट प्रति थे या कई बार इस्तेमाल किए गए थे या अन्य गंतव्यों के लिए जारी किए गए थे। कुछ मामलों में, एमएम–11 प्रपत्र जारी करने का दिनाँक कार्य दिए जाने से पहले या कार्य पूरा होने के बाद के थे। ठेकेदारों को भुगतान जारी करते समय कार्यदायी संस्थाएं इन विसंगतियों का पता नहीं लगा सकीं।

[66] काम पूरा होने के 18 से 157 दिन बाद।

अध्याय–IV

अवैध खनन

अध्याय–IV

अवैध खनन

सारांश

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली यह निर्धारित नहीं करता है कि नीलामी के माध्यम से दिए गए खनन पट्टा क्षेत्रों के मामले में खनिज मूल्य और रायल्टी क्या होगी। विभाग ने बोली दर को अनदेखा कर पट्टा क्षेत्र/ या स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों से अवैध रूप से खनिजों का उत्खनन करने वाले पट्टाधारकों से जनवरी 2016 से संशोधित नहीं की गयी आधार दर पर रायल्टी और खनिज मूल्य आरोपित किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को संभावित राजस्व से वंचित होना पड़ा। अवैध खनन के कारण पर्यावरण मंजूरी और बालू खनन दिशानिर्देशों के नियमों और शर्तों का उल्लंघन हुआ।

ई–ट्रान्जिट पास की निगरानी के लिए साफ्टवेयर में इनपुट नियन्त्रण तन्त्र की कमी थी। पट्टाधारकों ने खनिजों के परिवहन के लिये अनुपयुक्त वाहनों, अयोग्य/नकली पंजीकरण संख्या वाले वाहनों और निषिद्ध महीनों में ई–एमएम–11 प्रपत्र जारी किए। ई–एमएम–11 प्रपत्र में उल्लिखित दूरी वास्तविक दूरी से बहुत अधिक थी, जो एक ही बार रायल्टी के भुगतान द्वारा एक ही ई–एमएम–11 प्रपत्र पर कई बार परिवहन किए जाने का जोखिम इंगित करता है।

गूगल अर्थ से पट्टों के चयनित स्थलों की जाँच से ऐसे मामले सामने आये जहाँ पट्टा क्षेत्र के बाहर और खनन पट्टा दिये बिना खनिजों का उत्खनन किया गया। पट्टाधारकों ने बालू खनन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और उत्खनकों की मदद से बालू का उत्खनन किया।

लेखापरीक्षा में गूगल अर्थ से प्राप्त उपग्रह चित्रों का उपयोग किया गया और पाया गया कि ईंट भट्ठों की स्थापना के लिए अन्य ईंट भट्ठों, आवासीय क्षेत्र, स्कूल/कालेज, अस्पताल, बाग, इको सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) और ऐतिहासिक स्मारकों से निर्धारित दूरी जैसे मानदण्डों का ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा पालन नहीं किया गया।

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अवैध खनन की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अपने राज्यों के भीतर उपखनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली लागू करने की सलाह दी थी। यद्यपि राज्य सरकार ने एमएसएस लागू किया, इस प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए किया जा सकता है। राज्य सरकार ने तकनीकी हस्तक्षेप पर किये गये व्यय के लिए खनन पट्टाधारकों पर कोई उपकर नहीं लगाया।

4.1 परिचय

खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) उपबन्धित करती है कि यदि कोई व्यक्ति, बिना किसी विधिक प्राधिकार के किसी उपखनिज को, किसी भूमि से हटाता है, तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से, ऐसे हटाये गए उपखनिज या जहाँ ऐसे उपखनिज का निस्तारण कर लिया गया है, उसका मूल्य और उस अवधि के लिए जिसके

दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा बिना किसी विधिक प्राधिकार के भूमि कब्जे में रखी गयी, किराया, रायल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, वसूली कर सकती है।

अग्रेतर, उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 3 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र में ऐसे उपखनिज की, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, इस नियमावली के अधीन दिए गए खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा–पत्र की शर्तों के विपरीत कोई खनन संक्रियाएं नहीं करेगा।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 57 में उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति निर्धारित किया गया है और दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की कैद या ₹ 25,000 तक की शास्ति या दोनों की सजा का प्रावधान है। सरकार के 18 मई 2017 के आदेश के अनुसार उक्त नियम के दण्ड प्रावधानों को, कारावास की सजा जिसे पाँच साल तक बढ़ाया जा सकता है या शास्ति जो प्रति हेक्टेयर ₹ दो लाख से कम नहीं होगा और जिसे प्रति हेक्टेयर ₹ पाँच लाख तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से संशोधित कर दिया गया है।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 41(एच)(1) के अन्तर्गत अग्रेतर यह भी प्रावधान है कि पट्टाधारक नदी तल में तीन मीटर की गहराई या जल स्तर जो भी कम हो, से अधिक गहराई में खनन कार्य नहीं करेगा और जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सुरक्षा परिक्षेत्र में कोई खनन नहीं किया जाएगा। यह भी प्रतिबन्ध है कि सक्शन मशीन या लिफ्टर आदि की सहायता से जलधारा में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 21(2) आरोपित की जाने वाली रायल्टी की धनराशि निर्धारित करता है और बताता है कि खनिजों की रायल्टी खनिजों के खनिमुख मूल्य[67] के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सरकार ने 15 अक्टूबर 2015 के अपने आदेश में भी स्पष्ट किया कि खनिजों का मूल्य रायल्टी का सामान्यतया पाँच गुना है।

वर्ष 2020 में अवैध खनन की शिकायतों वाले क्षेत्रों की ड्रोन निगरानी, खनिज परिवहन वाहनों के पंजीकरण, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) टैग और खदानों के निकास द्वार पर पैन टिल्ट जूम (पीटीजेड) कैमरे के साथ धर्म काँटा और राज्य कमांड सेंटर के साथ उनका एकीकरण की सुविधाओं के साथ एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली (आईएमएसएस) का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया। अप्रैल 2022 तक आईएमएसएस के अन्तर्गत 80,000 वाहनों का पंजीकरण किया गया है, खनन क्षेत्रों में 441 धर्म काँटा स्थापित किए गए हैं, अवैध परिवहन की जाँच के लिए खनन अधिकारियों को हाथ में पकड़ी जाने वाली 75 मशीनें प्रदान की गई हैं और 16 स्वचालित चेक–गेट स्थापित किये गए हैं।

माइन मित्र पोर्टल डीजीएम की एक पहल है। पोर्टल को खनन से सम्बन्धित गतिविधियों जैसे ट्रान्जिट पास के निर्माण और सत्यापन, खनन योजना की प्रस्तुति और अनुमोदन, भण्डारण लाइसेंस जारी करने और रायल्टी और विनियमन शुल्क के भुगतान को आनलाइन जमा करने और निगरानी करने के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

डीजीएम द्वारा अनुमोदित खनन योजना और पट्टाधारक को स्वीकृत प0म0 में किसी भी खनन गतिविधि को करने के लिए सीमांकित क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। सभी उप खनिजों की खनन संक्रियाएं खनन योजना के अनुसार की जायेंगी। इसके अलावा, भौतिक एमएम–11 प्रपत्र के स्थान पर 1 अगस्त 2017 से खनिजों के परिवहन हेतु इलेक्ट्रानिक–एमएम–11 (ई–एमएम–11) प्रपत्र लागू किए गए थे।

विभाग द्वारा 2017–18 से 2021–22 के दौरान अवैध खनन/परिवहन के प्रकरणों की संख्या एवं अवैध खननकर्ताओं/परिवहनकर्ताओं से आरोपित एवं वसूल की गई धनराशि की सूचना प्रदान की गयी, जिसका विवरण **तालिका–4.1** में दिया गया है:

[67] ''पिट माउथ वैल्यू'' का अर्थ है पिट हेड पर या उत्पादन के बिन्दु पर उप खनिज का बिक्री मूल्य।

तालिका 4.1
मामलों की संख्या, आरोपित धनराशि एवं अवैध खननकर्ताओं/परिवहनकर्ताओं से वसूली गई धनराशि का विवरण

वर्ष	अवैध उत्खनन/परिवहन के मामलों की संख्या	आरोपित राशि ₹ करोड़ में	वसूल की गई राशि ₹ करोड़ में
2017-18	10,188	30.45	28.73
2018-19	21,752	98.47	80.86
2019-20	20,348	73.85	48.67
2020-21	21,641	94.51	77.55
2021-22	25,986	138.37	124.89

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

लेखापरीक्षा ने चयनित जि0खा0का0 एवं डीजीएम के अभिलेखों की जाँच की। अवैध खनन के मामलों और ई–एमएम–11 प्रपत्रों के सृजन/उपयोग में कमियों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई अनियमितताओं को आगामी प्रस्तरों में उजागर किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

4.2 अवैध खनन सम्बन्धी नियामक ढाँचे में अन्तराल

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 23(1) में उपबन्धित है कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उन क्षेत्रों की घोषणा कर सकती है जिन्हें नीलामी द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है। अग्रेतर, नियम 23(3) में उपबन्धित है कि ऐसी घोषणा पर, उक्त नियमावली का अध्याय–III[68] उस क्षेत्र पर लागू नहीं होगा जिसके सम्बन्ध में घोषणा जारी की गई है।

इस प्रकार, किसी भी अवैध खनन के लिए राज्य सरकार अध्याय–III के प्रावधानों के अनुसार खनिज या उसके मूल्य और प्रासंगिक रायल्टी की वसूली कर सकती है। हालाँकि, उन क्षेत्रों के लिए जिन्हें नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए अधिसूचित किया गया है, अध्याय–III में दी गयी रायल्टी दर लागू नहीं है।

लेखापरीक्षा ने दो परिदृश्यों में दण्डात्मक प्रावधानों का विश्लेषण किया: अवैध खनन (अ) नीलाम क्षेत्रों में और (ब) नीलाम क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में। विश्लेषण के परिणाम नीचे दिये गये हैं।

(अ) नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिए गए खनन क्षेत्रों के मामले जिनमें खनिज मूल्य परिभाषित नहीं है

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 23(3) में उपबन्धित है कि नीलामी वाले क्षेत्रों के लिए अध्याय III लागू नहीं होगा। अध्याय III निर्धारित करता है कि खनिजों की रायल्टी खनिज के पिट–माउथ मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके आधार पर खनिज मूल्य आमतौर पर रायल्टी का पाँच गुना माना जाता है। चूँकि, अध्याय III नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिए गए खनन क्षेत्रों के मामलों में लागू नहीं होता है, ऐसे में अवैध खनन के मामले में खनिज मूल्य किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा, इस बारे में अस्पष्टता है। खनिज मूल्य आरोपित करने के लिए उपयुक्त प्रावधानों के अभाव में, जिला प्राधिकारियों ने अध्याय III की दरों को अपनाया।

[68] ई–नीलामी प्रणाली से पहले दिए जाने वाले पट्टों के लिए रायल्टी और अनिवार्य किराया के भुगतान से सम्बन्धित प्रावधान।

(ब) नीलाम किए गए क्षेत्रों के अन्दर/निकटवर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन के लिए अपर्याप्त रायल्टी की मात्रा और खनिज मूल्य आरोपित किया गया

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 217 पट्टों की पट्टा पत्रावलियों की नमूना जाँच किया और देखा कि 11 जि0खा0का0[69] में जहाँ नीलामी के माध्यम से पट्टे दिए गए थे, जिला प्राधिकारियों की जाँच टीम ने पट्टा क्षेत्र के अन्दर और स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों से 65 पट्टाधारकों द्वारा 10,98,156.37 घन मीटर उप खनिजों (बालू/मोरम/गिट्टी) के अवैध उत्खनन के 111 मामलों की सूचना दी गयी। जिला प्राधिकारियों ने अवैध खनन की मात्रा की गणना की और 111 मामलों में 65 पट्टाधारकों को अवैध खनन के लिये रायल्टी की आधार दर[70] पर कुल ₹ 90.28 करोड़ (₹ 15.22 करोड़ रायल्टी के रूप में, ₹ 73.55 करोड़ खनिज मूल्य के रूप में और ₹ 1.51 करोड़ शास्ति के रूप में) के माँग पत्र निर्गत किये और केवल ₹ 9.18 करोड़ ही वसूल कर सके।

लेखापरीक्षा ने जिलाधिकारी द्वारा वास्तव में आरोपित की गयी रायल्टी की दरों पर आधारित रायल्टी की मात्रा एवं खनिज मूल्य की तुलना नीलामी के माध्यम से प्राप्त रायल्टी की मात्रा और खनिज मूल्य से की। कुछ उदाहरणात्मक मामलों का विवरण **तालिका–4.2** में दिया गया है।

तालिका 4.2
अवैध खनन के लिए दण्ड राशि का विश्लेषण

(₹ लाख में कालम 3,4,8 के अतिरिक्त)

क्र0 सं0 (1)	पट्टाधारक का नाम (2)	अवैध खनन की मात्रा (घन मीटर में) एवं खनिज का नाम (3)	जिलाधिकारी द्वारा वास्तव में आरोपित				नीलामी के माध्यम से प्राप्त दर पर आधारित (लेखापरीक्षा द्वारा आकलित)			
			रायल्टी की दर (प्रति घन मीटर) (4)	रायल्टी (5)	रायल्टी का मूल्य (6)	कुल (7)	प्राप्त की गयी रायल्टी की दर (8)	रायल्टी (9)	रायल्टी का मूल्य (10)	कुल (11)
I	श्री मनीष चौहान	98,463 (रेत)	65	64.01	320.07	**384.08**	429	422.49	2,112.46	**2,534.95**
II	मेसर्स चौधरी ईंट. उद्योग प्रो– श्री बालकृष्ण शर्मा	9,450 (मोरम)	150	14.18	70.88	**85.06**	901	85.14	425.72	**510.86**
III	मेसर्स साई राम इण्टरप्राइजेज, पार्टनर–श्री चंद्र भूषण गुप्ता	62,072 (गिट्टी)	160	99.32	496.58	**595.90**	3,010	1,868.37	9,341.84	**11,210.21**
IV	मेसर्स सीएस इंफ्राकंस्ट्रक्शन,प्रो0 श्रीमती पुष्पा सिंह	33,603 (गिट्टी)	160	53.76	268.82	**322.58**	3,000	1,008.09	5,040.45	**6,048.54**

उपरोक्त तालिका में आँकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि अवैध खनन के लिए दण्डात्मक माँग जैसे कि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के अध्याय III में दी गई रायल्टी की दरों पर आधारित थीं, जो नीलामी के माध्यम से प्राप्त दरों से बहुत कम थी। इस प्रकार, जबकि अध्याय III में उपरोक्त मामलों में रायल्टी की दरें ₹ 65 से ₹ 160 तक थीं, नीलामी के माध्यम से प्राप्त दरें ₹ 429 से ₹ 3,010 तक थीं। अध्याय III की

[69] बागपत, बाँदा, बुलन्दशहर, फतेहपुर, जीबी नगर, हमीरपुर, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, शामली और सोनभद्र।

[70] उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 की अनुसूची I में दी गयी खनिजों पर रायल्टी की दरें।

दरों के आधार पर, इन पट्टाधारकों से केवल ₹ 85.06 लाख से ₹ 5.96 करोड़ के बीच की राशि (रायल्टी और खनिज मूल्य) की माँग की गई थी। हालाँकि, यदि नीलामी दरों पर गणना की जाती तो इन चार पट्टाधारकों को ₹ 5.11 करोड़ से ₹ 112.10 करोड़ के बीच दण्ड राशि का भुगतान करना होता। इसलिए, पट्टा क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों के भीतर पट्टाधारकों द्वारा अवैध खनन की घटनाओं के बावजूद, मौजूदा नियमों ने काफी कम दरों पर रायल्टी और खनिज मूल्य के आरोपण और सरकार को सम्भावित राजस्व की हानि को अनुमन्य किया।

सरकार ने समापन गोष्ठी में कहा कि खा0 और ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी भी भूमि से बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी खनिज का उठान और निस्तारण करता है, तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से रायल्टी, कर, खनिज मूल्य आदि वसूल सकती है। उप खनिजों के लिए रायल्टी की दरें उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 2021 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। नियमावली के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, रायल्टी, खनिज के बिक्री मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। खनिज मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिनियम या नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है। ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया में नियमावली की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट रायल्टी दर को आधार मूल्य माना जाता है। बोली प्रक्रिया में उच्चतम बोली से प्राप्त राशि को रायल्टी नहीं कहा जा सकता। रायल्टी का कानूनी अर्थ अधिनियम या नियमावली में निर्दिष्ट रायल्टी तक ही सीमित है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिये गये खनन क्षेत्रों के मामलों में अध्याय III और उसमें प्रदान की गयी रायल्टी की दरें लागू नहीं होती हैं। इन मामलों में, पट्टाधारकों द्वारा पट्टा क्षेत्र और/या स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र में अवैध खनन किया गया था और इसलिये खनिज मूल्य नीलामी दर के पाँच गुना पर आरोपित किया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त, अध्याय III में प्रदान की गयी रायल्टी की दरों में 19 जनवरी 2016 से संशोधन नहीं किया गया था। अग्रेतर, नीलामी दर पर रायल्टी लागू नहीं करने और अध्याय III में प्रदान की गयी रायल्टी की दरों को संशोधित नहीं करने के परिणामस्वरूप ऐसे उदाहरण सामने आये (संदर्भ तालिका 4.2 की क्रम संख्या 3 और 4) जहाँ अवैध खनन के लिये आरोपित की गयी रायल्टी की धनराशि और खनिज मूल्य वैध खनन के लिये देय रायल्टी की धनराशि से बहुत कम है। इससे अवैध खनन को बढ़ावा मिलता है और शासन को सम्भावित राजस्व की काफी क्षति होती है।

संस्तुतिः

5. सरकार नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों में खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम की धारा 21(5) के अनुसार खनिज मूल्य और रायल्टी को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली में संशोधन कर सकती है।

6. सरकार नीलामी के माध्यम से तय किए गए खनन पट्टों के निकटवर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन के मामलों में लागू होने वाली रायल्टी की दरों की समयबद्ध तरीके से समीक्षा और अद्यतन भी कर सकती है।

4.3 गूगल अर्थ से देखी गई अवैध खनन और अन्य अनियमितताएँ

लेखापरीक्षा ने गूगल अर्थ से 16 जनपदों के 217 पट्टा स्थलों की जाँच किया और ऐसे उदाहरण पाये जिनमें पट्टा क्षेत्र से बाहर एवं बिना पट्टा के खनिजों का उत्खनन किया गया। यह भी पाया गया कि पट्टाधारकों ने बालू खनन दिशानिर्देशों और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जिसमें उत्खनकों की मदद से खनिज का उत्खनन किया। गूगल अर्थ से प्राप्त कुछ प्रेक्षण नीचे चित्रों के साथ दर्शाए गए हैं, जो आपत्तिगत क्षेत्रों को उजागर करते हैं:

4.3.1 पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन

प0म0 / सीमांकन रिपोर्ट में दिखाए गए 16 जनपदों के 217 खनन पट्टों के भू–निर्देशांकों का अंकन करने के बाद, लेखापरीक्षा ने 11 जिलों में पाया कि 45 पट्टाधारकों को आवंटित पट्टा क्षेत्रों के बाहर खनिजों का उत्खनन किया गया था और कुल क्षेत्रफल जिसमें अवैध खनन किया गया था वह लगभग 268.91 हेक्टेयर (26,89,100 वर्ग मीटर) था। रूढ़िवादी पक्ष के अनुसार, न्यूनतम एक मीटर की गहराई लेते हुए, 26.89 लाख घन मीटर खनिजों का अवैध रूप से उत्खनन किया गया जैसा कि **तालिका–4.3** में वर्णित है।

तालिका 4.3
पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन

जिला का नाम	पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन	
	मामलों की संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
बांदा	6	45.48
चित्रकूट	4	34.29
फतेहपुर	5	32.42
गौतमबुद्धनगर	2	15.60
हमीरपुर	11	62.91
कानपुर देहात	1	1.79
कौशाम्बी	5	15.27
प्रयागराज	5	22.09
सहारनपुर	2	7.96
सिद्धार्थनगर	1	1.00
सोनभद्र	3	30.10
योग	**45**	**268.91**

उपरोक्त पट्टों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं।

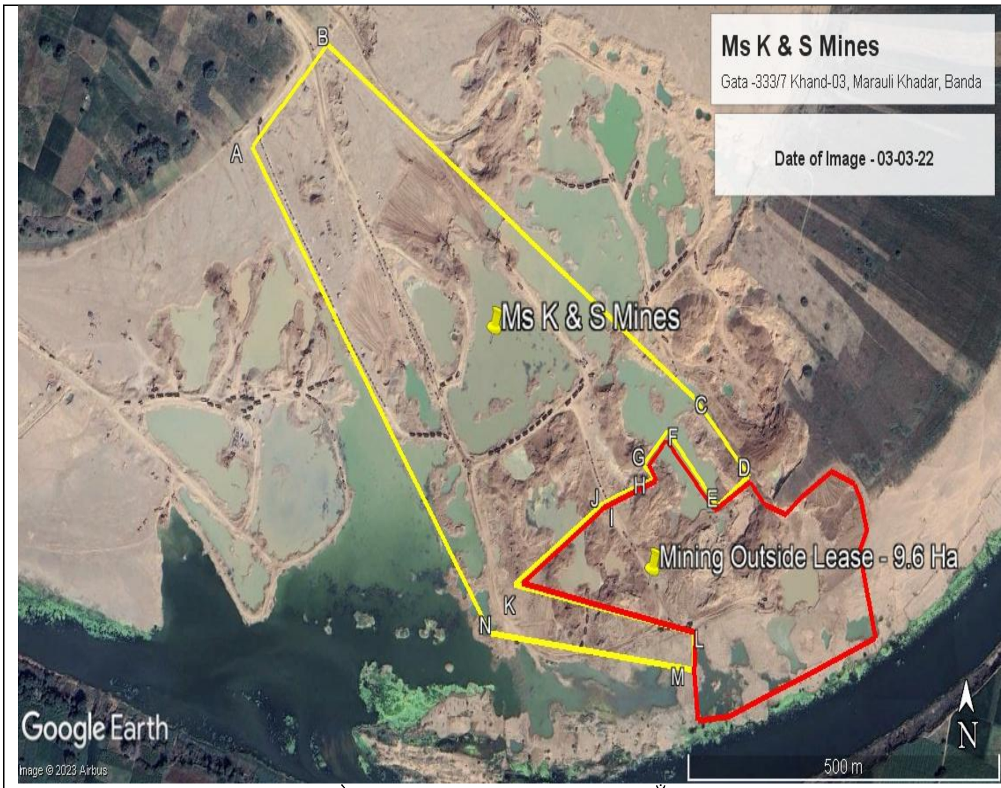

के.एस. माइन्स, 333/7 खण्ड–3, बाँदा

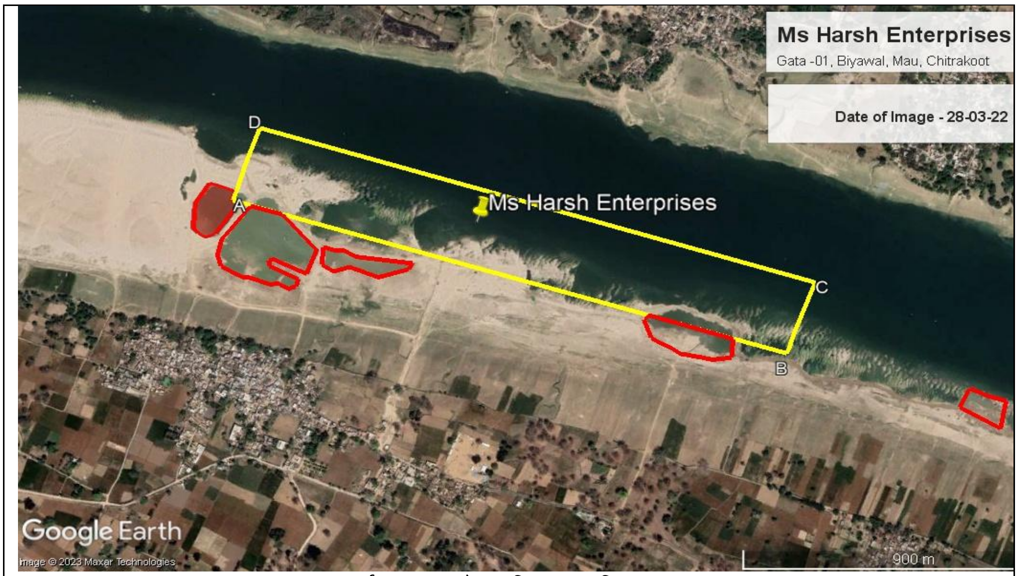

हर्ष इंटरप्राइजेज, बियावल, चित्रकूट

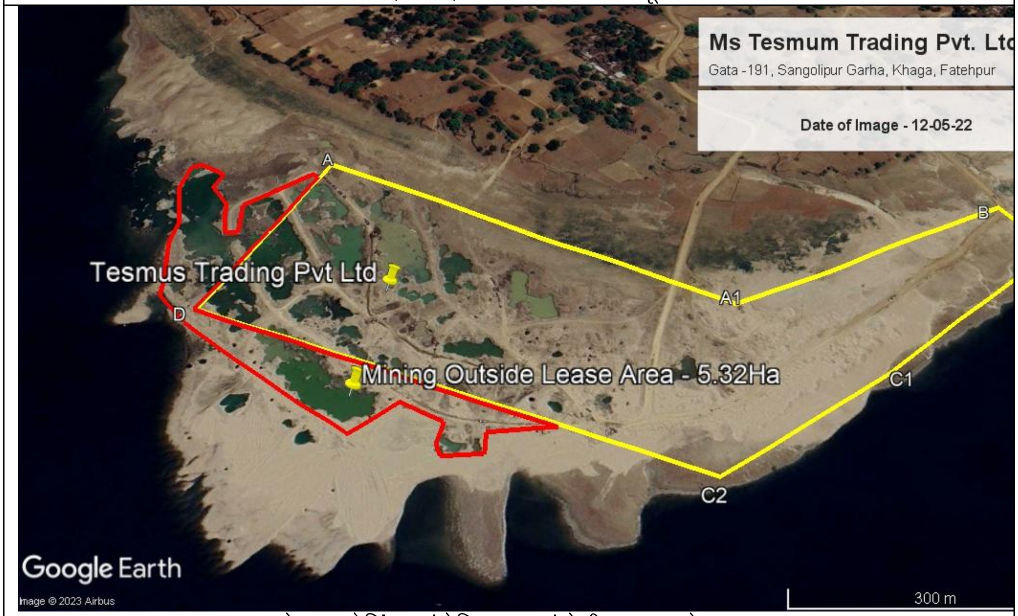

टेस्मस ट्रेडिंग, कंपोजिट – सांगोली गढ़ा, फतेहपुर

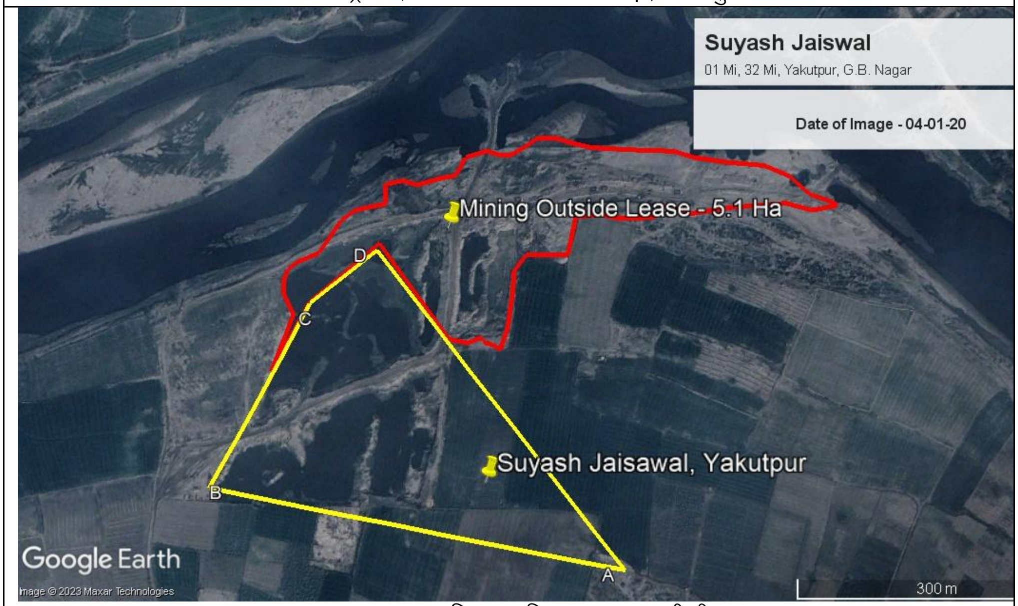

सुयश जयसवाल, 01 मि., 32 मि., याकूतपुर, जी.बी. नगर

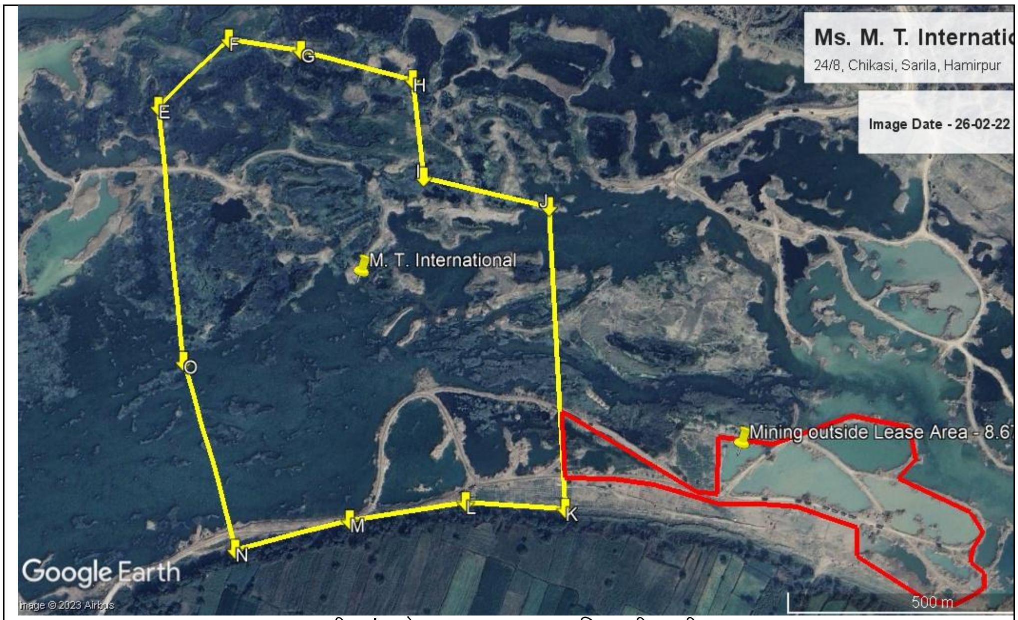

एम. टी. इंटरनेशनल, 24/8 – चिकासी, हमीरपुर

प्राइम विजन, ख–11/37, अंगना, कौशाम्बी

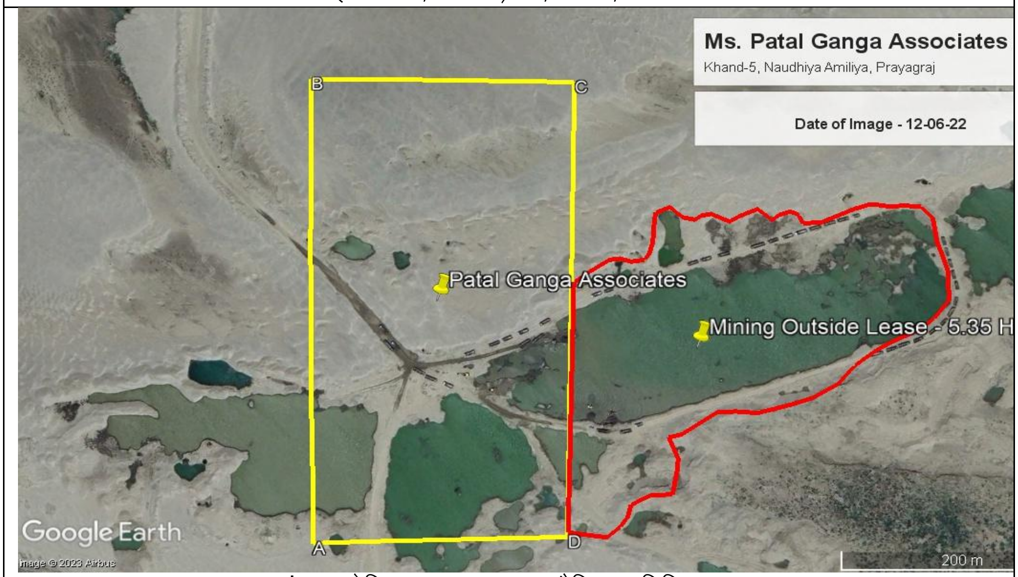

पाताल गंगा एसोसिएट्स, खण्ड–05, नौधिया अमिलिया, प्रयागराज

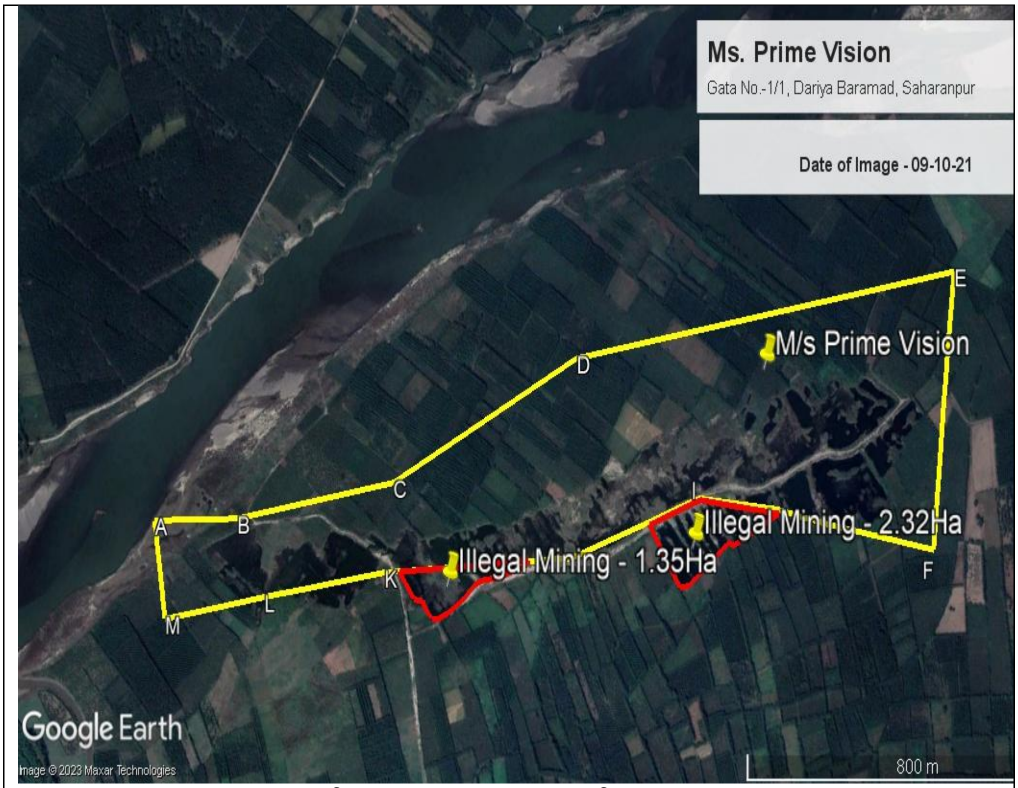

एमएस प्राइम विजन, गाटा संख्या–1/1, दरिया बरामद, सहारनपुर

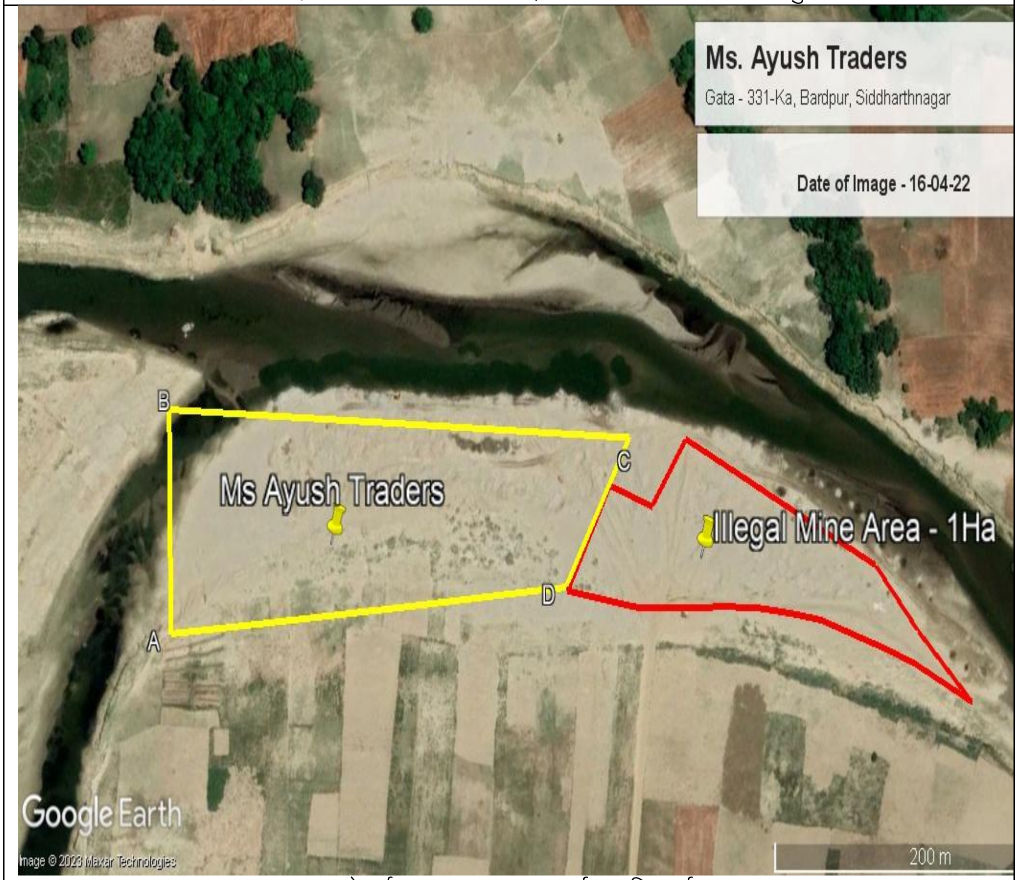

आयुष ट्रेडर्स, गाटा–331–का, बर्डपुर, सिद्धार्थनगर

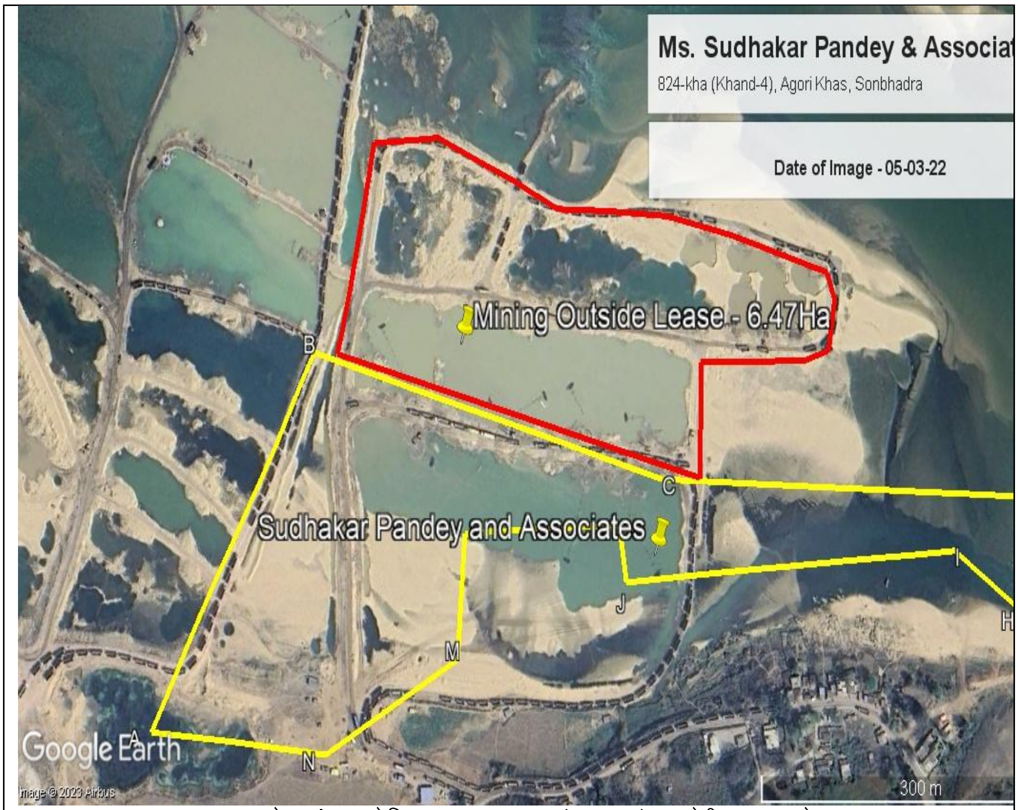

सुधाकर पाण्डेय एंड एसोसिएट्स, 824–खा (खण्ड–4), अगोरी खास, सोनभद्र

चित्र 4.1– पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिजों का उत्खनन (पट्टा क्षेत्र – पीला बहुभुज, अवैध खनन क्षेत्र – लाल बहुभुज)

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में कहा कि पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन कार्य की समय–समय पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा जाँच की जाती है। इसके अलावा, तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से ड्रोन सर्वेक्षण करके अवैध खनन पर रोक लगाई जाती है। निरीक्षण के दौरान स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर अवैध खनन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। गूगल अर्थ से प्राप्त चित्र एवं क्षेत्र के बाहर खनन गड्ढों की अनुमानित माप के आधार पर कानूनी कार्यवाही संभव नहीं है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने इन अवैध खनन क्षेत्रों का पता लगाने और जाँच करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप का उपयोग नहीं किया।

4.3.2 खनन पट्टा दिये बिना अवैध खनन

प0म0 / सीमांकन रिपोर्ट में दिखाए गए 16 जनपदों के 217 खनन पट्टों के भू–निर्देशांकों का अंकन करने के बाद लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन जिलों के पाँच मामलों में खनन पट्टा दिए बिना 30.40 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन हुआ। उपग्रही इमेजरी ने स्पष्ट रूप से इन क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही, पोक्लेन / उत्खनक / सक्शन पम्प की उपस्थिति और खनन गतिविधियों का संकेत देने वाली सतह की बनावट का एक सुसंगत पैटर्न दिखाया। देखे गए मामलों का विवरण **तालिका–4.4** में दिया गया है।

तालिका 4.4
खनन पट्टा दिए बिना अवैध खनन

जिला	लीज एरिया के अलावा अवैध खनन	
	मामलों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
चित्रकूट	1	14.90
हमीरपुर	3	6.18
सोनभद्र	1	9.32
योग	**5**	**30.40**

उपरोक्त मामलों के उदाहरण निम्नलिखित हैं।

चित्रकूट

- 25°19'31.35"N 80°45'45.03"E

हमीरपुर

- 25°54'13.26"N 79°48'51.49"E
- 25°54'06.91"N 79°48'58.39"E
- 25°54'08.52"N 79°49'04.17"E

सोनभद्र

- 24°32'06.48"N 82°59'32.17"E

चित्र 4.2– खनन पट्टा दिए बिना उत्खनन (अवैध खनन क्षेत्र–रेड पॉलीगॉन)

समापन गोष्ठी में शासन ने बिना खनन पट्टा दिए उत्खनन के मामले पर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

4.4 रिमोट सेंसिंग/जीआईएस के माध्यम से पता लगाया गया अवैध खनन एवं अन्य अनियमिततायें

लेखापरीक्षा परिणामों के प्रारम्भिक निष्कर्षों के पुनर्मूल्यांकन और पुष्टि के लिए लेखापरीक्षा ने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सेल, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के सहयोग से एक अध्ययन किया। अध्ययन रिपोर्ट विभाग को उसके उत्तर/टिप्पणियों के लिए जारी की गई थी। चयनित तहसील सरीला (हमीरपुर) एवं बारा (प्रयागराज) में लेखापरीक्षा एवं विभाग के साथ जीआईएस सेल के प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र जाँच भी की गई। अवैध खनन की उपस्थिति का आकलन करने के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई गई।

अ. न्यूनतम क्लाउड कवर के साथ उपलब्ध क्षेत्रों को कवर करने वाली उपग्रह इमेजरी का चयन।

ब. उपग्रह इमेजरी का सह–पंजीकरण।

स. उपग्रह इमेजरी का ऑर्थोरेक्टिफिकेशन[71]।

द. उपग्रह चित्रों द्वारा संदिग्ध अवैध रूप से खनन और पहुँच वाले क्षेत्रों की मैन्युअल मैपिंग और उनकी अस्थायी तुलना।

य. उपग्रह चित्रों से अवैध संदिग्ध खनन का मानचित्रण मुख्य रूप से सन्देह रहित उत्खनन क्षेत्रों पर केंद्रित है, जो ढलान बहुत स्पष्ट नहीं हैं उनका मानचित्रण नहीं किया जाता है।

र. अवैध के रूप में मैप किये गये क्षेत्र मुख्य रूप से उपग्रही चित्रों और उपलब्ध उपग्रही चित्रों की तुलना के आधार पर चिन्हित किये गये हैं।

ल. नदी के किनारे वाले स्थलों की खुदाई की सीमा के लिए अधिकतर जल जमाव वाले क्षेत्रों का उपयोग किया गया है।

व. आयतन गणना के लिए स्थलाकृति के डेटा संग्रह हेतु टोटल स्टेशन का उपयोग किया गया था।

4.4.1 जाँच का क्षेत्र–1: भेड़ी खरका, सरीला, हमीरपुर

क्षेत्र भ्रमण के लिए चयनित जाँच क्षेत्र–1 (एओआई–1) चित्र–4.3 (लाल बहुभुज, 24.9 एकड़) में दिखाया गया है जो मोरम का स्थल है। एओआई–1 का चयन, प्रारम्भ में गूगल अर्थ उपग्रह इमेजरी द्वारा (चित्र 4.3 के अनुसार कार्टोसैट इमेजरी द्वारा भी मैप किया गया) अवैध संदिग्ध खनन गतिविधियों के प्रेक्षण पर और फिर भेड़ी खरका गाँव में स्थलों का क्षेत्र सर्वेक्षण करने पर किया गया था। चित्र 4.3, एओआई–1 में संदिग्ध खनन गतिविधियों को उजागर करने के लिए 2020 से 2022 तक की गूगल अर्थ से प्राप्त चित्र और कार्टोसैट 2ई और कार्टोसैट 3 से प्राप्त चित्रों को दिखाता है।

[71] यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपक्व उपग्रह चित्र डाटा से क्षेत्रीय विकृतियाँ हटायी जाती है ताकि विश्वसनीय चित्र डाटा प्राप्त हो सके।

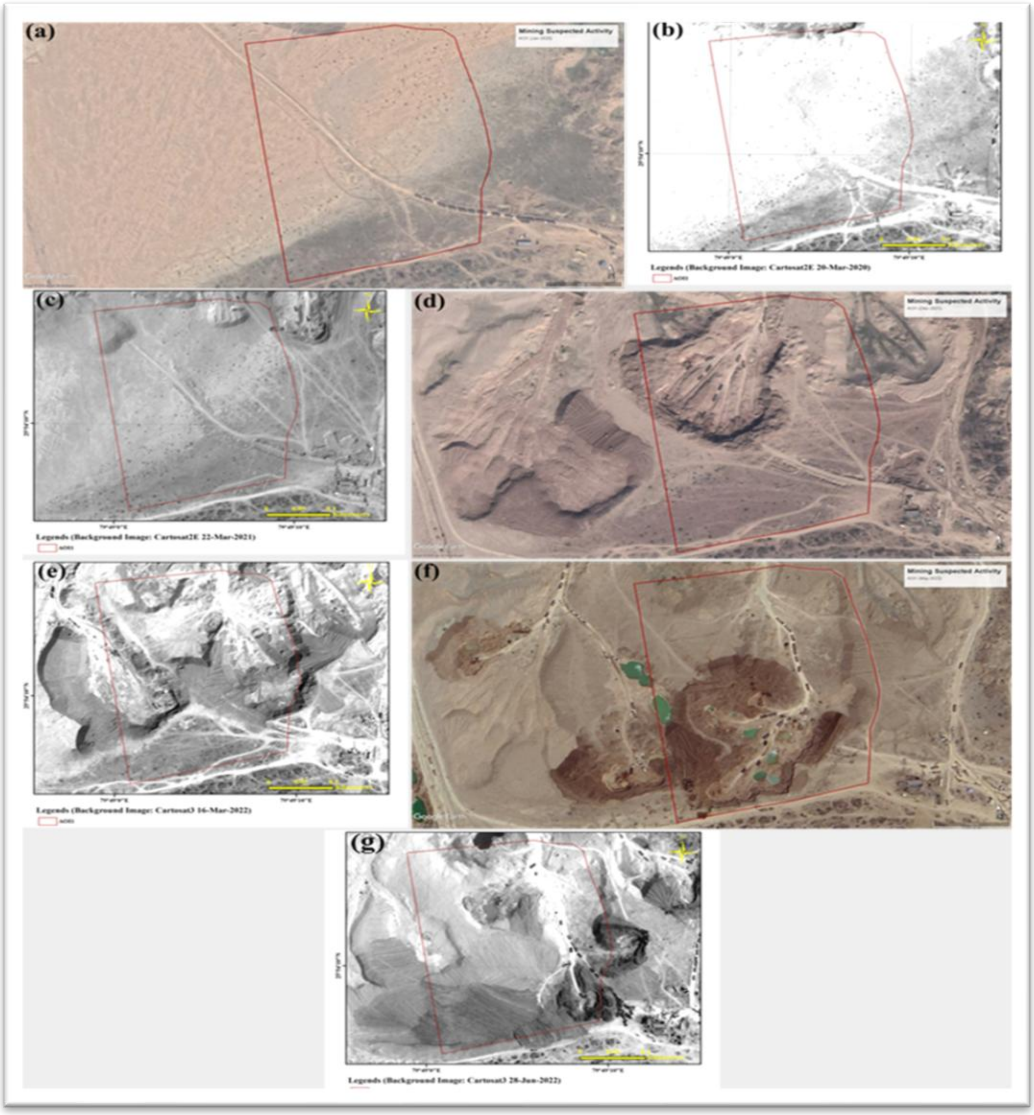

चित्र 4.3- लाल बहुभुज में कार्टोसैट और गूगल अर्थ छवियों में चयनित एओआई–1 दिखाया गया है (ए) जनवरी–2020, (बी) कार्टोसैट 2ई, मार्च–2020, (सी) कार्टोसैट 2ई, मार्च–2021, (डी) दिसम्बर– 2021, (ई) कार्टोसैट 3, मार्च–2022, (एफ) मई 2022, (जी) कार्टोसैट 3, जून–2022 (अक्षांश - 25.902982^0, देशांतर - 79.817960^0)

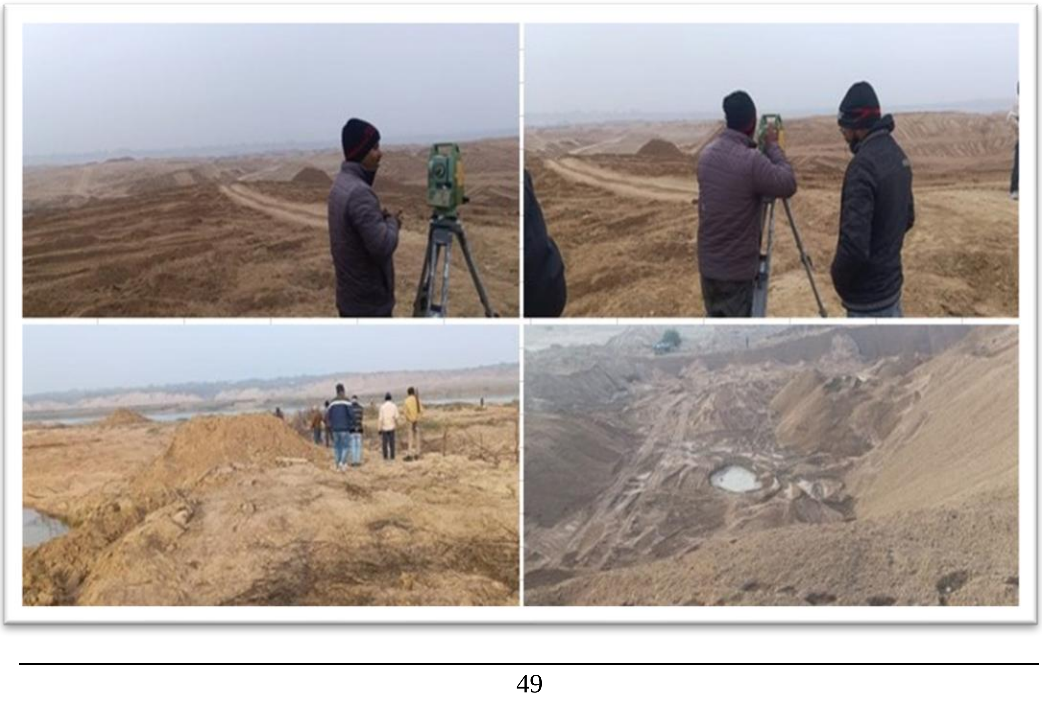

चित्र 4.4: डेटा संग्रह के दौरान खींचे गए फोटोग्राफ

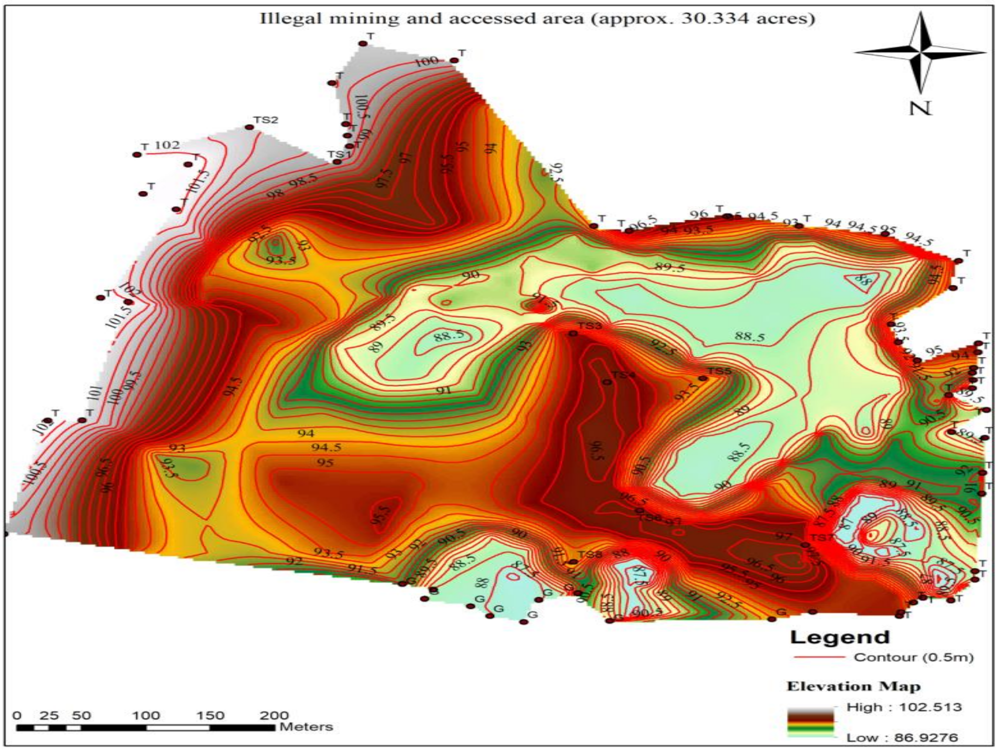

चित्र 4.5: एओआई–1 का समोच्च मानचित्र

गूगल अर्थ से लेखापरीक्षा ने देखा कि जनवरी–2020 की इमेजरी में ट्रकों के एक बेड़े को एओआई–1 से गुजरते हुए देखा गया है, उस समय कोई उत्खनन नहीं देखा गया है। दिसम्बर–2021 की इमेजरी में एओआई–1 में पट्टे (मेसर्स ए जे कंस्ट्रक्शन गाटा संख्या 23/14) को जोड़ने वाले रास्ते पर ट्रकों का एक बेड़ा देखा गया है और एओआई के उत्तर–पश्चिम हिस्से का उत्खनन किया गया है (9.29 एकड़)। मई–2022 की तस्वीरों में एओआई–1 के दक्षिण–पश्चिम हिस्से में ट्रकों के एक बेड़े को उत्खनकों के साथ देखा गया है और दक्षिण–पश्चिम हिस्से में बड़े पैमाने पर उत्खनन किया गया है।

अग्रेतर, क्षेत्र के भ्रमण पर एओआई–1 में सन्दर्भ स्तर से 6–10 मीटर की गहराई के कुल पाँच बड़े गढ्ढे और 4 छोटे गढ्ढे पाए गए, जो 15 मई 2022 की गूगल अर्थ इमेजरी से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। अबाधित भूमि का सन्दर्भ स्तर लेते हुये एक ऊंचाई समोच्च मानचित्र तैयार किया गया है (चित्र 4.5), जो बड़े गढ्ढों के क्षेत्र और गहराई को उचित ठहराता है। एओआई–1 के उत्तर से एक मोरम सड़क प्रवेश करती है जो जुड़े हुये पट्टे (मेसर्स ए.जे. कंस्ट्रक्शन, गाटा संख्या 23/14) से आती है।

डेटा संग्रह के आधार पर, लगभग 1,22,759 वर्ग मीटर (30.334 एकड़) के समतुल्य क्षेत्र में खनन किया गया जिसमे लगभग 3,72,963 घन मीटर मोरम की मात्रा शामिल थी। परिणामस्वरूप, सरकार को ₹ 34.21 करोड़ (रायल्टी ₹ 5.59 करोड़, खनिज मूल्य ₹ 27.97 करोड़ और शास्ति लगभग ₹ 65 लाख) के राजस्व से वंचित होना पड़ा। सम्बन्धित जि0खा0अ0 इस क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधि चिन्हित करने में विफल रहे।

4.4.2 जाँच का क्षेत्र–2: छतहरा घुरेहठा, बारा, प्रयागराज

दूसरा क्षेत्र, एओआई–2 को आयतन गणना के लिए चुना गया था, चित्र 4.6(ए) (लाल बहुभुज) में दिखाया गया है। यह ग्राम छतहरा घुरेहठा, गाटा संख्या 719 – खण्ड 1 और खण्ड 2, क्षेत्रफलः 5 एकड़ प्रत्येक (जीपीएस निर्देशांक के अनुसार 5.99 और 4.84 एकड़) में सरिता कंस्ट्रक्शन का पत्थर का पट्टा है। चित्र 4.6(ए) में, लाल, गुलाबी, नीला और हरा बहुभुज क्रमशः वर्ष 2018, 2020 और 2022 में उत्खनन दिखाते हैं और आवंटित स्थल के साथ सीमा को दर्शाते हैं। चित्र 4.6(बी) भी 2019 और 2021 की कार्टोसैट इमेजरी का उपयोग करके मैप की गई संदिग्ध अवैध खनन गतिविधियों को दिखाता है।

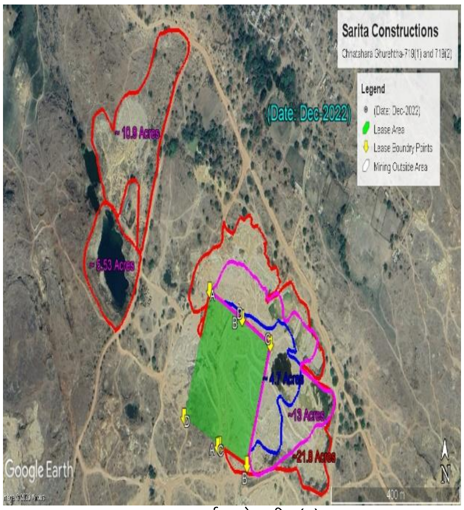 गूगल अर्थ इमेजरी (ए)	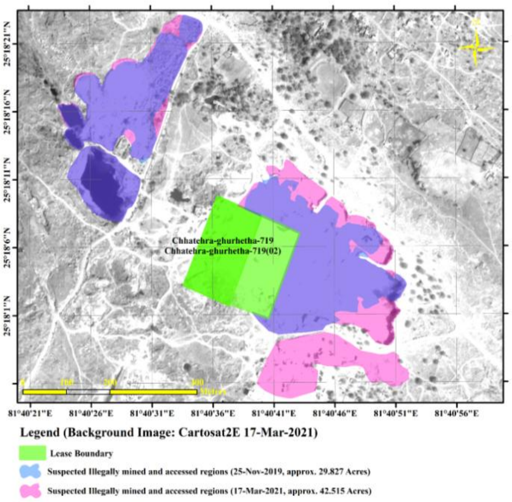 कार्टोसैट इमेजरी (बी)
फरवरी–2018 (नीला बहुभुज 4.7 एकड़) जनवरी–2020 (गुलाबी बहुभुज 13 एकड़) दिसम्बर–2022 (लाल बहुभुज 38.23 एकड़)	नवम्बर–2019 (नीला क्षेत्र 28.827 एकड़) मार्च–2021 (गुलाबी क्षेत्र 42.515 एकड़)

चित्र 4.6: सरिता कंस्ट्रक्शन्स (छतहरा घुरेठा–719(1) और 719(2)) के आसपास दर्ज की गई खनन संदिग्ध गतिविधि

एओआई–2 में दो पट्टे शामिल हैं लेकिन उत्खनन लगातार पट्टों के बाहर किया गया था (चित्र 4.6 (ए) और (बी) देखें)। पट्टे वाले क्षेत्र के बाहर काफी हद तक 15–20 मीटर की गहराई तक खनन किया गया था और समोच्च ऊँचाई मानचित्र (चित्र 4.7) भी इसे उचित ठहराता है।

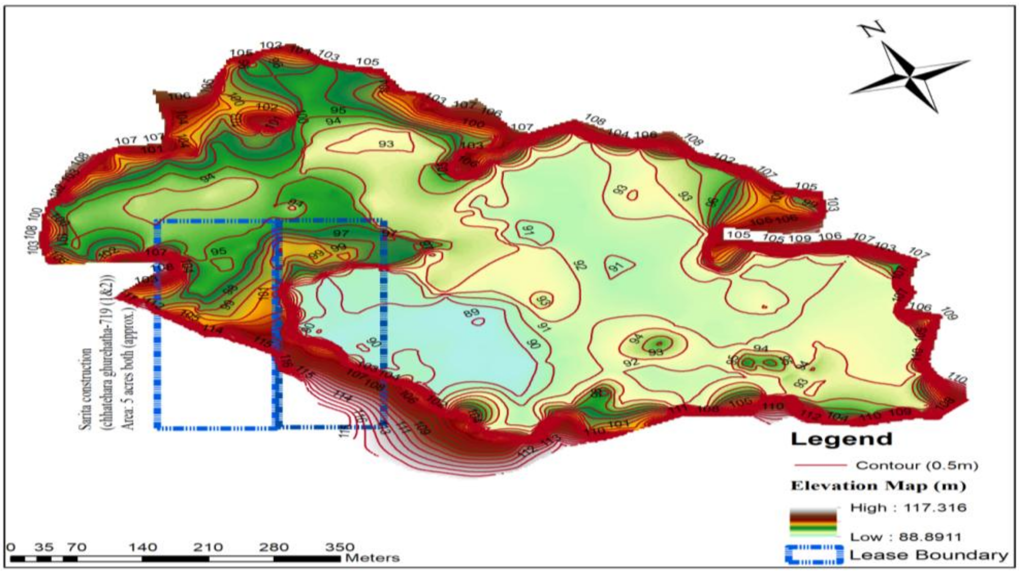

चित्र 4.7: एओआई–2 का समोच्च मानचित्र

उपरोक्त जाँच के आधार पर, कुल लगभग 1,17,545 वर्ग मीटर (29.046 एकड़) के समतुल्य क्षेत्र का खनन किया गया था, जिसमें लगभग 18,18,890 घन मीटर मात्रा शामिल थी। परिणामस्वरूप, सरकार को ₹ 120.66 करोड़ (रायल्टी ₹ 20.01 करोड़, खनिज की कीमत ₹ 100.05 करोड़ और शास्ति ₹ 60 लाख) के राजस्व से वंचित होना पड़ा। सम्बन्धित जि0खा0अ0 इस क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधि की पहचान करने में विफल रहे।

4.4.3 जाँच का क्षेत्र–3 : कचरा मिश्रपुर, बारा, प्रयागराज

चित्र 4.8 (हरा बहुभुज) में दिखाया गया चयनित एओआई–3, मेसर्स अमन ब्रिक फील्ड का बालू पट्टा है। तस्वीरों से यह देखा जा सकता है कि एओआई–3 के आसपास कई नावों की पहचान की गई थी।

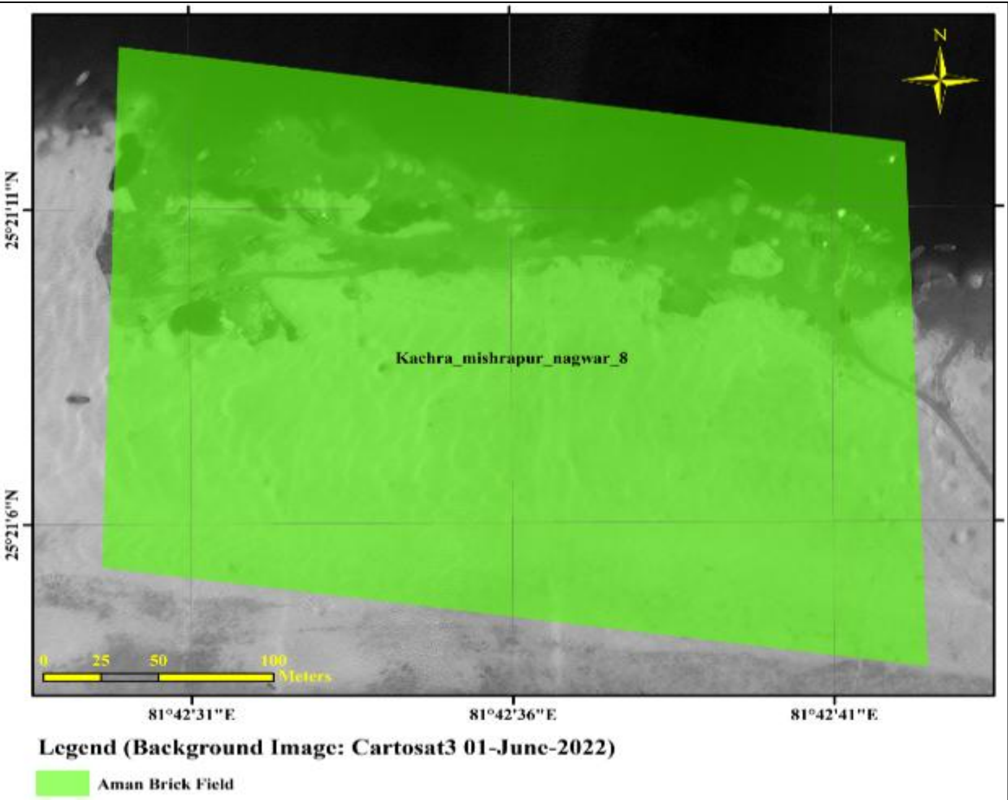

लीज की कार्टोसैट 3 इमेजरी (जून–2022)

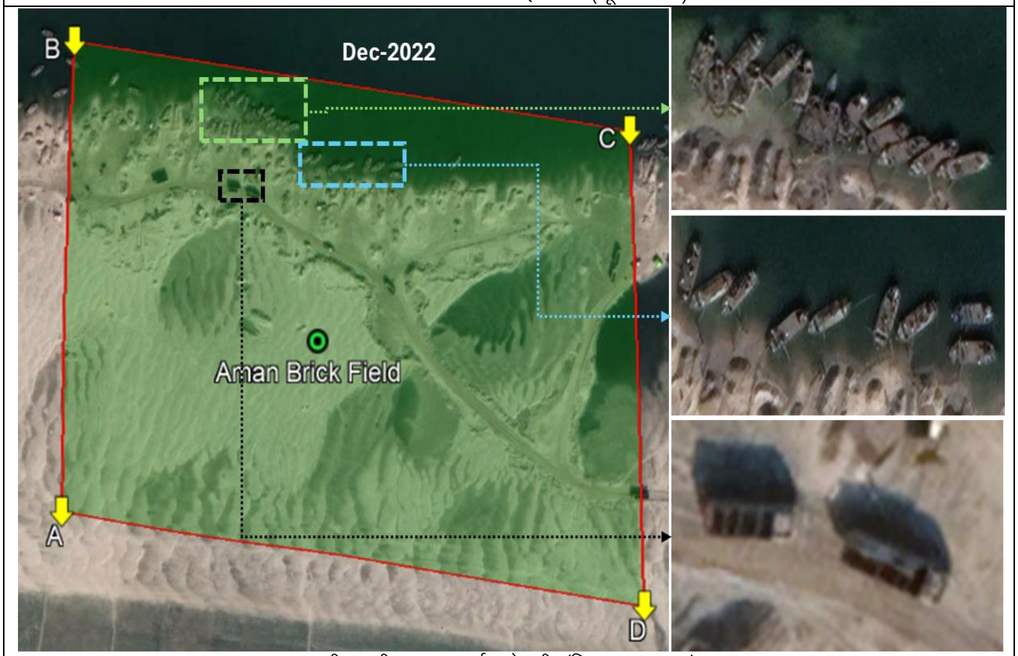

लीज़ की गूगल अर्थ इमेजरी (दिसम्बर–2022)

चित्र 4.8: चयनित एओआई–3 (हरे बहुभुज में), (अक्षांश:25.322359°, देशांतर:81.709870°) अमन ब्रिक फील्ड (कचरा, मिश्रपुर, नगरवार खण्ड–08)

फरवरी 2023 में क्षेत्र भ्रमण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि पट्टा स्थल का उपयोग खनन उद्देश्य के लिए कुशलतापूर्वक नहीं किया गया था, इसके बजाय इसका उपयोग बालू डम्प करने के लिए किया जा रहा था। बालू को अन्य स्थानों से नावों द्वारा लाया जा रहा था और पट्टा स्थल का उपयोग डंपिंग उद्देश्य के लिए किया जा रहा था (चित्र 4.9)।

चित्र 4.9: प्रयागराज के क्षेत्र भ्रमण के दौरान ली गई तस्वीरें

4.4.4 सैटेलाइट इमेजरीज़ (गूगल अर्थ और कार्टोसैट इमेज) का उपयोग करके की गई जाँच

लेखापरीक्षा ने उपग्रह इमेजरी (गूगल अर्थ और कार्टोसैट इमेजरी) से चयनित स्थलों की खनन गतिविधियों का विश्लेषण किया और दोनों से प्राप्त चित्रों की तुलना की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पट्टाधारकों द्वारा लगातार अवैध खनन किया जा रहा था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

अ. ग्राम भेड़ी खरका, सरीला, हमीरपुर

इस गांव में, इमेजरी में आठ पट्टे हैं जिनके चारों ओर अवैध रूप से खनन, अभिगमन और संदिग्ध क्षेत्रों को कार्टोसैट इमेजरी का उपयोग करके मैप किया गया है।

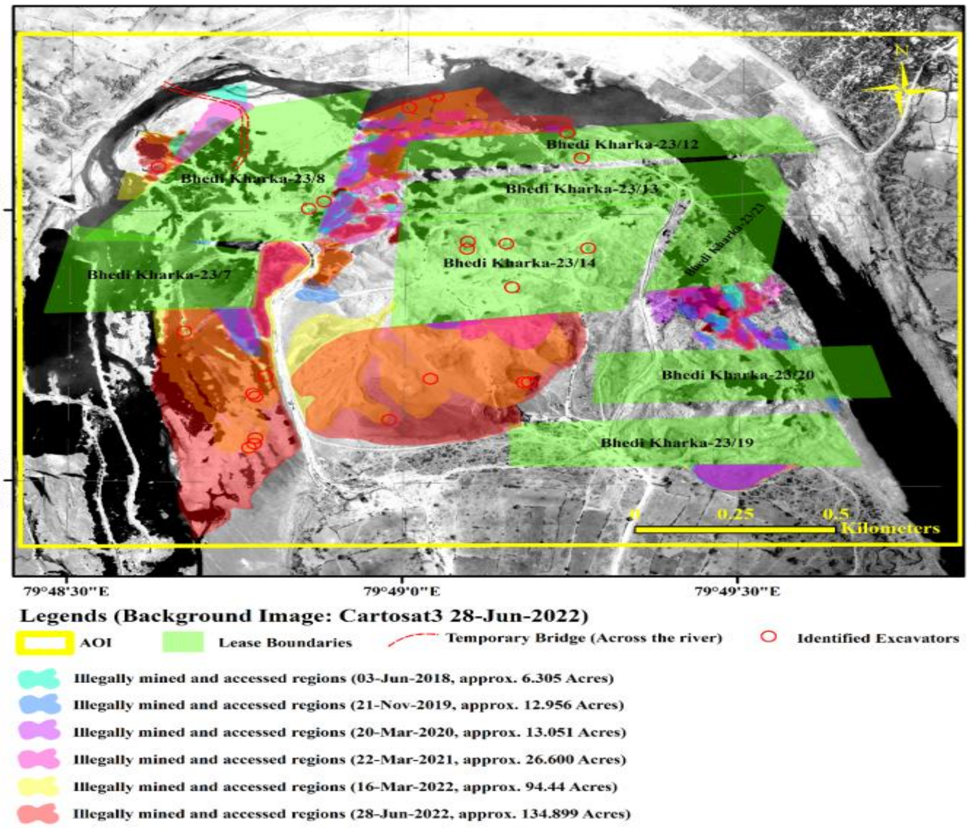

चित्र 4.10:कार्टोसैट इमेजरी से अवैध रूप से खनन और पहुँच वाले क्षेत्रों के मानचित्र (जून 2018 हरा 6.305 एकड़, नवम्बर 2019 नीला 12.956 एकड़, मार्च 2020 बैंगनी 13.051 एकड़, मार्च 2021 गुलाबी 26.60 एकड़, मार्च 2022 पीला 94.44 एकड़, जून 2022 लाल 134.899 एकड़)

लेखापरीक्षा ने चित्र 4.10 में कार्टोसैट इमेजरी से देखा कि जून 2018 में अवैध खनन क्षेत्र 6.305 एकड़ था जो मार्च 2019 में बढ़कर 12.956 एकड़, मार्च 2020 में 13.051 एकड़, मार्च 2021 में 26.60 एकड़, मार्च 2022 में 94.44 एकड़ और जून 2022 में 134.899 एकड़ हो गया।

ब. ओम लक्ष्मी इंडस्ट्रीज (कचारी 145–405, 20.5 एकड़), प्रयागराज

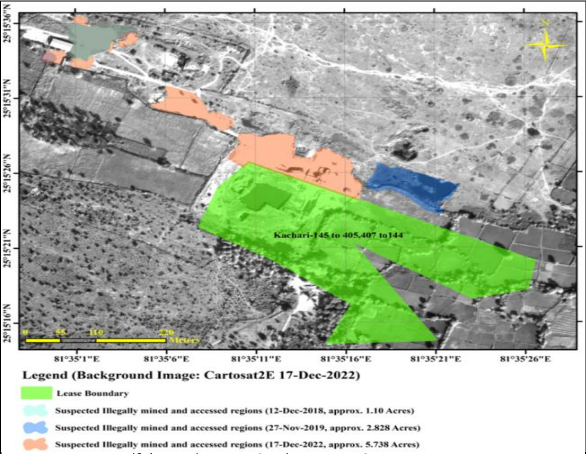 कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–12–दिसम्बर–2018) कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–27–नवम्बर–2019) कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–17–दिसम्बर–2022)	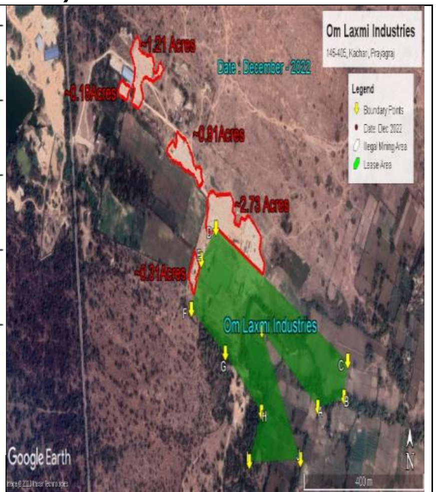 गूगल अर्थ इमेजरी (दिनाँक–12–दिसम्बर–2022)
(अवैध खनन गतिविधियाँ 1.10 एकड़, 2.828 एकड़ और 5.738 एकड़)	(लाल बहुभुज में अवैध खनन गतिविधियाँ 5.35 एकड़)

चित्र 4.11: ग्राम कचारी, प्रयागराज में अवैध खनन गतिविधि

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी के उपरोक्त चित्रों से यह देखा जा सकता है कि खनन, आबंटित पट्टा क्षेत्र के बाहर किया जा रहा था। दिसम्बर 2018 से दिसम्बर 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगातार लगभग 1.10 एकड़ से बढ़कर लगभग 5.738 एकड़ हो गया।

इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि 12 दिसम्बर 2022 की गूगल अर्थ इमेजरी और 17 दिसम्बर 2022 की कार्टोसैट इमेजरी बहुत समान संदिग्ध अवैध खनन क्षेत्रों को दिखाती है, इस प्रकार परिणामों को तुलनीय कहा जा सकता है।

स. चावला सिलिका सैन्ड ट्रेडिंग कम्पनी (लखनौती–2, 41.6 एकड़), प्रयागराज

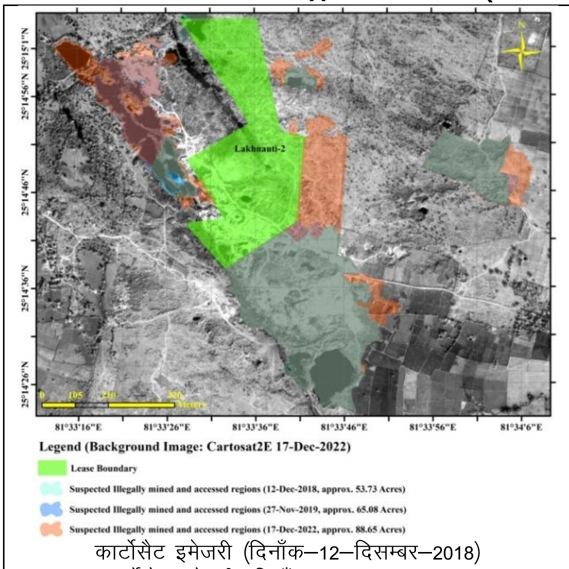 कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–12–दिसम्बर–2018) कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–27–नवम्बर–2019) कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–17–दिसम्बर–2022)	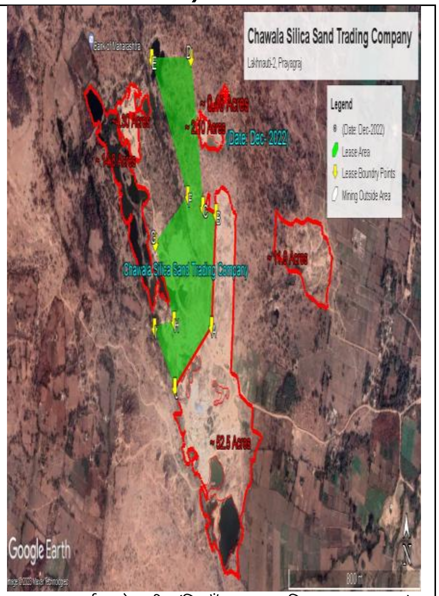 गूगल अर्थ इमेजरी (दिनाँक–06–दिसम्बर–2022)
(अवैध खनन गतिविधियाँ 53.73 एकड़, 65.08 एकड़ और 88.65 एकड़)	(लाल बहुभुज में अवैध खनन गतिविधियाँ 86.08 एकड़)

चित्र 4.12: ग्राम लखनौती, प्रयागराज में अवैध खनन गतिविधि।

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी की उपरोक्त तस्वीरों से यह देखा जा सकता है कि दिसम्बर 2018 से दिसम्बर 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगभग 53.73 एकड़ से लगातार बढ़कर लगभग 88.65 एकड़ हो गया है।

यहाँ यह भी समझा जा सकता है कि 6 दिसम्बर 2022 की गूगल अर्थ इमेजरी और 17 दिसम्बर 2022 की कार्टोसैट इमेजरी संदिग्ध अवैध खनन क्षेत्रों को बहुत समान दिखाती है, इस प्रकार परिणामों को तुलनीय कहा जा सकता है।

द. विजय लक्ष्मी केसरवानी (कचारी 10–13, 18.9 एकड़), प्रयागराज

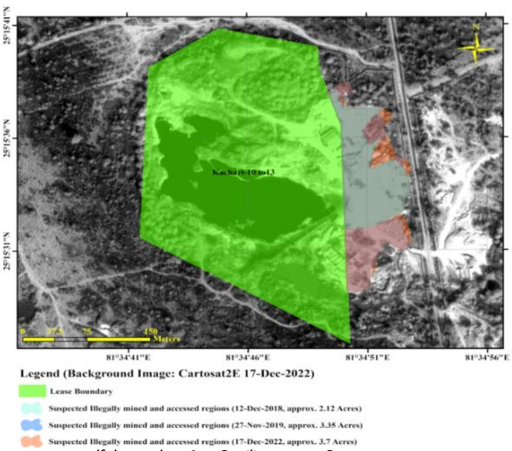 कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–12–दिसम्बर–2018) कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–27–नवम्बर–2019) कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–17–दिसम्बर–2022)	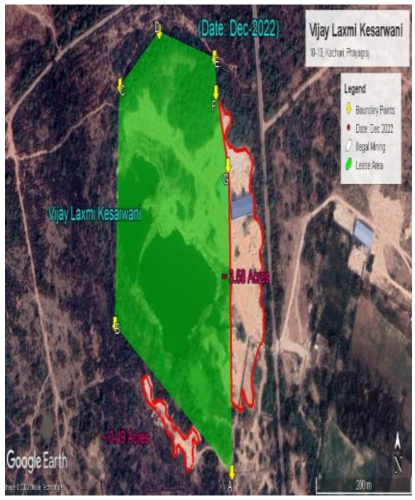 गूगल अर्थ इमेजरी (दिनाँक–06–दिसम्बर–2022)
(अवैध खनन गतिविधियाँ 2.12 एकड़, 3.35 एकड़ और 3.7 एकड़)	(लाल बहुभुज 4.07 एकड़ में अवैध खनन गतिविधियाँ)

चित्र 4.13: ग्राम कचारी, प्रयागराज में अवैध खनन गतिविधि

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी की उपरोक्त तस्वीरों से यह देखा जा सकता है कि दिसम्बर 2018 से दिसम्बर 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगातार लगभग 2.12 एकड़ से लगभग 4.07 एकड़ तक बढ़ गया।

यहाँ यह भी समझा जा सकता है कि 06 दिसम्बर 2022 की गूगल अर्थ इमेजरी और 17 दिसम्बर 2022 की कार्टोसैट इमेजरी समान संदिग्ध अवैध खनन क्षेत्रों को दिखाती है, इस प्रकार परिणामों को तुलनीय कहा जा सकता है।

य. धर्मेन्द्र सिंह तोमर (चंदवारी–घुरौली–26/3, 60.02 एकड़), हमीरपुर

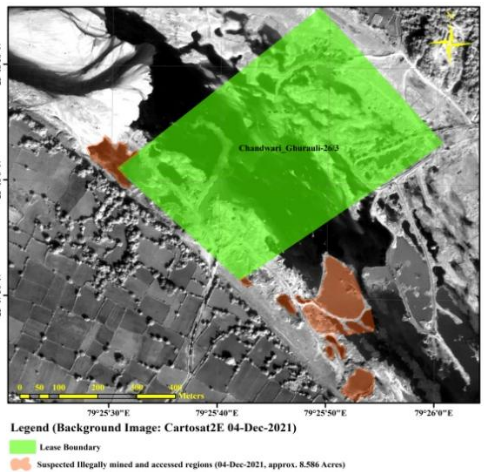 कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–04–दिसम्बर–2021)	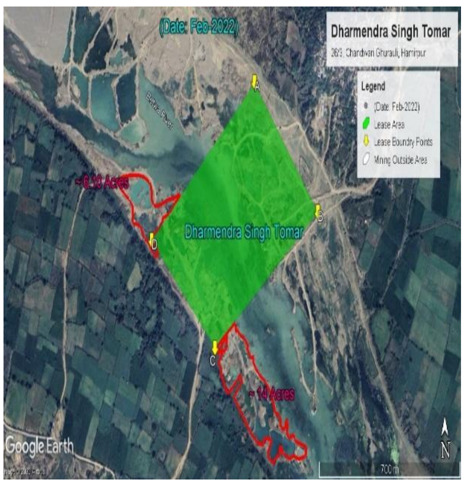 गूगल अर्थ इमेजरी (दिनाँक–26–फरवरी–2022)
(अवैध खनन गतिविधियाँ 8.586 एकड़)	(लाल बहुभुज में अवैध खनन गतिविधियाँ 20.10 एकड़)

चित्र 4.14: ग्राम चंदवारी घुरौली, हमीरपुर में अवैध खनन गतिविधि

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी के उपरोक्त चित्रों से यह देखा जा सकता है कि उत्खनन आवंटित पट्टा क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है। दिसम्बर 2020 से फरवरी 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगभग 8.586 एकड़ से बढ़कर लगभग 20.10 एकड़ हो गया है।

र. प्रताप सिंह तोमर (बडेरा खालसा–9, 60.02 एकड़), हमीरपुर

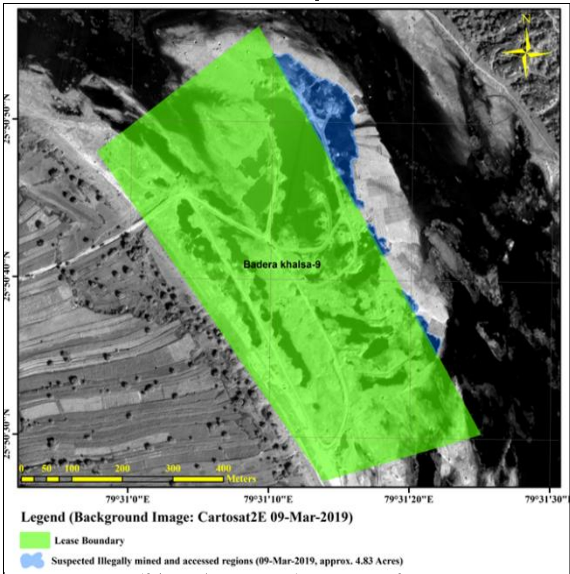

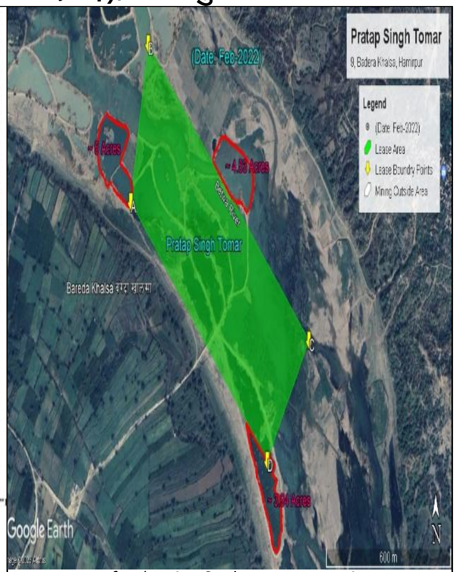

कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–09–मार्च–2019)	गूगल अर्थ इमेजरी (दिनाँक–26–फरवरी–2022)
(अवैध खनन गतिविधियाँ 4.83 एकड़)	(लाल बहुभुज 13.47 एकड़ में अवैध खनन गतिविधियाँ)

चित्र 4.15: ग्राम बडेरा खालसा, हमीरपुर में अवैध खनन गतिविधि

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी के उपरोक्त चित्रों से यह देखा जा सकता है कि उत्खनन आवंटित पट्टा क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है। मार्च 2019 से फरवरी 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगभग 4.83 एकड़ से बढ़कर लगभग 13.47 एकड़ हो गया है। सम्बन्धित जि0खा0अ0 इस अनियमितता को नियन्त्रित करने में विफल रहे हैं।

ल. सौरभ गुप्ता और एमटी इंटरनेशनल (चिकासी–24/9, 85.8 और 113 एकड़, हमीरपुर

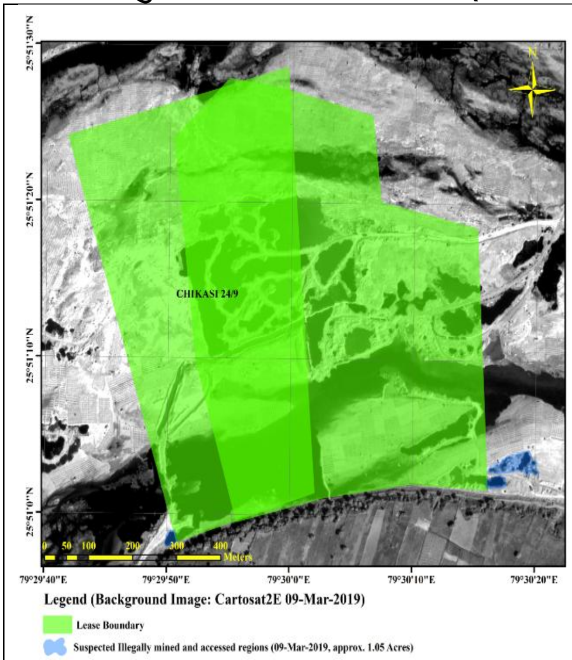

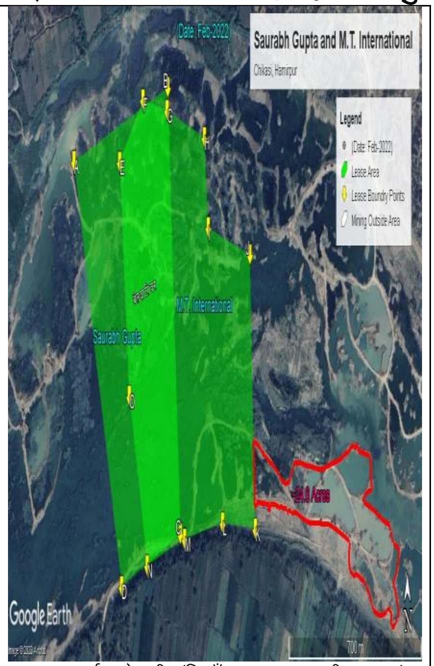

कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–09–मार्च–2019)	गूगल अर्थ इमेजरी (दिनाँक–26–फरवरी–2022)
(अवैध खनन गतिविधियाँ 1.05 एकड़)	(लाल बहुभुज में अवैध खनन गतिविधियाँ 24.6 एकड़)

चित्र 4.16: ग्राम चिकासी, हमीरपुर में अवैध खनन गतिविधि।

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी के उपरोक्त चित्रों से यह देखा जा सकता है कि उत्खनन आवंटित पट्टा क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है। मार्च 2019 से फरवरी 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगभग 1.05 एकड़ से बढ़कर लगभग 24.6 एकड़ हो गया है।

व. मातेश्री एसोसिएट्स और इलाहाबाद सैन्ड्स (परवेज़ाबाद–59 और 98, 16.4 और 18.5 एकड़), प्रयागराज

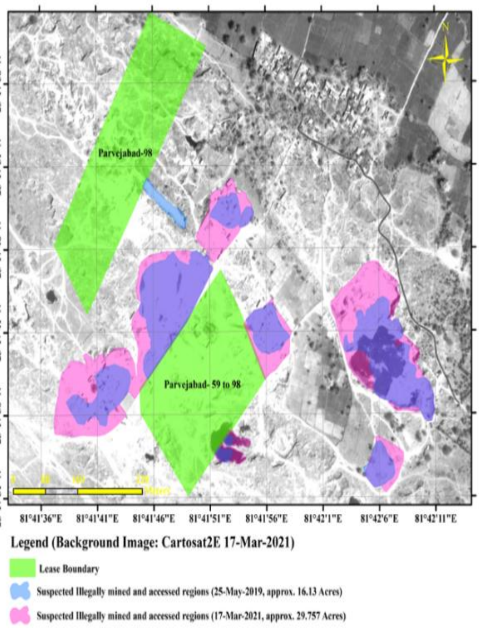

कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–25–मई–2019)
कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–17–मार्च–2021)
(अवैध खनन गतिविधियाँ 16.13 एकड़ और 29.757 एकड़)

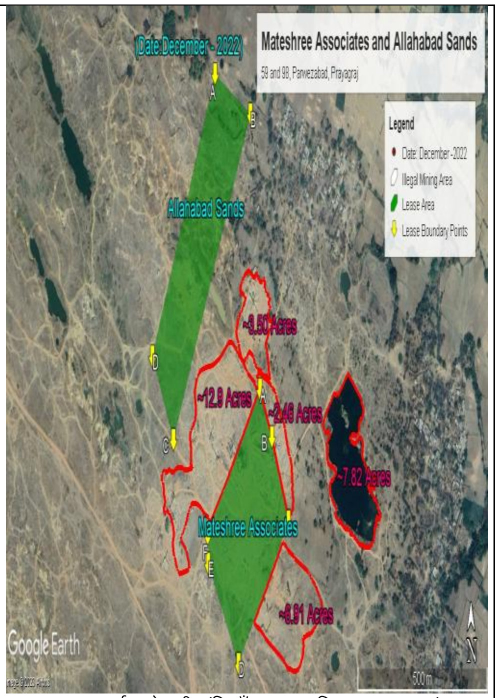

गूगल अर्थ इमेजरी (दिनाँक–12–दिसम्बर–2022)
(लाल बहुभुज में अवैध खनन गतिविधियाँ 33.59 एकड़)

चित्र 4.17: ग्राम परवेज़ाबाद, प्रयागराज में अवैध खनन गतिविधि।

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी के उपरोक्त चित्रों से यह देखा जा सकता है कि उत्खनन आवंटित पट्टा क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है। मार्च 2019 से दिसम्बर 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगातार लगभग 16.13 एकड़ से बढ़कर लगभग 32.14 एकड़ हो गया है।

च. निर्मल रानी (सोनौरी–1 से 263, 104 एकड़), प्रयागराज

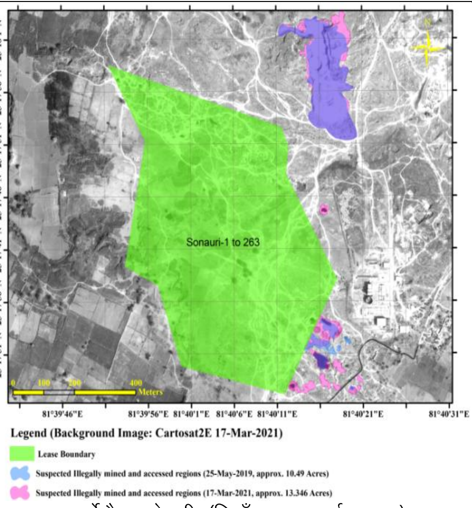

कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–25–मई–2019)
कार्टोसैट इमेजरी (दिनाँक–17–मार्च–2021)
(अवैध खनन गतिविधियाँ 10.49 एकड़ और 13.346 एकड़)

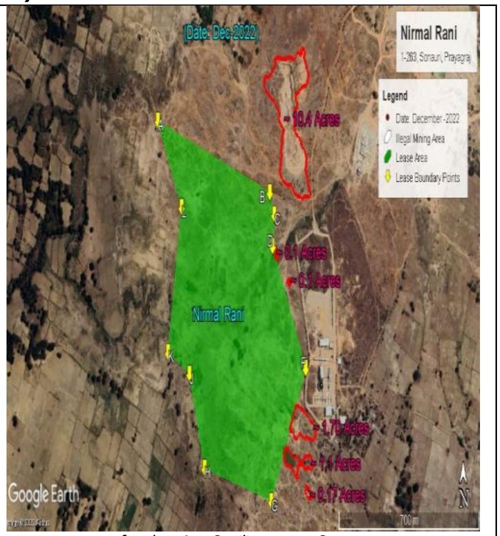

गूगल अर्थ इमेजरी (दिनाँक–12–दिसम्बर–2022)
(लाल बहुभुज में अवैध खनन गतिविधियाँ 13.57 एकड़)

चित्र 4.18: ग्राम सोनौरी, प्रयागराज में अवैध खनन गतिविधि।

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी के उपरोक्त चित्रों से यह देखा जा सकता है कि उत्खनन आवंटित पट्टा क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है। मई 2019 से दिसम्बर 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगातार लगभग 10.49 एकड़ से बढ़कर लगभग 13.62 एकड़ हो गया है।

उपरोक्त उदाहरणों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में लगातार अवैध रूप से खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है। सम्बन्धित जि0खा0अ0 अवैध खनन पर नियन्त्रण लगाने में विफल रहे।

समापन गोष्ठी में शासन ने बिना पट्टा अनुमोदन के खनन और महत्वपूर्ण संरचनाओं, पुलों आदि के पास खनन के मामलों की जाँच करने का आश्वासन दिया। सरकार ने अन्तर–विभागीय और अन्तर–सरकारी (इसरो, गूगल और भारत सरकार) सहयोग से भी अवैध खनन के इस प्रकार के मामलों की जाँच के लिए उपग्रह इमेजरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में प्रयास करने का आश्वासन दिया।

संस्तुतिः

7. सरकार संदिग्ध अवैध खनन गतिविधियों की शीघ्र पहचान करने के लिए रिमोट सेंसिंग और उन्नत सर्वेक्षण उपकरणों की सहायता से मानचित्रण और निगरानी प्रक्रिया को मजबूत कर सकती है जिससे प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सकता है।

8. सरकार खनिजों के अवैध उत्खनन के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिये सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सकती है।

4.5 अवैध रूप से भण्डारित खनिजों की रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति नहीं वसूला जाना

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के नियम 3 (1) में उपबन्धित है कि इन नियमावली के अन्तर्गत दिए गए भंडारण लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अलावा बिक्री या उपभोग के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति खनिज की खरीद, कब्जे, भण्डारण, बिक्री, आपूर्ति, परिवहन, वितरण या बिक्री के लिए डिलीवरी, किसी भी स्थान पर खनिजों का प्रसंस्करण या अन्यथा किसी खनिज में आदान प्रदान का व्यवसाय नहीं करेगा। नियम 13 (1) में प्रावधान है कि जो कोई भी इस नियमावली के नियम 3 का उल्लंघन करता पाया गया तो जिलाधिकारी ₹ 5,00,000 (पाँच लाख) तक की शास्ति और रायल्टी सहित ऐसे खनिज का मूल्य वसूल करेगा।

लेखापरीक्षा ने तीन जि0खा0का0 में देखा कि तीन लाइसेंसधारियों को खनिजों के भण्डारण के लिए भण्डारण लाइसेंस मिला था। लाइसेंस धारकों ने उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए 2,944 घन मीटर खनिज का अवैध भण्डारण किया। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने मई 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच ₹ 34.80 लाख की रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति लगाया। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने एक से तीन साल बीत जाने के बाद भी ₹ 34.80 लाख की शेष राशि की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया। विवरण **तालिका–4.5** में दिया गया है।

तालिका 4.5

अवैध रूप से भंडारित खनिजों के लिए रायल्टी, खनिज का मूल्य और शास्ति

इकाई का नाम	लाइसेंस धारक का नाम	भण्डारण हेतु स्वीकृत मात्रा (घन मीटर में)	अवैध रूप से भण्डारित खनिज की मात्रा (घन मीटर में)	अधिरोपित रायल्टी (₹ में)	अधिरोपित खनिज मूल्य (₹ में)	अधिरोपित शास्ति (₹ में)
जि0खा0अ0 चित्रकूट	महावीर ग्रेनाइट (गिट्टी), गाटा सं. 757घ, 785 आदि, क्षेत्रफल–1.260 हेक्टेयर, ग्राम–गोण्डा, तहसील–कर्वी	20,000	2,169	3,47,040 (जमा नहीं किया गया)	17,35,200 (जमा नहीं किया गया)	5,00,000 (जमा नहीं किया गया)
जि0खा0अ0 बाँदा	श्री शिव मोहन सिंह (मोरम), गाटा संख्या–890, क्षेत्रफल–0.875 हेक्टेयर, ग्राम–छपार, तहसील–बाँदा	15,000	775	1,16,250 (जमा नहीं किया गया)	5,81,250 (जमा नहीं किया गया)	2,00,000 (जमा नहीं किया गया)
योग			**2,944**	**4,63,290**	**23,16,450**	**7,00,000**

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि श्री प्रेम चन्द्र केशरवानी के मामले में, जि0खा0अ0 कौशाम्बी ने 4 जुलाई 2020 को निरीक्षण किया और 1,720 घन मीटर के अतिरिक्त भण्डारण का उल्लेख किया। हालाँकि, 6 जुलाई 2020 को लेखपाल, तहसीलदार, जि0खा0अ0 और एसडीएम की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 2,060 घन मीटर अतिरिक्त भण्डारण का उल्लेख किया गया था। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने 2,060 घन मीटर की जगह 1,720 घन मीटर पर रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति आरोपित किया। लाइसेंस धारक ने रायल्टी, खनिज मूल्य और आरोपित की गयी शास्ति के लिए ₹ 20.48 लाख जमा किए। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट[72] के आधार पर सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने 340 (2,060–1,720) घन मीटर खनिज के लिए रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति की राशि ₹ 3.06 लाख की वसूली के लिए कोई नोटिस नहीं भेजा।

लेखापरीक्षा ने श्री शिव मोहन सिंह के मामले में पाया कि 31 मार्च 2023 को लेखापरीक्षा के उद्धरण पर ₹ 8.97 लाख की वसूली की गई है।

इस प्रकार, कुल ₹ 37.86 लाख के विरुद्ध एक लाइसेंसधारी द्वारा मात्र ₹ 8.97 लाख जमा किया गया। उपरोक्त प्रकरणों में रायल्टी, खनिज मूल्य एवं शास्ति की वसूली नहीं होने से शासन को ₹ 28.89 लाख के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

समापन गोष्ठी में सरकार ने अवैध रूप से भण्डारित खनिजों के मामलों में देय राशि की वसूली का आश्वासन दिया।

4.6 ई–एमएम–11 प्रपत्र के डेटा के विश्लेषण से प्राप्त अनियमितताएँ

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 का नियम 70 खनिज के परिवहन के प्रतिषेध का प्रावधान करता है। नियम 70(1) के अनुसार, पट्टा या परमिट धारक या इसके लिए उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी वाहन, मवेशी या परिवहन के किसी भी साधन से खनिज परिवहन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को फार्म ई–एमएम–11 प्रपत्र निर्गत कर सकता है। नियम 70(2) के अनुसार, कोई व्यक्ति उप नियम 70(1) के अन्तर्गत जारी ई–एमएम–11 प्रपत्र के बिना राज्य में किसी भी वाहन, मवेशी या परिवहन के किसी भी साधन से किसी उपखनिज का परिवहन नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा ने टैब्ल्यू सॉफ़्टवेयर के उपयोग से विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 17 जि0खा0का0 के 1,21,83,652 ई–एमएम–11 प्रपत्र के डम्प डेटा का विश्लेषण किया। विश्लेषण से पाई गई अनियमितताओं का वर्णन आगामी प्रस्तरों में किया गया है:

[72] जिला अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किये गये भण्डारण परिसर के निरीक्षण की रिपोर्ट।

4.6.1 ई–एमएम–11 प्रपत्र जारी करने में विसंगति

लेखापरीक्षा ने ई–एमएम–11 प्रपत्रों के डेटाबेस की जाँच किया और 17 जि0खा0का0[73] में देखा कि पट्टाधारकों ने 40,67,762 ई–एमएम–11 प्रपत्रों में 46,409 वाहनों के लिए एक ही वाहन संख्या की अलग–अलग क्षमता/प्रकार दिखाई, जिससे 5.96 करोड़ घन मीटर खनिजों का परिवहन हुआ। पट्टाधारकों ने ई–एमएम–11 प्रपत्र तैयार करते समय खनिजों की अलग–अलग मात्रा दर्शाते हुए एक ही वाहन को दो से नौ श्रेणी में अंकित किया। एक वाहन में केवल एक ही क्षमता/प्रकार हो सकता है। प्रणाली में भी कोई जाँच उपलब्ध नहीं थी। हालाँकि इस तरह का वाहन डेटा सिस्टम में उपलब्ध था, लेकिन इस अनियमितता पर न तो ध्यान दिया गया और न ही सम्बन्धित जि0खा0अ0 द्वारा कोई कार्यवाही की गई। विवरण **परिशिष्ट–XXIII** में दर्शाया गया है।

एक ही वाहन नम्बर की अलग–अलग क्षमता दर्शाने वाले ई–एमएम–11 प्रपत्र जारी करने के उदाहरण **तालिका–4.6** में दिए गए हैं।

तालिका 4.6
ई–एमएम–11 प्रपत्र जारी करने के उदाहरणात्मक मामले

क्र.सं.	ईएमएम–11 प्रपत्र का विवरण					परिवहित मात्रा (घन मीटर में)
	प्रपत्र संख्या	दिनांक	समय	वाहन संख्या	ट्रक का प्रकार	
1	31452012039400031	17.08.2020	01:29:05	UP15DT6902	22 टायर	30
2	31452012039400032	उपरोक्त	01:34:05	उपरोक्त	10 टायर	12
3	31452012039400053	22-08-2020	12:43:20	RJ52GB2656	22 टायर	30
4	31452012039400054	उपरोक्त	12:47:20	उपरोक्त	06 टायर	10
5	31452012039400086	25-08-2020	16:04:56	UP72AT3193	18 टायर	30
6	31452012039400087	उपरोक्त	16:10:16	उपरोक्त	मिनी ट्रक	5
7	31452012039400095	26-08-2020	13:43:17	UK18CA8090	22 टायर	30
8	31452012039400096	उपरोक्त	13:46:56	उपरोक्त	06 टायर	10

उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है कि वाहन संख्या UP15DT6902 को 22 टायरों एवं 10 टायरों में दर्शाया गया है, UP72AT3193 को 18 टायरों एवं मिनी ट्रक के रूप में दिखाया गया है और UK18CA8090 को 22 टायरों एवं 06 टायरों के रूप में अलग–अलग ई–एमएम–11 प्रपत्र में अलग–अलग मात्रा का उल्लेख करते हुए दिखाया गया है जो तीन से छह मिनट तक के समय अन्तराल पर सृजित किये गये हैं। इससे पता चलता है कि पट्टाधारकों ने अवैध रूप से खनिजों के परिवहन के लिए वाहनों में अधिक लदान के लिए वाहनों के प्रकार में हेरफेर किया। सम्बन्धित जि0खा0अ0 को भी यह अनियमितता संज्ञान में नहीं आयी।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि वर्तमान में, विभाग पोर्टल पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के *VAHAN* एपीआई का उपयोग कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार केवल पंजीकृत श्रेणी के वाहनों पर ही ई–ट्रान्जिट पास जारी किया जा सके।

[73] बागपत, बाँदा, बुलन्दशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी. नगर, हमीरपुर, जे.पी. नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थ नगर और सोनभद्र।

4.6.2 अनुमन्य समय सीमा से परे खनिजों का परिवहन

एसएसएमएमजी, 2016[74] के अनुसार बालू खनन कार्य प्रातः 6:00 बजे से सायं 7:00 बजे के बीच किया जाएगा। बालू खनन के लिये प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश (ईएमजीएसएम) 2020 में भी यह निर्धारित किया गया है कि रात्रि के समय कोई भी बालू परिवहन वाहन खदान/डिपो के अन्दर खड़ा नहीं किया जायेगा। इसके अलावा, पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र (प0म0) के नियम और शर्तें भी सामग्री[75] के परिवहन को केवल दिन के समय तक सीमित करती हैं।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ई–एमएम–11 प्रपत्रों के डेटा के विश्लेषण से, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 17 जि0खा0का0[76] में 2,900 पट्टाधारकों द्वारा 1,21,83,652 ई–एमएम–11 प्रपत्र निर्गत किए गए थे और जिसमें से 39,63,378 ई–एमएम–11 प्रपत्र 2,771 पट्टाधारकों द्वारा रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे के मध्य 5,48,15,474 घन मीटर खनिज के परिवहन हेतु निर्गत किये गये। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 65,16,080 घन मीटर खनिजों के परिवहन के लिये रात्रि 8 बजे या उसके बाद 5,99,791 ट्रान्जिट पास निर्गत किये गए और इन ट्रान्जिट पासों की वैधता (जो खनिज के उद्गम स्थान और गन्तव्य स्थान के बीच की दूरी पर निर्भर करती है) अगले दिनाँक को प्रातः 5:00 बजे या उससे पहले समाप्त हो गयी। इससे पता चलता है कि खनिजों का परिवहन रात्रि में किया गया था।

उपरोक्त दिशानिर्देशों/नियमों और शर्तों का उल्लंघन करके रात्रि के समय में खनिज का लदान और परिवहन, कई रात्रिचर, तटवर्ती वनस्पतियों और जीवों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। सम्बन्धित जि0खा0अ0 और प0म0 जारी करने वाले प्राधिकारी ने न तो इस अनियमितता का संज्ञान लिया और न ही रात्रि में ई–एमएम–11 प्रपत्र जारी करने और खनिजों के परिवहन को रोकने के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ की। विवरण **परिशिष्ट–XXIV** में दर्शाया गया है।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में कहा कि प0म0 की शर्तों के अनुसार, नदी तल में स्थित खनन क्षेत्रों में रात्रि में खनन कार्य बंद रहता है। दिन के समय खनन कर खनिज को खनन क्षेत्र में एकत्र किया जाता है। सायं के बाद लदान और परिवहन पर कोई रोक नहीं है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प0म0 की शर्तों के अनुसार खनिजों का परिवहन केवल दिन के समय तक ही सीमित रहेगा और यह एसएसएमएमजी, 2016 का भी उल्लंघन था जहाँ बालू खनन कार्य सायं 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य प्रतिबन्धित है।

4.6.3 अनुमन्य मात्रा से अधिक खनिजों का परिवहन

डीजीएम ने अपने आदेश सं0 1844 दिनाँक 16 फरवरी 2004 एवं उसके बाद के आदेश सं0 1225 दिनाँक 24 अक्टूबर 2019 द्वारा प्रत्येक प्रकार के वाहन से लदान एवं परिवहन के लिए खनिजों की मात्रा निर्धारित की है जिसका विवरण नीचे **तालिका–4.7** में दिया गया है।

---

[74] सतत रेत प्रबन्धन दिशानिर्देश 2016।

[75] बजरी, ग्रेनाइट, रेत, मोरम, लाल मोरम, बलुआ पत्थर और आरबीएम।

[76] बागपत, बाँदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, जे.पी.नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

तालिका 4.7
लदान एवं परिवहन हेतु खनिजों की मात्रा

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	अनुमन्य मात्रा	
		टन में	घन मीटर में
1	6 टायर ट्रक	12.5	7
2	10 टायर ट्रक	18.0	11
3	12 टायर ट्रक	24.0	14
4	14 टायर ट्रक	30.0	18
5	16 टायर ट्रक[77]	34.0	20
6	18 टायर ट्रक	34.0	20
7	22 टायर ट्रक	38.0	23
8	ट्रैक्टर (ग्रेनाइट)	4.5	2.16
9	ट्रैक्टर (डोलोस्टोन)	4.5	2.01
10	ट्रैक्टर (बलुआ पत्थर)	4.5	2.64
11	ट्रैक्टर (बालू/मोरम)	4.5	2.25
12	ट्रैक्टर (सिलिका सैंड)	4.5	1.87

लेखापरीक्षा ने ई–एमएम–11 प्रपत्रों के डेटाबेस की जाँच किया और 17 जि0खा0का0[78] में देखा कि पट्टाधारकों ने 1.87 घन मीटर से 23 घन मीटर तक की अनुमन्य मात्रा की तुलना में 3 घन मीटर से 410 घन मीटर के बीच खनिजों का परिवहन किया। 30,62,674 ई–एमएम–11 प्रपत्रों से 2,91,96,581 घन मीटर की अनुमन्य मात्रा के विरूद्ध 3,61,89,677 घन मीटर खनिज का परिवहन किया गया। इस प्रकार पट्टाधारकों ने 69,93,096 घन मीटर अतिरिक्त खनिज का परिवहन ओवरलोड वाहनों से किया। विवरण **परिशिष्ट–XXV** में दिखाया गया है।

अधिक लदान, बहुमूल्य सड़क के आधारभूत ढाँचे को बुरी तरह से नुकसान पहुँचाता है और सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या का एक प्रमुख कारण है। पट्टाधारकों द्वारा लगातार की जा रही इस अनियमितता को रोकने के लिए विभाग, प्रणाली से मिली सूचना का उपयोग नहीं कर सका।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि वर्तमान में, विभाग विभागीय पोर्टल पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के *VAHAN* एपीआई का उपयोग कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार केवल पंजीकृत श्रेणी के वाहनों के लिए ई–ट्रान्जिट पास जारी किया जा सके।

4.6.4 खनिज परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन में अनियमितता

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(14) के अनुसार माल वाहन का तात्पर्य केवल माल की ढुलाई के लिए निर्मित या अपनाया गया कोई भी मोटर वाहन है। केन्द्र सरकार ने अपनी अधिसूचना एस0ओ0 1248(ई), दिनाँक 5 नवम्बर, 2004 में, नीचे बताये गये मोटर वाहनों के प्रकार को गैर–परिवहन वाहनों के रूप में निर्दिष्ट किया है:

1- व्यक्तिगत उपयोग के लिए साइड कार के साथ या उसके बिना मोटर साइकिल

2- मोपेड और मोटर चालित साइकिल

3- अमान्य गाड़ी

[77] इस प्रकार का वाहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ई–एमएम–11 के डेटा डम्प में उपलब्ध था, लेकिन बताए गए आदेशों में मौजूद नहीं था, इसलिए लेखापरीक्षा ने इसकी क्षमता को उच्च स्तर यानी 18 टायर ट्रक क्षमता पर लिया है।

[78] बागपत, बाँदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, जे.पी.नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

4- व्यक्तिगत उपयोग हेतु तीन पहिया वाहन

5- मोटर कार

6- रिंग, जनरेटर, कंप्रेसर जैसे उपकरणों से सुसज्जित वाहन या ट्रेलर

7- क्रेन जड़ित वाहन

8- कृषि ट्रैक्टर

9- किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत निजी सेवा वाहन

10- कैम्पर वैन या ट्रेलर

11- टो ट्रक, ब्रेकडाउन वैन और रिकवरी वाहन

12- टावर वैगन

13- निर्माण उपकरण वाहन

इसके अलावा तीन पहिया वाहन, एम्बुलेंस, लक्जरी कैब, ओमनी बस और शैक्षणिक संस्थानों की बसें यात्रियों के परिवहन के लिए हैं और माल वाहन नहीं हैं।

4.6.4.1 कृषि ट्रैक्टरों द्वारा खनिज का परिवहन

लेखापरीक्षा ने 17 जि0खा0का0[79] के ई–एमएम–11 डेटाबेस की जाँच की और देखा कि खनिजों का परिवहन कृषि ट्रैक्टरों द्वारा किया गया था। परिवहन विभाग के वाहन डेटाबेस से परि–सत्यापन से पता चला कि 17 जिलों में खनिजों के परिवहन के लिए 28,646 कृषि ट्रैक्टरों का उपयोग करके 7,88,059 ट्रान्जिट पास (ई–एमएम–11 प्रपत्र) सृजित किये गए थे।

अग्रेतर, सम्बन्धित ई–ट्रान्जिट पास की जाँच में यह भी पाया गया कि ऐसे वाहनों का उपयोग एक दिन में एक से 47 बार खनिज परिवहन में किया गया था।

कृषि ट्रैक्टरों का उपयोग केवल कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है। कृषि ट्रैक्टरों से खनिजों के परिवहन को रोकने के लिए विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। वाहन के प्रकार को स्वचालित रूप से पहचानने के लिए ई–एमएम–11 प्रपत्र सृजित करते समय कोई सत्यापन नियन्त्रण मौजूद नहीं था, हालाँकि वाहन डेटाबेस का एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) विभाग के पास उपलब्ध था।

4.6.4.2 खनिज के परिवहन के लिये अनुपयुक्त वाहनों का प्रयोग

लेखापरीक्षा ने 17 जि0खा0का0[80] के ई–एमएम–11 डेटाबेस की जाँच की और देखा कि खनिजों का परिवहन उन वाहनों द्वारा किया गया था जो खनिज परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं थे। परिवहन विभाग के वाहन डेटाबेस से परि–सत्यापन से पता चला कि खनिजों के परिवहन के लिए 17 जिलों में 83,156 अनुपयुक्त वाहनों जैसे एम्बुलेंस, अर्थ मूविंग उपकरण, ई–रिक्शा, मोटर कैब, स्कूटर/मोटरसाइकिल, आदि का उपयोग करके 1,81,113 ट्रान्जिट पास (ई–एमएम–11 प्रपत्र) निर्गत किये गए थे।

प्रतिदिन फेरों की संख्या के साथ खनिजों का परिवहन किए गए ऐसे वाहनों को **तालिका–4.8** में दिखाया गया है:

[79] बागपत, बाँदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, जे.पी.नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

[80] बागपत, बाँदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, जे.पी.नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

तालिका 4.8
खनिजों के परिवहन हेतु अनुपयुक्त वाहनों का प्रयोग किया जाना

वाहनों का प्रकार	वाहनों की संख्या	सृजित हुई एमएम–11 प्रपत्र की संख्या	परिवहन किये गये खनिज (घन मीटर में)	परिवहन किये गये खनिजों की रेंज (घन मीटर में)	प्रति दिन फेरों की संख्या
एम्बुलेंस / पशु एम्बुलेंस	407	767	11,809	3 से 30	1 से 12
बुलडोजर / निर्माण उपकरण वाहन / अर्थ मूविंग उपकरण / उत्खनक / रोड रोलर	1,621	3,291	47,240	3 से 30	1 से 21
बस	3,625	7,165	1,04,784	3 से 30	1 से 32
कैंपर वैन / ट्रेलर / ट्रेलर (कृषि) / निजी सेवा वाहन	213	577	5,073	3 से 30	1 से 5
वाहन पर लगे क्रेन / फोर्क लिफ्ट	226	474	8,384	3 से 30	1 से 1
ई–रिक्शा / थ्री व्हीलर (यात्री)(3डब्लू टी)	29,525	61,204	9,23,682	3 से 30	1 से 57
फायर टेन्डर	11	17	148	3 से 15	1 से 2
शववाहन	9	56	485	6 से 16	1 से 4
एम–साइकिल / स्कूटर(2डब्लू एन) / स्कूटर साइड कार / मोटर चालित साइकिल	34,742	79,420	4,44,307	3 से 30	1 से 42
मोटर कार / मोटर कैब / मैक्सी कैब	12,763	28,116	3,66,811	3 से 30	1 से 122
कंप्रेसर / रिग से सुसज्जित वाहन	14	26	440	5 से 26	1 से 4
योग	**83,156**	**1,81,113**	**19,13,163**	**3 से 30**	**1 से 122**

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि इन खनिजों के परिवहन के लिए अनुपयुक्त वाहनों का उपयोग प्रति दिन कई बार खनिजों को ले जाने में किया जाता था, जैसे तिपहिया वाहन 47 बार और मोटर कार 122 बार तक।

वाहनों के वर्गीकरण के अनुसार ये वाहन खनिजों के परिवहन के लिए नहीं थे। इसलिए यह माना जा सकता है कि इन वाहनों से खनिजों का परिवहन नहीं किया गया था। इस प्रथा का उपयोग खनिजों के अधिक लदान को वैध बनाने के लिए किया जा सकता है। वाहन के प्रकार को स्वचालित रूप से अंकित करने के लिए ई–एमएम–11 प्रपत्र सृजन में कोई सत्यापन नियन्त्रण मौजूद नहीं था, हालाँकि वाहन डेटाबेस का एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) विभाग के पास उपलब्ध था।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि पट्टाधारक वास्तविक आशय के बिना ई–ट्रान्जिट का सृजन कर रहे थे, जिससे खनिजों का अवैध परिवहन हो रहा था। डीजीएम इन गतिविधियों की पर्याप्त निगरानी करने और रोकने में विफल रहे।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि वर्तमान में, विभाग, विभागीय पोर्टल पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के *VAHAN* एपीआई का उपयोग कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार केवल पंजीकृत श्रेणी के वाहनों के लिए ई–ट्रान्जिट पास निर्गत किया जा सके।

4.6.4.3 अपात्र / नकली पंजीयन क्रमांक वाले वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन

केन्द्र सरकार ने अपनी अधिसूचना एस0ओ0 444(ई), दिनाँक 12 जून, 1989 द्वारा राज्यों को प्रत्येक राज्य के लिए पंजीकरण चिन्ह के रूप में अक्षरों के समूह को आवंटित किया, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जाने वाले पंजीकरण प्राधिकारी की कोड संख्या का उपयोग किया जाना था जो चार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब चार अंक 9999 तक पहुँचते हैं, तो अगली श्रृंखला वर्णमाला 'A' से शुरू होगी जिसके बाद चार से अधिक अंक नहीं होंगे और उसके बाद वर्णमाला 'B' के साथ चार से अधिक अंक नहीं होंगे और इसी तरह आबंटन किया जायेगा जब तक सभी अक्षर समाप्त नहीं हो

जाते ('I' और 'O' को छोड़कर)। वाहनों के पंजीकरण नम्बरों में केवल अल्फ़ान्यूमेरिक यानी अक्षर और अंक शामिल होते हैं।

लेखापरीक्षा ने ई–एमएम–11 प्रपत्रों के डेटाबेस की जाँच किया और 17 जि0खा0का0[81] में देखा कि पट्टाधारकों ने नकली पंजीकरण संख्या वाले 85,928 वाहनों का उपयोग करके 24,51,021 घन मीटर खनिजों के परिवहन के लिए 4,48,637 ई–एमएम–11 प्रपत्र सृजित किए हालाँकि ये वाहन नम्बर डेटाबेस पर उपलब्ध नहीं थे। विवरण **तालिका–4.9** में दिखाया गया है।

तालिका 4.9
अपात्र नम्बरों वाले वाहनों का विवरण

क्रमांक	विवरण	वाहनों की संख्या	सृजित ईएमएम–11 प्रपत्र की संख्या	खनिज मात्रा (घन मीटर में)
1	07 अंक/अक्षर से कम पंजीकरण संख्या दर्शाने वाले वाहन	3,883	1,36,782	4,83,237
2	केवल अंकीय पंजीकरण संख्या दिखाने वाले वाहन	765	1,990	10,195
3	अन्य अमान्य वाहन नम्बर जिनकी सूचना वाहन डेटाबेस पर उपलब्ध नहीं है	81,280	3,09,865	19,57,589
योग		**85,928**	**4,48,637**	**24,51,021**

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में कहा कि खनिजों के परिवहन के लिए ई–ट्रान्जिट पास, पट्टाधारक/परमिट धारक/भण्डारण लाइसेंस धारक द्वारा वाहन चालकों/मालिकों द्वारा उल्लिखित वाहन संख्या के आधार पर जारी किया जाता है। प्रणाली में वाहन संख्या की सत्यता को सत्यापित करने के लिए तन्त्र, उपलब्ध नहीं था। वर्तमान में, *VAHAN* एपीआई को पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने सत्यापन के लिए एपीआई का उपयोग नहीं किया था क्योंकि ये विसंगतियां लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान निर्गत किए गए ई–एमएम–11 में पाई गई थीं।

4.6.5 गंतव्य की दूरी में हेर फेर

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार एक जिले के भीतर स्थानीय दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। हालाँकि, राज्य में एक जिले से दूसरे जिले के बीच अधिकतम दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने जिले के भीतर अधिकतम दूरी 200 किलोमीटर और दो जिलों के बीच अधिकतम दूरी 1200 किलोमीटर मानकर गूगल अर्थ प्रो के साथ दूरियों का अनुमान लगाया है।

लेखापरीक्षा ने ई–एमएम–11 डेटाबेस की जाँच किया और 17 जि0खा0का0[82] में देखा कि ई–एमएम–11 प्रपत्र में उल्लिखित दूरी या तो जिले के भीतर या राज्य के भीतर अन्य जिले में परिवहन की गई वास्तविक दूरी से बहुत अधिक थी। यह जिलों के अन्दर 39,38,683 घन मीटर खनिजों के परिवहन के लिए सृजित 2,94,795 ई–एमएम–11 प्रपत्र में 201 किमी से 1,02,31,208 किमी और अन्य जिलों में 1,72,806 घनमीटर खनिज के परिवहन हेतु सृजित 11,633 ई–एमएम–11 प्रपत्र में 1,202 किमी से 1,00,00,000 किमी के बीच था। अधिक दूरी जोड़ने से, समय में वृद्धि के कारण, एक ही भुगतान में एक ही ई–एमएम–11 प्रपत्र को कई बार पुनर्प्रयोग करने के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने इन अनियमितताओं पर ध्यान नहीं दिया। विवरण **परिशिष्ट–XXVI** में दिखाया गया है।

[81] बागपत, बाँदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, जे.पी.नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

[82] बागपत, बाँदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, जे.पी.नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि 30 सितम्बर, 2022 से विभागीय पोर्टल पर दूरी मैट्रिक्स लागू किया गया है जिसमें एक जिले से दूसरे गंतव्य जिले की दूरी की गणना पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से की जाती है।

तथ्य यह है कि ई–एमएम–11 प्रपत्र सृजित करते समय, पट्टाधारकों ने लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि के दौरान लगातार खनिजों के परिवहन के लिए दो स्थानों के बीच अवास्तविक दूरी दर्ज की थी।

4.6.6 निषिद्ध माह में खनिजों का उत्खनन/परिवहन

एसएसएमएमजी, 2016 के अनुसार, बरसात के मौसम में नदी से बालू खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने अपने आदेश संख्या 1955 दिनाँक 20 अगस्त 2019 द्वारा निर्देश दिया कि निषिद्ध महीनों अर्थात जुलाई, अगस्त और सितम्बर में बालू/मोरम का उत्खनन/परिवहन नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किये 17 जि0खा0का0[83] के ई–एमएम–11 प्रपत्रों के डेटा की जाँच की और देखा[84] कि 11 जि0खा0का0[85] में, 144 पट्टाधारकों ने बालू/मोरम हेतु परिवहन के लिए जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीने में 3,39,957 घन मीटर की मात्रा के लिए 32,170 ई–एमएम–11 प्रपत्र जारी किए। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने निषिद्ध महीनों में ई–एमएम–11 प्रपत्र सृजन को रोकने के लिए कार्यवाही नहीं की।

बालू एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है और यदि बालू का उत्खनन किया जाता है तो इससे प्रकृति को अपूरणीय क्षति होती है। पर्यावरण मंजूरी के साथ–साथ एसएसएमएम दिशानिर्देश, 2016 में यह विशेष रूप से बताया गया था कि मानसून के मौसम में कोई खनन गतिविधि नहीं की जाएगी। निषिद्ध महीनों में अवैध खनन के कारण पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा है।

विवरण **परिशिष्ट–XXVII** में दिखाया गया है। विभाग उपरोक्त सरकारी आदेश का अनुपालन करने में विफल रहा।

विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि निषिद्ध महीनों के दौरान कृषि परमिट का संचालन बाधित नहीं होता है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा प्रेक्षण कृषि परमिट पर नहीं है बल्कि यह बालू और मोरम जैसे खनिजों के लिए है जिनका उत्खनन अनुमोदित खनन पट्टा/परमिट धारकों द्वारा मानसून के मौसम में किया गया था।

संस्तुतिः

9. सरकार विभागीय पोर्टल में उचित नियन्त्रण सक्षम कर सकती है और ई–एमएम–11 प्रपत्र सृजित करने में मानवीय हस्तक्षेप कम से कम करने के लिये वाहन डेटाबेस से जोड़ सकती है तथा खनिजों के परिवहन के लिये अनुपयुक्त वाहनों, अनुमन्य मात्रा से अधिक खनिजों के परिवहन, अवास्तविक दूरी तथा निषिद्ध महीनों में खनिजों के परिवहन के लिये ई–एमएम–11 प्रपत्र सृजित करने से रोका जा सके।

10. सरकार खनिजों के अधिक लदान और खनिजों के परिवहन के लिए अनुपयुक्त वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग और परिवहन विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर सकती है।

[83] बागपत, बाँदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, जे.पी.नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

[84] 21 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए।

[85] बाँदा, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, शामली और सोनभद्र।

4.7 पट्टा/परमिट प्राप्त किये बिना उत्खनन किये गये खनिजो पर रायल्टी एवं खनिज मूल्य की वसूली न करना

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 3 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र में ऐसे किसी उप खनिज का खनन कार्य नहीं करेगा, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, सिवाय इन नियमों के अन्तर्गत दिए गए खनन पट्टे या खनन परमिट के नियमों और शर्तों के अनुसार।

लेखापरीक्षा ने जिला खान अधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच की और पाया कि जि0खा0अ0 प्रयागराज द्वारा एक निरीक्षण किया गया था और रिपोर्ट दी गई थी कि मेजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन), कोहड़ार तहसील मेजा ने कुल 53,88,930 घन मीटर गिट्टी और बोल्डर (3,80,770 घन मीटर गिट्टी एवं 50,08,160 घन मीटर बोल्डर) का खनन किया एवं निर्माण कार्य में प्रयुक्त किया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने देखा कि जिलाधिकारी प्रयागराज ने महाप्रबन्धक मेजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को कुल धनराशि ₹ 3,22,62,49,100 (रायल्टी की शेष राशि ₹ 51,27,45,600 और खनिज मूल्य ₹ 2,71,35,03,500) जमा करने के लिए दिनाँक 22 सितम्बर 2018 को एक पत्र भेजा था क्योंकि खनन पट्टा/खनन परमिट प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य में खनिजों का उपयोग किया गया था। यह पाया गया कि परियोजना द्वारा 8 जुलाई 2019 को ₹ 52,14,533, 23 अक्टूबर 2020 को ₹ 35,880 तथा 31 मार्च 2021 को ₹ 29,27,526 रायल्टी के रूप में जमा किये गये। लेखापरीक्षा की तिथि तक, विभाग रायल्टी और खनिज मूल्य की शेष धनराशि ₹ 321.81 करोड़ की वसूली नहीं कर सका। पाँच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने इन देयों की वसूली के लिए न तो कोई कार्यवाही शुरू की और न ही कोई नोटिस या वसूली प्रमाण पत्र जारी किया। विभाग की लापरवाही के कारण सरकार को राजस्व से वंचित होना पड़ा।

समापन गोष्ठी में सरकार ने बताया कि डीजीएम द्वारा सम्बन्धित जिले से रिपोर्ट माँगी गयी है।

तथ्य यह है कि बिना पट्टा/परमिट प्राप्त किये खनिजों का उत्खनन एवं परिवहन किया गया तथा विभाग ने रायल्टी एवं खनिज मूल्य की शेष राशि की वसूली नहीं की।

4.8 खनन निगरानी प्रणाली प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाना

भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से खान मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2016 को देश में अवैध खनन गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) प्रारम्भ की है। एमएसएस एक उपग्रह–आधारित निगरानी प्रणाली है जो मौजूदा खनन पट्टे की सीमा के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र की जाँच करती है ताकि अवैध खनन की सम्भावित किसी भी असामान्य गतिविधि का पता लगाया जा सके। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उसे ट्रिगर के रूप में चिन्हित किया जाता है। खान मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अपने राज्यों में उप खनिजों के लिए एमएसएस लागू करने की सलाह दी। इसके अलावा, खान मंत्रालय ने राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की और एमएसएस से उत्पन्न ट्रिगर सम्बन्धित राज्य सरकारों को भी भेजे गये।

लेखापरीक्षा ने डीजीएम के अभिलेखों की जाँच की और पाया कि 11 जिलों[86] में एमएसएस के कार्यान्वयन के लिए डीजीएम में अगस्त 2017 में एमएसएस सेल की स्थापना की गई थी। एमएसएस सेल को खसरा नक्शा प्राप्त करना था, नक्शे की जियो–रेफरेंसिंग को डिजिटल बनाना था और उसे एमएसएस पोर्टल पर अपलोड करना था। कार्टोसेट मानचित्र की इमेज रीडिंग के माध्यम से संदिग्ध अवैध खनन क्षेत्रों की पहचान की जानी थी और ट्रिगर्स को क्षेत्र सत्यापन के लिए सम्बन्धित जिले में भेजा जाना था। सम्बन्धित जिलाधिकारी को क्षेत्र सत्यापन के बाद अपनी रिपोर्ट एमएसएस पोर्टल पर अपलोड करनी

---

[86] आगरा, बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, ललितपुर, महोबा, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज और सोनभद्र।

थी और नियमानुसार कार्यवाही करनी थी। डीजीएम ने 4 सितम्बर 2017 को इन जिलों के जि0खा0अ0 को एमएसएस के कार्यान्वयन के लिए खनन पट्टों के संयुक्त मानचित्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

अग्रेतर, 18 अक्टूबर 2017 और 29 जनवरी 2018 को डीजीएम ने क्रमशः जि0खा0अ0 सोनभद्र और जि0खा0अ0 झाँसी को निर्देश दिया कि वे झाँसी जिले के ग्राम–हबूपुरा और करनपुरा और सोनभद्र जिले के ग्राम–बिल्ली मारकुंडी के पट्टा क्षेत्रों के बाहर उपग्रह छवि के आधार पर, संदिग्ध अवैध खनन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जवाब में जिलाधिकारी सोनभद्र ने संदिग्ध क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए एक अलग सर्वेक्षक की माँग की और जिलाधिकारी झाँसी ने सूचित किया कि इन क्षेत्रों में पुराने खनन गड्ढे थे जहाँ वर्तमान में कोई खनन गतिविधि नहीं की जा रही है। हालाँकि डीजीएम के पास ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला कि सोनभद्र समेत अन्य 10 जिलों से अवैध खनन की ऐसी रिपोर्ट भेजी गई हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने एमएसएस तो लागू किया लेकिन राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए इस प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया। एमएसएस से कुल 76 ट्रिगर प्राप्त किए गए हैं और इन्हें सम्बन्धित जिलों में आगे की कार्यवाही के लिए भेजा गया है। विभाग द्वारा की गई कार्यवाही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। डीजीएम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एमएसएस वर्तमान में परिचालन में नहीं है और इसका कारण किसी अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। भारत सरकार के निर्देशों और सलाह के बावजूद डीजीएम एमएसएस का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहे। एमएसएस की गैर–परिचालन स्थिति के कारण, डीजीएम अवैध खनन से निपटने में प्रणाली का लाभ उठाने में असमर्थ रहा।

विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एमएसएस केवल प्रमुख खनिजों के लिए लागू था। उप खनिजों के निराकरण हेतु वर्ष 2020 में समानान्तर प्रणाली आईएमएसएस बनायी गयी, जो पूरे प्रदेश में लागू एवं अद्यतन है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए अवैध खनन के मामले 2020 के बाद की अवधि से भी सम्बन्धित हैं। विभाग एमएसएस के स्थान पर अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु आईएमएसएस का उपयोग करने में विफल रहा क्योंकि विभाग ने आनसाइट अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन निगरानी का उपयोग नहीं किया था। इस प्रकार आईएमएसएस का उपयोग केवल अवैध परिवहन की जाँच के लिए किया जा सका।

4.9 तकनीकी हस्तक्षेप के लिए उपकर नहीं लगाया जाना

उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 (2017 से प्रभावी) के अनुसार, खनिजों के अवैध खनन/परिवहन को रोकने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के उपयोग में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए खनन पट्टाधारकों से खनिजों के उत्खनन पर देय रायल्टी के एक प्रतिशत के बराबर राशि उपकर के रूप में वसूली जाएगी।

लेखापरीक्षा ने डीजीएम के अभिलेखों की जाँच की और पाया कि डीजीएम ने खनिजों के अवैध खनन/परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के रूप में एमएसएस/आईएमएसएस[87] को लागू किया। तथापि विभाग ने इस पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए खनन पट्टाधारकों पर कोई उपकर नहीं लगाया।

समापन गोष्ठी में सरकार ने स्वीकार किया कि उपकर नहीं लगाया गया है और कहा गया कि उपकर राशि के स्थान पर जि0ख0फा0 से व्यय किया जा रहा है। हालाँकि,

[87] एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली को, अवैध खनन की शिकायत वाले क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी, खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण, रेडियो फ्रीक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेशन टैग, और खान की निकासी पर पैन टिल्ट जूम (पीटी जेड) युक्त धर्म कांटा जैसी सुविधाओं और उनका स्टेट कमांड सेन्टर से एकीकरण के साथ लागू किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जि0ख0फा0ट्र0 नियमावली में खनिजों के अवैध खनन/परिवहन को रोकने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप पर व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है।

4.10 ईंट भट्ठों की स्थापना में गूगल अर्थ से देखी गई अनियमितताएं

उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना के लिए स्थल मानदण्ड) नियमावली, 2012 के नियम 2 के अनुसार, उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण, हानिकारक स्थापना और आवास योजना विनियमन अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अधीन, रहते हुये कोई ईंट भट्ठा स्थापित नहीं किया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है:

1. ईंट भट्ठा, न्यूनतम 100 से 150 लोगों की आबादी या कच्चे और पक्के दोनों घरों सहित 20 घरों वाले आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर, 150 से अधिक आबादी या कच्चे और पक्के दोनों घरों सहित 20 घरों से अधिक वाले आवासीय क्षेत्र से 1.0 किमी दूर स्थापित किया जाएगा। हालाँकि, अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से दूरी 5.0 किमी होगी।

2. ईंट भट्ठों की दूरी, पंजीकृत अस्पताल, स्कूल, सार्वजनिक भवन, धार्मिक स्थान या ऐसे स्थान जहाँ ज्वलनशील पदार्थ रखे जाते हैं, से कम से कम 1.0 किमी होगी। चिड़ियाघर, वन्य जीवन अभयारण्य, ऐतिहासिक स्मारकों, संग्रहालय आदि जैसे अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों के 5.0 किमी की परिधि में ईंट भट्ठों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. बाग से 800 मीटर के अंदर ईंट भट्ठे का निर्माण नहीं किया जाएगा।

4. ईंट भट्ठों का निर्माण राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग से सड़क के दोनों ओर कम से कम 300 मीटर की दूरी पर किया जाएगा।

5. ईंट भट्ठे का निर्माण मुख्य जिला सड़क/पीडब्ल्यूडी सड़कों के दोनों किनारों से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर किया जाएगा।

6. यदि कोई नया ईंट भट्ठा स्थापित किया जा रहा है तो किसी क्षेत्र में ईंट भट्ठों के समूह से बचने के लिए दो ईंट भट्ठों के बीच की दूरी 800 मीटर से कम नहीं होगी।

लेखापरीक्षा ने गूगल अर्थ से ईंट भट्ठों के 1,452 चयनित स्थलों की जाँच की और पाया कि ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा उपरोक्त नियमावली में दिए गए ईंट भट्ठा की स्थापना मानदण्डों का पालन नहीं किया गया था। ईंट भट्ठों की स्थापना के सम्बन्ध में मानदण्डों के उल्लंघन पर, गूगल अर्थ से प्राप्त सचित्र छवियों के साथ, आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

4.10.1 अन्य ईंट भट्ठों से दूरी सम्बन्धी मानक का उल्लंघन

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ जिलों में 128 ईंट भट्ठे स्थापित किए गए थे, जो अन्य भट्ठों से 800 मीटर की दूरी के मानदण्ड का उल्लंघन कर रहे थे, जैसा कि **तालिका–4.10** में बताया गया है।

तालिका 4.10
अन्य ईंट भट्ठों से दूरी

जिले का नाम	ईंट भट्ठों की संख्या
फतेहपुर	29
गौतमबुद्धनगर	2
जे पी नगर	35
कानपुर देहात	1
कौशाम्बी	10
प्रयागराज	15
सहारनपुर	15
संभल	17
सिद्धार्थनगर	4
योग	**128**

चित्र 4.19: अन्य ईंट भट्ठों से दूरी (संभल)

4.10.2 आवासीय क्षेत्र से दूरी सम्बन्धी मानक का उल्लंघन

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ जिलों में आवासीय क्षेत्र से 1 किमी की दूरी के मानदण्ड का उल्लंघन करते हुए 256 ईंट भट्टे स्थापित किए गए थे जैसा कि **तालिका–4.11** में वर्णित है।

तालिका 4.11
आवासीय क्षेत्र से दूरी

जिले का नाम	ईंट भट्ठों की संख्या
फतेहपुर	65
गौतमबुद्धनगर	4
जे पी नगर	47
कानपुर देहात	3
कौशाम्बी	53
प्रयागराज	16
सहारनपुर	30
संभल	18
सिद्धार्थनगर	20
योग	**256**

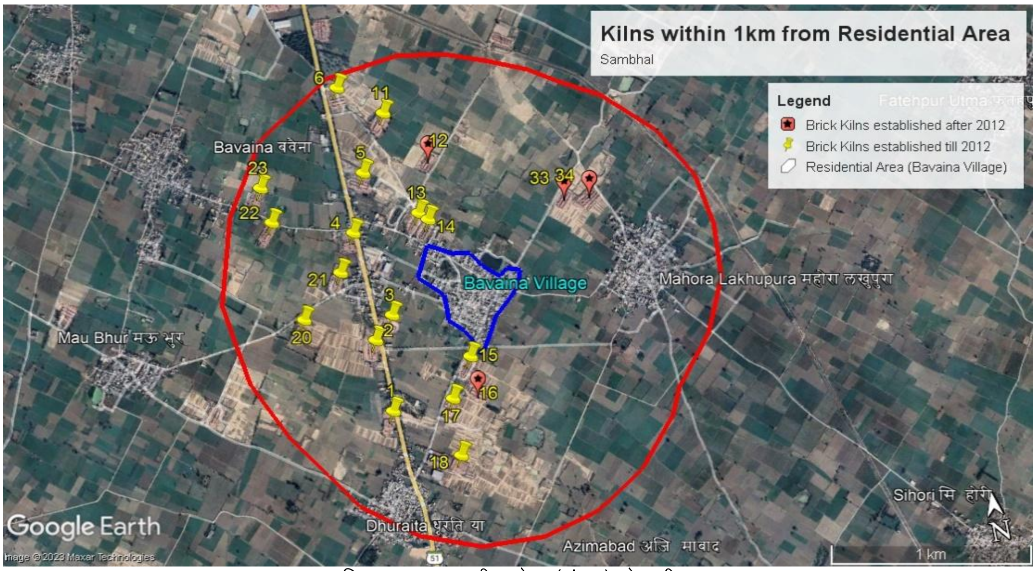

चित्र 4.20 आवासीय क्षेत्र (संभल) से दूरी

4.10.3 राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों से दूरी सम्बन्धी मानदण्डों का उल्लंघन

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात जिलों में 35 ईंट भट्टे राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से 300 मीटर के मानदण्ड का उल्लंघन करते हुए स्थापित किए गए थे जैसा कि **तालिका–4.12** में वर्णित है।

तालिका 4.12
राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों से दूरी

जिले का नाम	ईंट भट्ठों की संख्या
फतेहपुर	11
गौतमबुद्धनगर	1
जे पी नगर	8
कौशाम्बी	7
सहारनपुर	2
संभल	2
सिद्धार्थनगर	4
योग	**35**

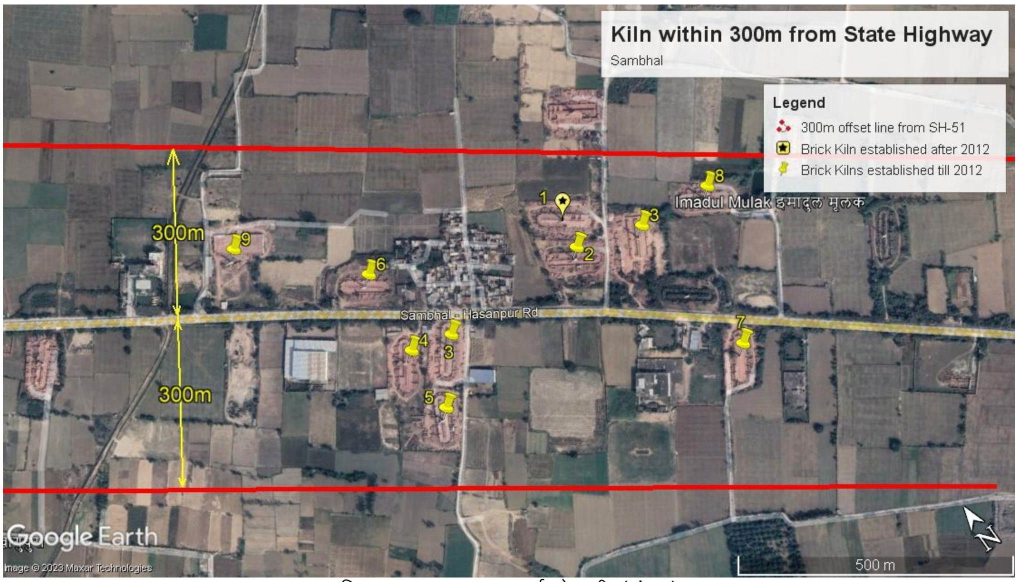

चित्र 4.21 राज्य राजमार्ग से दूरी (संभल)

4.10.4 स्कूल/कालेज से दूरी सम्बन्धी मानक का उल्लंघन

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात जिलों में 162 ईंट भट्टे, स्कूलों/कालेजों से 1 किमी की दूरी के मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए स्थापित किए गए थे जैसा कि **तालिका–4.13** में वर्णित है।

तालिका 4.13
स्कूल/कालेज से दूरी

जिले का नाम	ईंट भट्ठों की संख्या
फतेहपुर	52
जे पी नगर	17
कौशाम्बी	40
प्रयागराज	16
सहारनपुर	21
संभल	1
सिद्धार्थनगर	15
योग	**162**

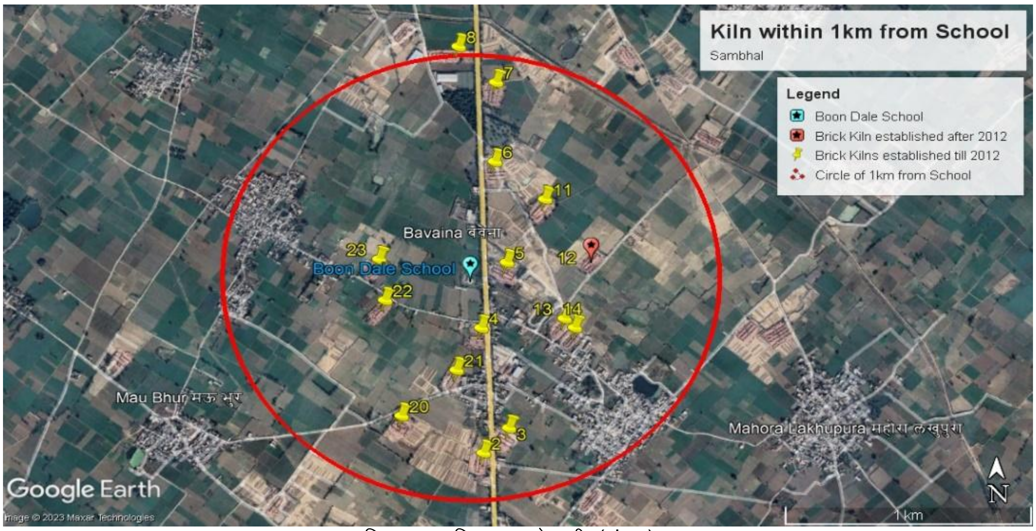

चित्र 4.22 विद्यालय से दूरी (संभल)

4.10.5 अस्पताल से दूरी सम्बन्धी मानक का उल्लंघन

लेखापरीक्षा ने देखा कि पाँच जिलों में नौ ईंट भट्टे, अस्पतालों के पास (1 किमी के अंदर) स्थापित किये गये, जैसा कि **तालिका–4.14** में वर्णित है।

तालिका 4.14
अस्पताल से दूरी

जिले का नाम	ईंट भट्ठों की संख्या
फतेहपुर	1
कौशाम्बी	3
प्रयागराज	2
सहारनपुर	2
सिद्धार्थनगर	1
योग	**9**

चित्र 4.23 पीएचसी से दूरी (फतेहपुर)

4.10.6 बाग से दूरी सम्बन्धी मानक का उल्लंघन

लेखापरीक्षा ने देखा कि कौशाम्बी जिले में एक ईंट भट्ठा बाग से 800 मीटर की दूरी के मानक का उल्लंघन करते हुए स्थापित किया गया था।

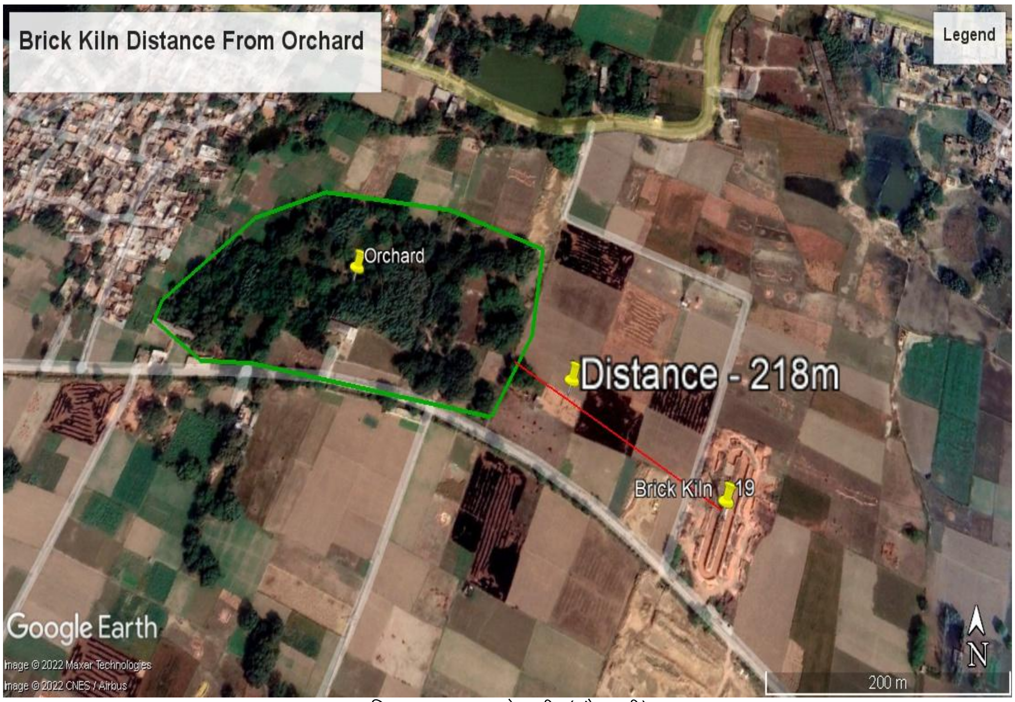

चित्र 4.24 बाग से दूरी (कौशाम्बी)

4.10.7 इको सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) से दूरी सम्बन्धी मानदण्ड का उल्लंघन

लेखापरीक्षा ने देखा कि जनपद जेपी नगर में एक ईंट भट्ठा हस्तिनापुर वन्य जीवन अभयारण्य के ईएसजेड से 5 किमी दूरी के मानदण्डों का उल्लंघन करके स्थापित किया गया था।

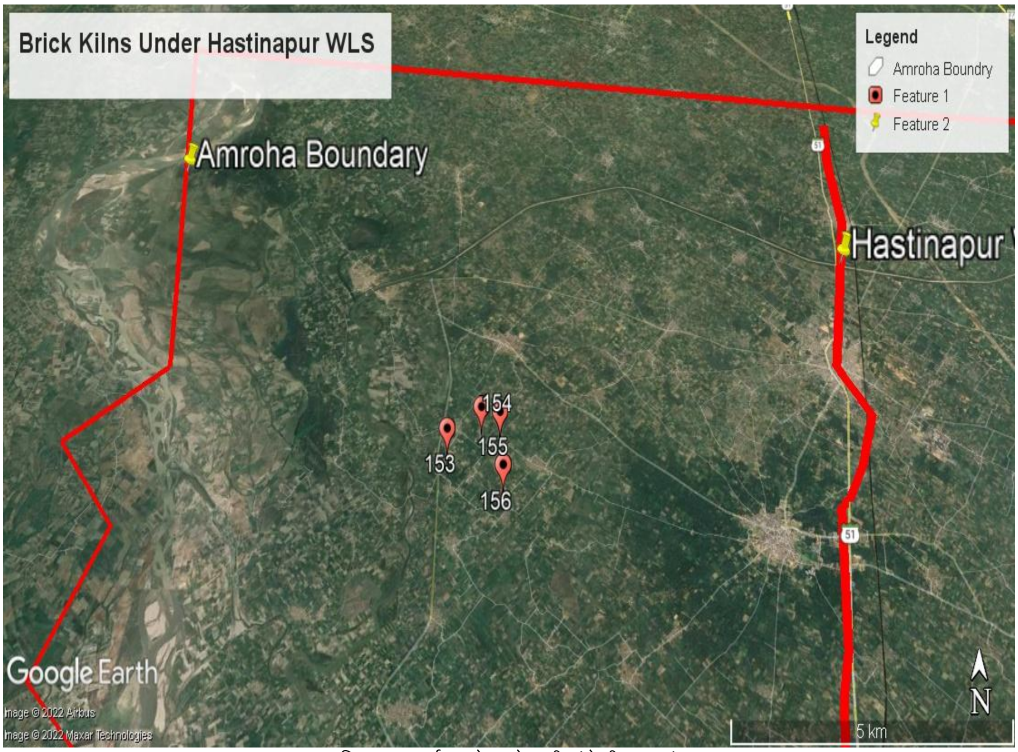

चित्र 4.25 ईएसजेड से दूरी (जे.पी. नगर)

4.10.8 ऐतिहासिक स्मारकों से दूरी सम्बन्धी मानक का उल्लंघन

लेखापरीक्षा ने देखा कि जनपद संभल में 11 ईंट भट्टे ऐतिहासिक स्मारक, जामी मस्जिद[88] से 5 किमी के अंदर दूरी मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए स्थापित किए गए थे।

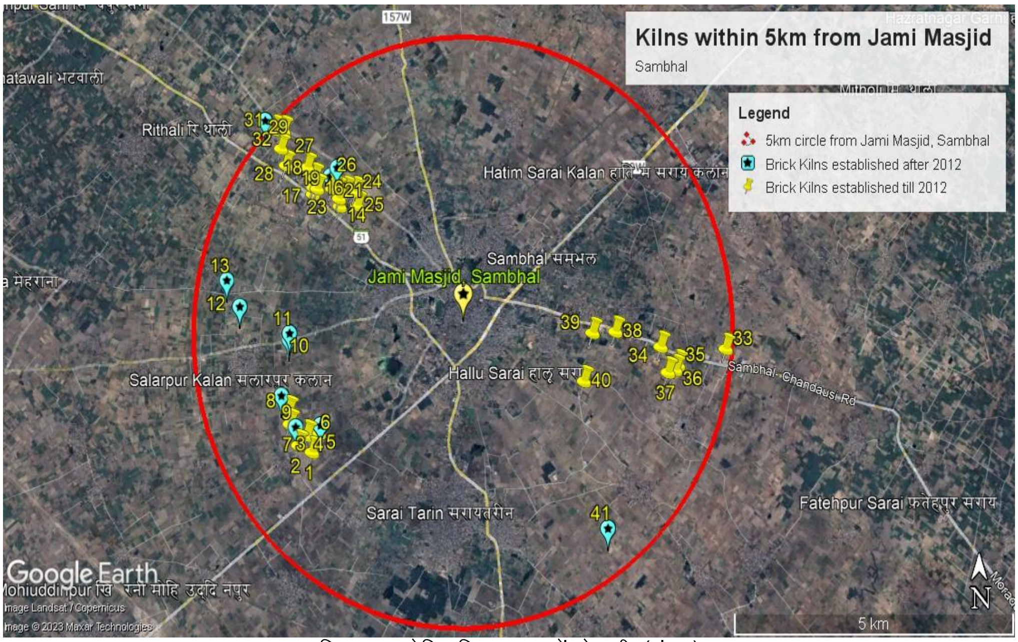

चित्र 4.26 ऐतिहासिक स्मारकों से दूरी (संभल)

88 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा सर्कल के स्मारकों की वर्णानुक्रमिक सूची की क्रम संख्या 250।

समापन गोष्ठी में सरकार ने कहा कि ईंट भट्ठा स्थापित करने से पहले भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से अनुमति या लाइसेंस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग तथा उ0प्र0प्र0नि0बो0 के बीच कोई समांजस्य नहीं है। परिणामस्वरूप, दोनों विभागों द्वारा ईंट भट्ठों की स्थापना की निगरानी नहीं की जाती है. हालाँकि, उ0प्र0प्र0नि0बो0 ने इन मामलों की जाँच करने का आश्वासन दिया और जिला कानपुर देहात की सूचना प्रदान की। एक मामले में उ0प्र0प्र0नि0बो0 ने नोटिस जारी किया और कानपुर देहात के शेष मामलों में कहा कि ईंट भट्ठे दिशानिर्देश के अनुसार स्थापित किए गए थे। उ0प्र0प्र0नि0बो0 का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये ईंट भट्ठे दिशानिर्देशों के लागू होने के बाद स्थापित किए गए थे जिसमें स्थापना नियमों का पालन नहीं किया था जैसा कि गूगल अर्थ इमेजरी में देखा गया है।

संस्तुति 11:

सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि मानदण्डों का उल्लंघन कर स्थापित और अवैध रूप से संचालित सभी ईंट भट्टों को बंद कर दिया गया है।

4.11 निष्कर्ष

विभाग ने बोली दर को अनदेखा करके उन पट्टाधारकों से आधार दर पर रायल्टी और खनिज मूल्य वसूल की, जिन्होंने पट्टा क्षेत्र या स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों से अवैध रूप से खनिजों का उत्खनन किया था, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को संभावित राजस्व से वंचित होना पड़ा।

गूगल अर्थ और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से पट्टा क्षेत्रों के बाहर और खनन पट्टा/परमिट दिये बिना अवैध खनन के मामले देखे गये। ई–ट्रान्जिट पास की निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली में कुशल इनपुट नियन्त्रण तन्त्र का अभाव था। परिणामस्वरूप, ऐसे वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन किया गया जो खनिजों के परिवहन के लिये उपयुक्त नहीं थे, पट्टाधारक निषिद्ध महीनों के दौरान और निर्धारित समय सीमा से परे ई–एमएम–11 प्रपत्र जारी करने में सक्षम थे और इन प्रपत्रों में उल्लिखित दूरी वास्तविक दूरी से अधिक थी। इसके अलावा, यह देखा गया कि पट्टाधारकों ने बालू खनन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और ईंट भट्ठा मालिकों ने ईंट भट्ठा स्थापना सम्बन्धी मानदण्डों का पालन नहीं किया, जैसा कि उपग्रह इमेजरी में प्रदर्शित है। यद्यपि राज्य सरकार ने खनन निगरानी प्रणाली का क्रियान्वयन किया परन्तु इसे राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता था।

अध्याय–V

आन्तरिक नियन्त्रण एवं निगरानी तन्त्र

अध्याय–V

आन्तरिक नियन्त्रण और निगरानी तन्त्र

सारांश

मौजूदा प्रक्रियाओं का पालन करके नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खनन गतिविधि की निगरानी एक आवश्यक कार्य है। यह देखा गया कि जनशक्ति की कमी का विभाग के सुचारू कामकाज और अवैध खनन गतिविधियों के नियन्त्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। डीजीएम द्वारा विभागीय सुरक्षा बल एवं विभागीय सचल दस्ता का गठन नहीं किया गया। खनन क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए उच्च अधिकारियों हेतु कोई मानक तय नहीं किये गये।

खनन योजना में दर्शायी गई स्वीकार्य मात्रा के सापेक्ष उत्खनित मात्रा की तुलना करने तथा खनन क्षेत्र में लगे कुशल और अकुशल श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिये नियंत्रण का मुख्य उपकरण, त्रैमासिक विवरणी, कई मामलों में पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी थी। पट्टे की अवधि के दौरान पर्यावरण विवरण प्रस्तुत करने की निगरानी नहीं की गयी थी।

वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों में पट्टाधारकों द्वारा किये गये अपेक्षित वृक्षारोपण की निगरानी विभाग द्वारा नहीं की गयी। बन्द खदानों में पट्टाधारकों द्वारा पुनर्ग्रहण एवं पुनर्वास कार्य की निगरानी भी विभाग द्वारा नहीं की गयी। इन कार्यों की निगरानी न किये जाने से पर्यावरण क्षरण का खतरा पैदा हो गया। राज्य सरकार ने जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन दो वर्ष से अधिक की देरी से किया जिसके कारण खनन क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ। डीजीएम और सम्बन्धित ट्रस्टियों ने ट्रस्ट के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए प्रयास नहीं किया। सम्बन्धित डी०एम०एफ० के ट्रस्टियों ने डी०एम०एफ० निधि के उपयोग के सम्बन्ध में जि०ख०फा०ट्र० नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

5.1 परिचय

मौजूदा प्रक्रियाओं का पालन करके नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खनन गतिविधि की निगरानी एक आवश्यक कार्य है। निरन्तर निगरानी के बिना, विभाग किसी भी संभावित मुद्दे, सुधार के क्षेत्र की पहचान करने और राजस्व की सुरक्षा के साथ–साथ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए, समय पर अवैध खनन का पता लगाने की स्थिति में नहीं होगा। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में निगरानी के लिए विभिन्न उपकरण निर्धारित किए गए हैं अर्थात मूल्यांकन, विवरणियाँ, ई–एमएम–11 प्रपत्र इत्यादि। लेखापरीक्षा ने इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा करने के लिए विभाग की निगरानी प्रणाली की जाँच की।

निगरानी प्रणाली में लेखापरीक्षा द्वारा पायी गयी कुछ कमियों पर आगे चर्चा की गई है:

लेखापरीक्षा परिणाम

5.2 कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण

किसी संगठन की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0) आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र का एक महत्वपूर्ण घटक है और यह संगठन को स्वयं को आश्वस्त करने में सक्षम कराता है कि निर्धारित प्रणालियाँ यथोचित रूप से अच्छी तरह काम कर रही हैं।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की आ0ले0प0शा0 वित्त नियन्त्रक की देखरेख में कार्य करती है। आन्तरिक लेखापरीक्षा योजना का विवरण जैसे लेखापरीक्षा के लिए नियोजित इकाइयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या और कमी **तालिका–5.1** में उल्लिखित है।

तालिका 5.1
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष	उपलब्ध इकाइयों की कुल संख्या[89]	लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाइयों की संख्या	वास्तविक लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी	कमी का प्रतिशत
2017-18	31	18	08	10	55.55
2018-19	31	31	30	01	3.22
2019-20	34	34	32	02	5.88
2020-21	34	23	21	02	8.69
2021-22	34	31	23	08	25.80

स्रोत–विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

आ0ले0प0शा0 लेखापरीक्षा के लिए नियोजित इकाइयों के सम्बन्ध में वास्तव में लेखापरीक्षित इकाइयों के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। 2017–18 और 2021–22 के बीच लेखापरीक्षा में कमी 3.22 से 55.55 प्रतिशत के मध्य थी।

आ0ले0प0शा0 द्वारा आयोजित आन्तरिक लेखापरीक्षा और वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान उठाई गई और निस्तारित आपत्तियों की संख्या और धनराशि **तालिका–5.2** में उल्लिखित है।

तालिका 5.2
आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाई गयी आपत्तियाँ

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम अवशेष	
	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि
2017-18	1,428	100.10	14	6.86	0	0.27	1,442	106.69
2018-19	1,442	106.69	62	45.78	0	0.37	1,504	152.11
2019-20	1,504	152.11	42	13.48	0	0	1,546	165.59
2020-21	1,546	165.59	23	8.10	0	4.37	1,569	169.32
2021-22	1,569	169.32	24	6.63	2	0.51	1,591	175.44

स्रोत–विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

[89] विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा 34 जि0खा0का0 की लेखापरीक्षा एवं अन्य जि0खा0का0 की लेखापरीक्षा राजस्व परिषद द्वारा की जाती है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाए गए मामलों के विरुद्ध विभाग द्वारा किया गया अनुपालन सभी वर्षों में बहुत कम था।

विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि विभाग के आ0ले0प0शा0 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत व्यक्तियों की कमी है। शाखा में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निदेशक, आन्तरिक लेखापरीक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से अनुरोध किया गया।

5.3 इलेक्ट्रानिक रूप से सृजित ट्रान्जिट पासों (ई–एमएम–11 प्रपत्रों) का आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लेखापरीक्षा न किया जाना

उ0प्र0 शासन के आदेश दिनाँक 11 जुलाई 2017 द्वारा निर्देशित किया गया है कि विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा दल सुरक्षा एवं पर्यवेक्षण उपायों के सम्बन्ध में प्रत्येक माह इलेक्ट्रानिक रूप से सृजित ट्रान्जिट पास (ई–एमएम–11) की लेखापरीक्षा करेगा और इसकी रिपोर्ट डीजीएम को उपलब्ध कराई जाएगी।

लेखापरीक्षा ने 17 जि0खा0का0[90] और निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म, में देखा कि विभाग की आ0ले0प0शा0 ने उपरोक्त सरकारी आदेश का पालन नहीं किया और ई–एमएम–11 प्रपत्रों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ई–एमएम–11 प्रपत्रों के सृजन में विसंगतियां पायी गयीं और ई–एमएम–11 प्रपत्रों का गलत उपयोग हुआ, जैसा कि विभाग द्वारा प्रदान किए गए ई–एमएम–11 प्रपत्रों के डेटा के विश्लेषण में लेखापरीक्षा में पाया गया और इस प्रतिवेदन के अध्याय–IV के **प्रस्तर संख्या 4.6** में दर्शाया गया है। कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण के कारण विभाग इन विसंगतियों का पता नहीं लगा सका और न ही उन्हें रोक सका।

समापन गोष्ठी में शासन ने कहा कि ई–एमएम–11 प्रपत्र की सुरक्षा लेखापरीक्षा हो चुकी है, लेकिन इसका अभिलेखीयकरण नहीं हुआ है।

तथ्य यह है कि ई–एमएम–11 प्रपत्र के उपयोग में लेखापरीक्षा द्वारा पायी गयी विसंगतियों का पता आ0ले0प0शा0/विभाग द्वारा नहीं लगाया जा सका और विभाग ई–एमएम–11 प्रपत्रों की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सका।

5.4 अपर्याप्त मानव संसाधन

विभाग के कुशल और सुचारू कामकाज के लिए जनशक्ति की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक हैं।

नमूना जाँच किये गये 18 जि0खा0का0 में लेखापरीक्षा ने 2021–22 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत पदों के प्रमुख मानव संसाधन (खान अधिकारी, खान निरीक्षक, सर्वेयर और खनन लिपिक) की तैनाती के सम्बन्ध में जाँच की और पाया कि पाँच जिलों[91] में केवल एक व्यक्ति तैनात था, छह जिलों[92] में केवल दो व्यक्तियों को तैनात किया गया था एवं केवल छह जिलों[93] में दो से अधिक व्यक्तियों को तैनात किया गया था। जि0खा0अ0 बागपत ने किसी भी लेखापरीक्षा ज्ञापन का जवाब नहीं दिया। उपरोक्त पदों पर तैनात व्यक्तियों की स्थिति दर्शाती है कि मानवशक्ति की अत्यधिक कमी थी। यद्यपि, जिला वार स्वीकृत संख्या डीजीएम द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

[90] बागपत, बाँदा, बुलन्दशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, जे.पी.नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

[91] बुलन्दशहर, जे.पी. नगर, मुजफ्फर नगर, शामली और सिद्धार्थनगर।

[92] चित्रकूट, फ़तेहपुर, जी.बी. नगर, कानपुर देहात और कौशाम्बी।

[93] बांदा, हमीरपुर, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर और सोनभद्र।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने निदेशालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात वरिष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, खान निरीक्षक, सर्वेयर, ड्राफ्ट्समैन और लिपिक के सम्बन्ध में डीजीएम द्वारा प्रदान की गई स्वीकृत पद और पद पर तैनात व्यक्तियों की स्थिति की जाँच की और देखा कि (01 फरवरी 2023 को) स्वीकृत संख्या के सापेक्ष जनशक्ति की अत्यधिक कमी थी। विवरण **तालिका–5.3** में दिखाया गया है।

तालिका 5.3
अपर्याप्त मानव संसाधन

पद	स्वीकृत पद	पद पर तैनात व्यक्ति	रिक्त पद	कमी (प्रतिशत में)
वरिष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी	67	47	20	29.85
खान निरीक्षक	75	20	55	73.33
सर्वेक्षक	41	8	33	80.49
ड्राफ्ट्समैन	16	8	8	50.00
खनन लिपिक	150	45	105	70.00
योग	**349**	**128**	**221**	**63.32**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अधिकारियों/कर्मचारियों की 29.85 प्रतिशत से 80.49 प्रतिशत तक की अत्यधिक कमी थी। जनशक्ति की कमी के कारण विभागीय सुरक्षा बल एवं विभागीय सचल दल का गठन नहीं किया जा सका तथा खनन क्षेत्रों का निरीक्षण मानकों के अनुसार नहीं किया जा सका, जैसे कि **प्रस्तर 5.5 एवं 5.6** में चर्चा की गयी है। इस प्रकार, जनशक्ति की कमी का विभाग के सुचारु कामकाज और अवैध खनन गतिविधियों के नियन्त्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है।

तथ्य यह है कि 18 में से 11 जिले ऐसे थे जहाँ केवल एक या दो व्यक्ति ही तैनात थे। कुल मिलाकर, निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत संख्या के सापेक्ष कर्मियों की 63.32 प्रतिशत की कमी थी, जो विभाग के सुचारू कामकाज के साथ–साथ राज्य के भीतर खनन गतिविधियों के उचित नियन्त्रण और निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

5.5 विभागीय सुरक्षा बल एवं विभागीय सचल दस्ता का गठन न किया जाना

खनन नीति 2017 के अनुसार खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन पर नियन्त्रण हेतु विभागीय सुरक्षा बल एवं विभागीय सचल दस्ता का गठन किया जाना था। विभागीय सुरक्षा बल को निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विभागीय सचल दस्ते के नियन्त्रण में कार्य करना है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीजीएम द्वारा विभागीय सुरक्षा बल एवं विभागीय सचल दस्ता का गठन नहीं किया गया था। डीजीएम ने खनन नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। डीजीएम स्तर पर सुरक्षा बल एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर सचल दस्ता के अभाव में अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं हो पा रहा था।

समापन गोष्ठी में शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि जनशक्ति की कमी के कारण विभागीय सुरक्षा बल और विभागीय सचल दस्ते का गठन नहीं किया जा सका।

5.6 अधिकारियों के लिए निरीक्षण मानदण्ड तय न किया जाना

खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम, 1957 और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिले के अधिकारी जो खान निरीक्षकों के पद से नीचे का न हो किसी भी खदान में प्रवेश और निरीक्षण कर सकता है, सर्वेक्षण कर सकता है और ऐसी किसी भी खदान में माप ले सकता है। डीजीएम ने अपने आदेश दिनाँक 17 जून 2009 में जिलों में तैनात सभी जि0खा0अ0/खान निरीक्षकों को निर्देश दिया कि खनन क्षेत्रों के विकास के लिए सतत और वैज्ञानिक खनन हेतु उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अग्रेतर, डीजीएम ने निर्देश दिया कि तीन महीने के अंदर अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत खनन क्षेत्रों में कम से कम एक क्षेत्र का निरीक्षण किया जा सकता है।

18 चयनित जि0खा0का0 में खनन पट्टों और ईंट भट्ठों में किए गए निरीक्षणों की संख्या लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। हालाँकि, निदेशालय ने जवाब दिया कि जनशक्ति की कमी के कारण डीजीएम के आदेश के अनुसार निरीक्षण नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा ने देखा कि खनन क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक और वरिष्ठ खान अधिकारी के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए थे।

समापन गोष्ठी में शासन ने कहा कि अधिकारियों की कमी के कारण निरीक्षण के मानक निर्धारित नहीं किये गये थे। अब, अधिकारियों की संख्या बढ़ने के कारण निरीक्षणों की संख्या बढ़ा दी गई है और उचित निगरानी के लिए निरीक्षण मानदण्ड तैयार किए जाएंगे।

संस्तुति :

12. **सरकार विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा और अन्य शाखाओं की रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये अपेक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराने पर विचार कर सकती है।**
13. **सरकार खनन गतिविधियों की उचित निगरानी के लिए विभाग के अधिकारियों के लिए निरीक्षण मानदण्ड तय करने पर विचार कर सकती है।**

5.7 सिविल कार्य में प्रयुक्त खनिजों के लिए कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विवरणी प्रस्तुत न किया जाना

उ0प्र0 शासन ने अपने आदेश[94] दिनाँक 2 फरवरी 2001 द्वारा जिलाधिकारियों को सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त खनिजों पर रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश दिनाँक 2 फरवरी 2001 एवं उसके बाद इसी प्रकार जारी किये गये आदेशों के माध्यम से यह भी निर्देश जारी किये गये कि सिविल कार्यों में उपयोग किये जाने वाले खनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले खनिजों पर रायल्टी नियमानुसार भुगतान कर दी गयी हो और खनिजों का परिवहन वैध ट्रान्जिट पास (एमएम–11) के आधार पर किया गया है। 5 अक्टूबर 2006 के शासकीय आदेश[95] के अनुसार, जहाँ रायल्टी के भुगतान के बिना उप खनिजों की आपूर्ति की गई है, बिलों के भुगतान से पहले ठेकेदारों के बिलों से निर्धारित दर पर रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए और सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा की जानी चाहिए और ट्रेजरी चालान की एक प्रति सम्बन्धित जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। साथ ही कार्यदायी संस्थाओं/निर्माण इकाइयों द्वारा प्रतिमाह जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाए कि ठेकेदार से खनिजों/उप खनिज की रायल्टी की कोई धनराशि अवशेष नहीं है अथवा राजकोष में जमा कर दी गयी है।

[94] शा0सं0.-594/77-5-2001/200/77 टीसी-1।

[95] शा0सं0.-4951(1)-77-5-2006-506/05।

पुनः, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश[96] दिनाँक 15 अक्टूबर 2015 के अनुसार यदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लगाये गये ठेकेदार द्वारा बिना वैध ट्रान्जिट पास (एमएम–11) के सिविल कार्यों में किसी खनिज का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किए गए उप खनिज की रायल्टी के साथ–साथ खनिज मूल्य (सामान्यतया रायल्टी का पाँच गुना) ठेकेदार के बिल से काट लिया जाना चाहिए।

15 जि0खा0अ0[97] के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा न तो रायल्टी जमा चालान की प्रतियाँ भेजी गईं और न ही जिला अधिकारी/खनन विभाग को कोई अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। विभाग के पास ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जो यह दर्शा सके कि निर्माण कार्यों में ठेकेदारों ने कितनी मात्रा में खनिज का उपयोग किया और रायल्टी जमा करने के साक्ष्य के रूप में कितने ट्रान्जिट पास प्रस्तुत किए या ठेकेदारों के बिलों से बिना ट्रान्जिट पास के परिवहन किए गए खनिजों पर कितनी रायल्टी काटकर राजकोष में जमा की गई।

समापन गोष्ठी में शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि कार्यदायी संस्थाओं और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के मध्य समन्वय स्थापित किया जाएगा।

5.8 पट्टाधारकों द्वारा त्रैमासिक विवरणी (एमएम–12) प्रस्तुत न किया जाना

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 73 (1) के अन्तर्गत, पट्टाधारकों को हर साल जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जिला खान अधिकारी को प्रपत्र एमएम–12 में पिछली तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी जमा करना होगा। यह खनन योजना में दर्शायी गई अनुमन्य मात्रा के सापेक्ष उत्खनित मात्रा की तुलना करने के लिए नियन्त्रण का मुख्य उपकरण है। नियम 73(2) में प्रावधान है कि जब भी खनिज परिहार का कोई धारक उप नियम (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी जमा करने में विफल रहता है तो वह ₹ 2,000 का शास्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 में 217 पट्टों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच की और 10 जि0खा0का0[98] में देखा कि 101 पट्टा धारकों ने अप्रैल 2017 से जनवरी 2022 के दौरान 1,003 त्रैमासिक विवरणी (एमएम–12) जमा नहीं किए थे। जि0खा0का0 ने त्रैमासिक विवरणी एमएम–12 जमा करने की निगरानी नहीं की। विभाग ने इन चूककर्ताओं के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की और ₹ 20.06 लाख की शास्ति वसूल नहीं किया। एमएम–12 विवरणी के अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि पट्टाधारकों द्वारा उत्खनित और प्रेषित खनिजों की वास्तविक मात्रा कितनी थी और उस खनन क्षेत्र में कितने मजदूर लगे हुए थे। जि0खा0का0 के पास खनन क्षेत्र में लगे कुशल और अकुशल श्रमिकों का और स्थानीय लोगों के लिए कितना रोजगार उत्पन्न हुआ, का कोई आधारभूत डेटा नहीं था।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि ट्रान्जिट पास के ऑनलाइन जारी होने के परिणामस्वरूप खनन क्षेत्र से निकाले गए खनिज की मात्रा का पूरा विवरण विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसके कारण एमएम–12 प्रपत्र में त्रैमासिक विवरणी की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुरूप नहीं है। विभागीय पोर्टल में उत्खनन किए गए खनिज की मात्रा, खनन में लगे कुशल और अकुशल श्रमिकों का डेटा और स्थानीय लोगों के लिए उत्पन्न रोजगार का डेटा मौजूद नहीं है। इसके अलावा, उ0प्र0ख0प0

[96] शा0सं0-3385/86-2015-292/2015।

[97] बागपत, बांदा, बुलन्दशहर, फ़तेहपुर, जी.बी. नगर, हमीरपुर, जे.पी. नगर, कौशाम्बी, मुज़फ़्फ़र नगर, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

[98] बागपत, बुलन्दशहर, फ़तेहपुर, जी.बी. नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, महोबा, प्रयागराज, संभल और शामली।

नियमावली, 2021 भी एमएम–12 प्रपत्र में त्रैमासिक विवरणी जमा करने और इसे जमा न करने पर शास्ति का प्रावधान करता है।

संस्तुतिः

14. सरकार खनिजों के परिवहन की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और खनन के माध्यम से उत्पन्न रोजगार के आँकड़े इकट्ठा करने के लिए आवधिक विवरणी जमा करना सुनिश्चित कर सकती है।

5.9 पट्टाधारकों द्वारा पर्यावरण विवरण (प्रपत्र–V) प्रस्तुत करने की निगरानी न किया जाना

पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 14 में कहा गया है कि उद्योग चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अन्तर्गत अथवा वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत आवश्यक सहमति के लिए, 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (राप्रनिबो) को एक पर्यावरण विवरण (प्रपत्र–V) प्रस्तुत करेगा। पट्टाधारकों को जारी की गई पर्यावरण मंजूरी के लिए राप्रनिबो को प्रपत्र V में पर्यावरण विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी की जिम्मेदारी जिला खान अधिकारी को सौंपी गयी है।

जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 में वर्णित उ0प्र0प्र0नि0बो0 का मुख्य कार्य जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियन्त्रण और कमी करना है। बोर्ड का मुख्य प्रयास उद्योगों और उद्यमियों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने दैनिक बुनियादी दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता करना है। जल और वायु गुणवत्ता निगरानी पर्यावरण प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह औद्योगिक स्थल और नगर नियोजन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि डेटा भी प्रदान करता है। बोर्ड नियमित रूप से राज्य में 34 स्थानों पर प्रमुख सतही जल निकायों और 19 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। उ0प्र0प्र0नि0बो0 लखनऊ स्थित मुख्यालय के साथ साथ पूरे राज्य में फैले अपने 28 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0[99] में देखा कि जि0खा0अ0 ने उ0प्र0प्र0नि0बो0 को पट्टे की अवधि के दौरान 200 पट्टाधारकों द्वारा प्रपत्र–V में पर्यावरण विवरण प्रस्तुत करने की निगरानी नहीं की। उ0प्र0प्र0नि0बो0 ने यह भी कहा कि इनमें से किसी भी पट्टाधारक द्वारा प्रपत्र–V जमा नहीं किया गया था। हालाँकि, प0म0 में वर्णित सामान्य शर्तों के अनुसार प्रपत्र–V को उ0प्र0प्र0नि0बो0 को समय पर जमा करना आवश्यक है। अग्रेतर, प0म0 की विशिष्ट शर्तों के अनुसार, सम्बन्धित जि0खा0का0 को प0म0 की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो उ0प्र0प्र0नि0बो0 और न ही विभाग ने उपरोक्त प्रावधान पर ध्यान दिया। पर्यावरण विवरण प्रस्तुत करने की निगरानी नहीं करने के कारण खनन क्षेत्रों के निकट वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अन्य पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों के दुष्प्रभावों का आकलन नहीं किया जा सका।

समापन गोष्ठी में शासन ने कहा कि प0म0 में दी गई शर्तों में संशोधन किया जाएगा और वर्तमान में पर्यावरण मानकों के अनुपालन की निगरानी उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा की जाती है। हालाँकि, उ0प्र0प्र0नि0बो0 ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि किसी भी पट्टा धारक द्वारा प्रपत्र–V जमा नहीं किया गया है।

[99] बांदा, बागपत, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थ नगर और सोनभद्र।

संस्तुतिः

15. सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि पट्टाधारकों से प्रपत्र–V में पर्यावरण विवरण प्रस्तुत करने के लिए उ0प्र0प्र0नि0बो0 और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के बीच एक समन्वय तन्त्र स्थापित किया जाए।

5.10 वृक्षारोपण की निगरानी में विफलता

उत्तर प्रदेश शासन ने खनन पट्टाधारकों को जारी की जाने वाली एनओसी में वृक्षारोपण के प्रावधान को जोड़ने के लिए 4 जून 2008 को सभी जिला वन अधिकारियों (जि0व0अ0)/प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी (प्र0नि0सा0वा0) को निर्देश जारी किया। इस उपबन्ध के अनुसार, एक एकड़ या अधिक क्षेत्र में खनन करने वाले किसी भी खनन पट्टाधारक को अपनी लागत पर सिंचाई और बाड़ लगाने की सुविधा के साथ खनन के लिए पट्टा क्षेत्र के बराबर क्षेत्र में प्रति एकड़ 200 फलदार छायादार पेड़ लगाने होंगे। शासन ने आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा ने 15 जि0खा0का0[100] में देखा कि खनन क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को चलाने के लिए 6,824 एकड़ भूमि को आच्छादित करने वाले 177 खनन पट्टे आवंटित किए गए थे। सम्बन्धित जि0व0अ0/प्र0नि0सा0वा0 द्वारा उप खनिज पट्टा धारकों को एनओसी इस शर्त के साथ जारी की गई थी कि वे खनन के लिए पट्टा क्षेत्र के बराबर या न्यूनतम एक एकड़ भूमि (खनन एक एकड़ से कम क्षेत्र होने की स्थिति में) पर अपनी लागत से प्रति एकड़ 200 पेड़ों की दर से सिंचाई और बाड़ लगाने की सुविधा के साथ फलदार छायादार पेड़ लगाएंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पट्टा पत्रावलियों में अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दर्शाता हो कि इन पट्टाधारकों ने उपरोक्त सरकारी आदेश के अनुसार कोई वृक्षारोपण किया था। अनुरोध के बावजूद, सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने पट्टाधारकों द्वारा किए गए वृक्षारोपण कार्य का विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया। इस प्रकार, विभाग पट्टाधारकों द्वारा 6,824 एकड़ भूमि पर 13,64,800 पौधों का रोपण सुनिश्चित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, खनन प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को पर्यावरण प्रदूषण और स्वच्छता की कमी का सामना करना पड़ा और वे अन्य सामाजिक लाभों से वंचित हो गए। विवरण **परिशिष्ट–XXVIII** में दर्शाया गया है।

समापन गोष्ठी में शासन ने कहा कि वन विभाग द्वारा दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र और पर्यावरण प्रमाण पत्र में दिए गए नियम और शर्तों का अनुपालन कौन सा विभाग सुनिश्चित करेगा, यह तय किया जाना है।

संस्तुतिः

16. सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि पट्टाधारकों द्वारा किये जाने वाले अपेक्षित वृक्षारोपण कार्य की उचित निगरानी के लिए वन विभाग और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के बीच एक समन्वय तन्त्र स्थापित किया जाए।

5.11 वसूली प्रमाणपत्रों की निगरानी न किया जाना

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 58(1) में कहा गया है कि पट्टाधारक नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार को देय रायल्टी सहित पट्टे के अधीन देय अनिवार्य किराया का भुगतान करे, यदि इस तरह के भुगतान के लिए निर्धारित तिथि के अगले 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया हो तो राज्य सरकार या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भी देय राशि का भुगतान करने के लिए पट्टाधारक को नोटिस देकर खनन पट्टे को समाप्त कर सकता है। यह

[100] बागपत, बांदा, बुलंशहर, चित्रकूट, फ़तेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

अधिकार पट्टाधारक से भू–राजस्व की बकाया राशि की वसूली के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त और बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा।

लेखापरीक्षा ने 18 जि0खा0का0 में अभिलेखों की जाँच की और आठ जि0खा0का0[101] में देखा कि विभाग द्वारा 2017–18 और 2021–22 के बीच 161 वसूली प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, जिसमें खनन बकाया की वसूली के लिए ₹ 409.85 करोड़ की धनराशि शामिल थी। इसमें से विभाग द्वारा मात्र ₹ 1.17 करोड़ की वसूली की गयी। जि0खा0का0 सोनभद्र के ₹ 12.37 करोड़ के छह वसूली प्रमाणपत्र यह कहते हुए वापस कर दिए गए कि पिता का नाम और पता नहीं मिला या पट्टाधारकों के पास कोई सम्पत्ति नहीं है। ₹ 408.68 करोड़ की धनराशि अभी भी वसूल नहीं की गई थी। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने शेष राशि की वसूली के लिए आगे कदम नहीं उठाया जैसा **परिशिष्ट–XXIX** में वर्णित है।

समापन गोष्ठी में शासन ने मामले की समीक्षा करने और वसूली प्रमाणपत्रों की वापसी के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

5.12 राज्य में जि0ख0फा0ट्र0 के गठन में देरी

खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम, 2015 की धारा 9 (बी) में उपबन्धित है कि खनन से सम्बन्धित गतिविधियों से प्रभावित किसी भी जिले में, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, एक गैर–लाभकारी निकाय के रूप में एक जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना करेगी।

जिला खनिज फाउंडेशन का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करना होगा। तदनुसार, ट्रस्ट के पास उपलब्ध निधि का उपयोग पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण उपायों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के कल्याण, वृद्ध और विकलांग जनों के कल्याण, कौशल विकास और स्वच्छता आदि के लिए किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 15 (ए) के अन्तर्गत जिला खनिज फाउंडेशन की संरचना और कार्य ऐसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। राज्य सरकार उप खनिजों से सम्बन्धित समस्त पट्टाधारकों द्वारा उस जिले के जिला खनिज फाउंडेशन को भुगतान की जाने वाली धनराशि निर्धारित कर सकती है जिसमें खनन कार्य किया जाता है।

उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना[102] दिनाँक 25 अप्रैल 2017 के द्वारा जि0ख0फा0ट्र0 का गठन किया गया था और तद्नुसार राज्य सरकार ने अधिसूचना[103] संख्या 866/86–2017 –132/2016 दिनाँक 15 मई 2017 द्वारा 12 जनवरी 2015 से प्रभावी उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2017 प्रख्यापित किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि 27 मार्च 2015 को सभी राज्यों में जि0ख0फा0ट्र0 की स्थापना के लिए खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम, 2015 में प्रावधान किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने दो साल से अधिक की देरी से जि0ख0फा0ट्र0 का गठन किया। इस प्रकार ट्रस्ट के गठन में देरी के कारण खनन क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में देरी हुई। जि0ख0फा0ट्र0 के उद्देश्य पहले पूरे नहीं हुए थे और खनन प्रभावित क्षेत्रों के लाभार्थी कुछ समय के लिए सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ से वंचित थे। हालाँकि, अब राज्य के सभी जिलों में जि0ख0फा0ट्र0 की स्थापना हो चुकी है।

[101] बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, प्रयागराज, शामली और सोनभद्र।

[102] सं0 101–नं0–489/86–2017–132/2016 25/अप्रैल/2017।

[103] सं0 102–नं0–866/86–2017–132/2016 15/मई/2017।

समापन गोष्ठी में शासन ने राज्य में जि0ख0फ़ा0ट्र0 के गठन में देरी को स्वीकार किया और बताया कि अब राज्य के सभी जिलों में जि0ख0फ़ा0ट्र0 की स्थापना हो गयी है।

तथ्य यह है कि ट्रस्ट के गठन में देरी से जि0ख0फ़ा0ट्र0 के उद्देश्यों के अनुसार खनन क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में देरी हुई।

5.13 बकाया/ डी0एम0एफ0 अंशदान रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जाना

उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (उ0प्र0जि0ख0फ़ा0ट्र0) नियमावली, 2017 के नियम 19 के अनुसार प्रत्येक पट्टाधारक को ट्रस्ट को देय राशि उस अधिकारी को सूचित करते हुए बैंक खाते में जमा करनी होगी, जिसे रायल्टी देय है। प्रत्येक अधिकारी जो रायल्टी की राशि एकत्र करने के लिए अधिकृत है, प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा देय और भुगतान की गई धनराशि का एक रजिस्टर बनाए रखेगा और उसका समेकित मासिक विवरण प्रत्येक माह के अन्त में समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने सभी चयनित 18 जि0खा0का0 में देखा कि सम्बन्धित जि0खा0का0 द्वारा पट्टाधारकों/ईंट भट्ठा मालिकों पर देय रायल्टी का बकाया रजिस्टर और डी0एम0एफ0 रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। पट्टाधारकों द्वारा डी0एम0एफ0 की राशि भी नियमित रूप से जमा नहीं की जा रही थी। डी0एम0एफ0 के लिए प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा देय और जमा की गई राशि के पूर्ण विवरण की निगरानी विभाग द्वारा रजिस्टरों के माध्यम से नहीं की गयी थी। बकाया/ डी0एम0एफ0 रजिस्टर यह पता लगाने का प्रमुख स्रोत है कि पट्टाधारकों के खिलाफ कितनी रायल्टी या डी0एम0एफ0 में अंशदान बकाया है। विभाग सरकार को भुगतान किये जाने वाले राजस्व के बकाया और डी0एम0एफ0 में अंशदान का पता लगाने में विफल रहा।

समापन गोष्ठी में सरकार ने कहा कि वांछित अभिलेख तैयार किये जाएंगे और इसके लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली बनाई जा रही है जिसमें डी0एम0एफ0 का भुगतान रायल्टी के साथ स्वचालित रूप से किया जा सकता है।

5.14 डीजीएम द्वारा अर्ह लेखापरीक्षक के माध्यम से जि0ख0फ़ा0 ट्रस्ट के लेखों की लेखापरीक्षा न कराया जाना

उ0प्र0जि0ख0फ़ा0ट्र0 नियमावली, 2017 के नियम 12 के अनुसार, ट्रस्ट के लेखों की लेखापरीक्षा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश द्वारा एक अर्ह लेखा परीक्षक के माध्यम से की जाएगी। ट्रस्ट एक वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन डीजीएम, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करेगा। नियमावली के नियम 18 के अनुसार, प्रबंधन समिति जि0ख0फ़ा0 ट्रस्ट से सम्बन्धित लेखा पुस्तिकाओं, दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों का रख–रखाव करेगी। ट्रस्ट के लेखों की लेखापरीक्षा, कम से कम एक वर्ष पूरा होने पर, एक अर्ह लेखापरीक्षक द्वारा किया जाएगा। ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिसूचित अनुमोदित लेखा परीक्षकों की सूची से ट्रस्टियों द्वारा की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य के प्रत्येक जिले में जि0ख0फ़ा0ट्र0 स्थापित किया गया है। जि0ख0फ़ा0ट्र0 नियमावली के अनुसार, जि0ख0फ़ा0 ट्रस्ट के लेखों का एक वर्ष पूरा होने पर एक अर्ह लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किया जाना था। आ0ले0प0शा0 की पत्रावलियों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए अर्ह लेखा परीक्षकों द्वारा केवल छह जनपदों[104] के ट्रस्ट के लेखों की लेखापरीक्षा की गयी थी। 69 जि0खा0का0 में जि0ख0फ़ा0ट्र0 के लेखे पाँच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अलेखापरीक्षित रहे।

[104] बाँदा, हमीरपुर, झाँसी, ललितपुर, महोबा और सोनभद्र।

समापन गोष्ठी में सरकार ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि डी0एम0एफ0 के लेखों की लेखापरीक्षा अब की जा रही है। तथ्य यह है कि 69 जि0खा0का0 के लेखे अलेखापरीक्षित रहे।

5.15 जि0ख0फ़ा0ट्र0 नियमावली का उल्लंघन करते हुए जि0ख0फा0ट्र0 निधि से व्यय

उ0प्र0जि0ख0फ़ा0ट्र0 नियमावली के नियम 17 के अनुसार, ट्रस्ट के पास उपलब्ध निधि का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों[105] के लिए किया जाएगा जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत निधि का उपयोग किया जाएगा और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों[106] के लिए जिसमें 40 प्रतिशत तक निधि का उपयोग किया जाएगा।

जि0ख0फ़ा0ट्र0 नियमावली के नियम 5 में प्रावधान है कि खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्र के लाभ के लिए प्रस्ताव सम्बन्धित खान अधिकारी द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव निम्नलिखित प्रकृति का हो सकता है– (ए) क्षेत्र का बुनियादी ढांचा जैसे पहुँच मार्ग, बिजली, स्वच्छता, पेयजल सुविधा, हैंडपंप और अन्य जनोपयोगी कार्यों का निर्माण और रखरखाव; (बी) खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्र में/आस–पास सामान्य वृक्षारोपण; (सी) खनिज विकास के हित में ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित कोई अन्य गतिविधियाँ।

लेखापरीक्षा ने आठ जि0खा0का0[107] में देखा कि सामुदायिक भवनों, मीटिंग हॉल, खेल स्टेडियम, जॉगिंग ट्रैक के निर्माण/नवीनीकरण, फर्नीचर/उपकरण की खरीद, सरकारी कार्यालयों में सीसी टीवी कैमरे की स्थापना के लिए जि0ख0फ़ा0ट्र0 द्वारा विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 8.50 करोड़ की राशि जारी की गई थी। इन कार्यों की प्रकृति नियम 17 में निर्दिष्ट उच्च प्राथमिकता/अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से सम्बन्धित नहीं है और इसलिए खनन/खनन से सम्बन्धित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों/क्षेत्रों के समग्र विकास से सम्बन्धित नहीं है। सम्बन्धित डी0एम0एफ0 के ट्रस्टियों ने जि0ख0फ़ा0ट्र0 द्वारा निधि के उपयोग के सम्बन्ध में जि0ख0फ़ा0ट्र0 नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप खनन प्रभावित क्षेत्र के लोग सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ से वंचित हो गये।

समापन गोष्ठी में शासन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण को ध्यान में रखते हुए डी0एम0एफ0 निधि का उपयोग सम्पूर्ण जनपद में किया जा सकता है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपयोग की गई धनराशि नियम 17 में निर्दिष्ट उच्च प्राथमिकता/अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से सम्बन्धित नहीं थी और पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण के लिए भी नहीं थी।

संस्तुति 17:

सरकार खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कल्याण और विकास के लिये जि0ख0फ़ा0ट्र0 नियमावली के अनुसार एकत्रित जि0ख0फ़ा0ट्र0 निधि का उपयोग सुनिश्चित कर सकती है और अधिकारियों द्वारा जि0ख0फ़ा0ट्र0 निधि के व्यपवर्तन के लिये उत्तरदायित्व तय कर सकती है।

---

105 (ए) पेयजल आपूर्ति (बी) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण उपाय (सी) स्वास्थ्य देखभाल (डी) शिक्षा (ई) महिलाओं और बच्चों का कल्याण (एफ) वृद्ध और विकलांग लोगों का कल्याण (जी) कौशल विकास और (एच) स्वच्छता।

106 (ए) भौतिक अवसंरचना (बी) सिंचाई (सी) ऊर्जा और वाटरशेड विकास (डी) खदान वाले जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।

107 बांदा, फ़तेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

5.16 जि0ख0फ़ा0ट्र0 निधि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के विकास के लिए न किया जाना

उ0प्र0जि0ख0फ़ा0ट्र0 नियमावली के अनुसार सम्बन्धित प्रबंधन समिति एवं शासी परिषद की अनुशंसा के आधार पर ट्रस्ट के कोष में उपलब्ध धनराशि से एक कार्य योजना जिले में खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के विकास के लिए तैयार की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने जिला खान अधिकारी, हमीरपुर और प्रयागराज के कार्यालय में डी0एम0एफ0 की पत्रावली/पंजिका की जाँच की और पाया कि जिला खनिज ट्रस्ट निधि से ₹ 77.50 करोड़ की धनराशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम के लिए नहीं किया गया था। विभाग ने वर्ष 2018–19 में हमीरपुर में विकास कार्यों के लिए केवल ₹ 11.00 लाख और वर्ष 2020–21 और 2021–22 में प्रयागराज में विकास कार्यों के लिए ₹ 8.88 करोड़ खर्च किए। इस प्रकार मार्च 2022 तक जमा की गई कुल धनराशि ₹ 86.95 करोड़ के सापेक्ष 2018–19 से 2021–22 के बीच विकास कार्यों पर कुल ₹ 8.99 करोड़ ही व्यय हुआ। मार्च 2022 तक जि0ख0फ़ा0ट्र0 में जमा की गई शेष राशि ₹ 77.50 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया। धनराशि का उपयोग न होने के कारण खनन प्रभावित क्षेत्र विकास कार्यों और अन्य सामाजिक–आर्थिक लाभों से वंचित रह गये।

समापन गोष्ठी में शासन ने व्यय की अद्यतन स्थिति और उन जिलों की सूची प्रदान करने का आश्वासन दिया जहाँ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) लागू है। हालाँकि, मार्च 2024 तक लेखापरीक्षा को ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है।

5.17 माइन मित्रा पोर्टल में दोषपूर्ण सत्यापन तन्त्र

उत्तर प्रदेश में ट्रान्जिट पास (ई–एमएम–11) माइन मित्रा पोर्टल के माध्यम से सृजित किये जाते हैं। ठेकेदारों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं में रायल्टी भुगतान के प्रमाण के रूप में ट्रान्जिट पास प्रस्तुत किए जाते हैं। इन पासों को अन्य राज्यों सहित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा एक ही पोर्टल पर व्यक्तिगत लागिन के माध्यम से पुष्टि किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने जिला पंचायत संभल (कार्यदायी संस्था) के अभिलेखों की जाँच की और पाया कि ठेकेदार ने सिविल कार्य में उपयोग किए गए उप खनिज के सापेक्ष उत्तराखंड राज्य से जारी असंगत तिथि (30.02.2021) का ट्रान्जिट पास प्रस्तुत किया था और इसे माइन मित्रा पोर्टल द्वारा पुष्टि किया गया था। लेखापरीक्षा ने ट्रान्जिट पास का सत्यापन किया और पाया कि यह मूल रूप से 10.01.2018 को किसी अन्य पारेषिती को जारी किया गया था और अन्य विवरण भी मूल ट्रान्जिट पास के साथ मेल नहीं खाते हैं। इसका तात्पर्य है कि माइन मित्रा पोर्टल ट्रान्जिट पास में दर्शाए गए सभी विवरणों की पुष्टि नहीं कर रहा है। इसके अलावा, कार्यदायी संस्था के आहरण एवं संवितरण अधिकारी भी इस अनियमितता की पहचान करने में विफल रहे और बाद में ठेकेदार को भुगतान जारी कर दिया। इस प्रकार पोर्टल की सत्यापन प्रक्रिया में कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप असंगत तिथि के साथ ट्रान्जिट पास का सत्यापन हुआ।

समापन गोष्ठी में सरकार ने तन्त्र की कमी को स्वीकार किया और कहा कि पोर्टल पर सत्यापन की प्रणाली विकसित की जा रही है।

संस्तुतिः

सरकार सुनिश्चित कर सकती हैः

18. माइन मित्रा पोर्टल के सत्यापन तन्त्र के लिए एक मजबूत प्रणाली लागू करना यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रान्जिट पास में दर्शाए गए सभी प्रासंगिक विवरण उपयुक्त रूप से सत्यापित हैं।

19. ट्रान्जिट पासों की सुसंगत और सटीक मान्यता सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना। इसमें मानकीकृत प्रक्रियाओं को लागू करना और सत्यापन के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस शामिल हो सकता है।

5.18 बन्द खदानों में सुधार एवं पुनर्वास कार्य की निगरानी न किया जाना

खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियमावली 23 के अनुसार, पट्टाधारक तब तक खदान या उसके हिस्से को छोड़ने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि अन्तिम खदान बन्द करने की योजना, क्षेत्रीय खान नियन्त्रक या इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विधिवत अनुमोदित, कार्यान्वित न किया जाय। उक्त नियमावली के नियम 23 (ई) के अनुसार, यह पट्टाधारक, एजेंट, प्रबंधक या खनन अभियंता की जिम्मेदारी है कि खनन योजना में उल्लिखित सुरक्षा उपाय जिसमें सुधार और पुनर्वास कार्य शामिल हैं, खनन योजना के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि 12 जि0खा0का0 में पत्थर की कोई बन्द खान नहीं थी और चार जि0खा0का0[108] में खनन क्षेत्रों में सुधार और पुनर्वास कार्य किए बिना 74 पट्टे बन्द कर दिए गए थे। पट्टाधारकों ने सुरक्षात्मक, सुधार, पुनर्वास उपायों के निष्पादन के उद्देश्य से न तो खदान बन्द करने की अनुमोदित योजना प्रस्तुत की और न ही वित्तीय आश्वासन जमा किया। सम्बन्धित जि0खा0का0 उन खनन क्षेत्रों की सूची उपलब्ध नहीं करा सके जहाँ पुनर्वास कार्य किया गया और न ही इससे सम्बन्धित किये गये कार्यों की सूची उपलब्ध करायी गयी। जि0खा0का0 द्वारा खनन क्षेत्र के प्रभावित व्यक्तियों की सूची एवं उस पर किये गये व्यय की सूची भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह आकलन नहीं कर सका कि क्या खनन भूमि की भौतिक स्थिति में सुधार हुआ था, खनन क्षेत्र में एकत्र अधिभार और कचरे का निस्तारण किया गया था और कृषि या वानिकी द्वारा पुनर्वनस्पतिकरण का उपयोग किया गया था। सम्बन्धित जि0खा0का0 ने बन्द खदान क्षेत्र में सुधार एवं पुनर्वास कार्य की निगरानी नहीं की। इसलिए, खनन क्षेत्रों की भराई, जल गुणवत्ता प्रबन्धन गतिविधियाँ, खनन क्षेत्रों पर वनीकरण, वनस्पतियों और जीवों की बहाली और शीर्ष मिट्टी प्रबन्धन गतिविधियाँ सुनिश्चित नहीं की जा सकीं। इसलिए, खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पर्यावरणीय क्षरण के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ा।

समापन गोष्ठी में शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

[108] चित्रकूट, महोबा, प्रयागराज और सोनभद्र।

5.19 पट्टाधारकों द्वारा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व/कार्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व/पर्यावरण प्रबन्धन योजना से सम्बन्धित कार्यों की निगरानी न किया जाना

एसएसएमएमजी, 2016 के अनुसार पर्यावरण मंजूरी (प0म0) के बिना किसी भी खनन की अनुमति नहीं है। प0म0 की प्रक्रिया में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (प0प्र0मू0)/पर्यावरण प्रबन्धन योजना (प0प्र0यो0) और खनन योजना तैयार करना शामिल है। खनन क्षेत्रों के निवासियों को सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने के लिए पट्टाधारकों को प0म0 के नियमों और शर्तों के अधीन कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (का0सा0उ0)/कार्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (का0प0उ0) निधि से व्यय करना पड़ता है। का0सा0उ0/का0प0उ0 के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों में पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, सौर ऊर्जा सहित विद्युतीकरण आदि के लिए बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है। पट्टाधारकों को पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए प0प्र0यो0 जमा करना होगा जिसमें विनिर्माण गतिविधियों के लिए उपयोग किए गए संसाधनों का सतत् उपयोग शामिल है जिससे संसाधन उपभोग और व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रभावों का अनुकूलन सुनिश्चित होता है।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 में अभिलेखों की नमूना जाँच की और 11 जि0खा0का0[109] के 140 पट्टाधारकों के मामलों में देखा कि पट्टाधारकों को प0म0 जारी करते समय उक्त पहल को अपनाने के लिए खर्च की जाने वाली धनराशि का प्रावधान किया गया था। प0म0 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार पते और फोटो के साथ कार्य का विवरण निदेशालय के साथ–साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक था। हालाँकि, पट्टाधारकों की पट्टा पत्रावलियों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दर्शाता हो कि पट्टाधारकों ने पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, सौर ऊर्जा सहित विद्युतीकरण आदि से सम्बन्धित कोई कार्य किया था जैसा कि पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अन्तर्गत आवश्यक था। अनुरोध के बावजूद, जि0खा0अ0 ने का0सा0उ0/का0प0उ0 से पट्टाधारकों द्वारा किए गए कार्यों और प0प्र0मू0 के अनुसार पट्टाधारकों द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की। इसके अभाव में, प0प्र0मू0 के उद्देश्यों की पूर्ति जैसे कि देशी वनस्पतियों और जीवों में न्यूनतम बाधा, हवा, पानी, मिट्टी और शोर की गुणवत्ता के मानदण्डों का अनुपालन, यथासंभव जल का संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की संभावना को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

समापन गोष्ठी में शासन ने कहा कि विभाग इन सभी चीजों में पर्याप्त कार्यवाही करेगा।

5.20 निष्कर्ष

यह देखा गया कि पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती न होने से अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी और नियन्त्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विभागीय सुरक्षा बल एवं विभागीय सचल दल का गठन नहीं किया जा सका और खनन क्षेत्रों का निरीक्षण मानकों के अनुसार नहीं किया जा सका। पट्टे की अवधि के दौरान पट्टाधारकों द्वारा त्रैमासिक विवरणी और पर्यावरण विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे आंतरिक नियन्त्रण और भी अप्रभावी हो गया। उ0प्र0प्र0नि0बो0 एवं विभाग, प्रपत्र–V में पर्यावरण विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित नहीं कर सके। जिला खनिज फ़ाउन्डेशन ट्रस्ट के गठन में देरी के कारण खनन क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में देरी हुई। डीजीएम और सम्बन्धित ट्रस्टियों ने ट्रस्ट के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए प्रयास नहीं किए। जि0ख0फ़ा0ट्र0 के ट्रस्टियों ने जि0ख0फ़ा0ट्र0 नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं

---

[109] बांदा, चित्रकूट, फ़तेहपुर, जी.बी. नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, प्रयागराज, सहारनपुर, सिद्धार्थ नगर और सोनभद्र।

किया और ऐसे कार्यों पर खर्च किया जो नियमावली में निर्दिष्ट क्षेत्रों से सम्बन्धित नहीं थे।

वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों में पट्टाधारकों द्वारा किये गये अपेक्षित वृक्षारोपण की निगरानी विभाग द्वारा नहीं की गयी। बन्द खदानों में पट्टाधारकों द्वारा सुधार एवं पुनर्वास कार्य की भी निगरानी विभाग द्वारा नहीं की गयी। इन कार्यों की निगरानी न किये जाने से खनन क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के क्षरण का जोखिम था।

लखनऊ
दिनाँक 06 फरवरी 2025

(तान्या सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनाँक 14 FEB 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट–I

शासकीय खाते में शासकीय राजस्व विलम्ब से जमा होना

(*सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.5*)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	प्रकरणों की संख्या	एल ओ आई की अवधि	डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की अवधि	विलम्ब की अवधि दिनों में	कोषागार में चालान जमा करने की अवधि	विलम्ब की अवधि दिनों में
1	बाँदा	20	24-03-2018 से 08-06-2019	14-05-2018 से 06-02-2020	25 से 338	19-05-2018 से 29-02-2020	29 से 361
2	चित्रकूट	7	12-02-2019 से 26-08-2020	13-03-2019 से 19-09-2020	18 से 40	21-03-2019 से 29-09-2020	23 से 62
3	फतेहपुर	5	04-05-2018 से 31-08-2020	16-07-2018 से 19-09-2020	12 से 108	03-08-2018 से 25-09-2020	20 से 118
4	जी. बी. नगर	4	04-12-2017 से 19-11-2019	22-01-2018 से 12-12-2019	21 से 49	15-03-2018 से 17-12-2019	28 से 101
5	हमीरपुर	14	26-02-2018 से 25-09-2018	16-03-2018 से 29-10-2018	18 से 121	21-03-2018 से 06-11-2018	23 से 140
6	कानपुर देहात	6	18-01-2018 से 06-06-2019	15-03-2018 से 24-07-2019	20 से 56	19-03-2018 से 27-08-2019	42 से 82
7	कौशाम्बी	4	26-11-2018 से 25-06-2020	19-01-2019 से 22-07-2020	27 से 390	05-02-2019 से 31-07-2020	36 से 392
8	महोबा	17	09-04-2018 से 25-02-2019	03-07-2018 से 30-05-2019	25 से 196	09-07-2018 से 27-06-2019	31 से 213
9	प्रयागराज	4	27-07-2018 से 27-07-2018	23-08-2018 से 24-09-2019	27 से 424	31-08-2018 से 11-10-2019	35 से 441
10	सोनभद्र	3	20-08-2018 से 08-01-2021	29-10-2018 से 21-01-2021	13 से 70	16-11-2018 से 27-01-2021	19 से 88
योग		**84**	**04-12-2017** से **08-01-2021**	**22-01-2018** से **21-01-2021**	**12 से 424**	**15-03-2018** से **27-01-2021**	**19** से **441**

परिशिष्ट–II

पट्टा विलेख के निष्पादन में विलम्ब पर प्रतिभूति राशि और रायल्टी की पहली किश्त का जब्त न किया जाना।

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या –2.6)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	प्रकरणों की संख्या	पट्टा विलेख निष्पादन तिथियों का परास	पर्यावरण प्रमाणपत्र स्वीकृत तिथियों का परास	पट्टा विलेख के निष्पादन में देरी की सीमा (दिनों में)	प्रतिभूति जमा की धनराशि	रायल्टी के प्रथम किश्त की धनराशि	योग
1	चित्रकूट	1	11-05-2020	16-01-2020	116	11,75,029	11,75,029	23,50,058
2	फतेहपुर	3	23-01-2020 से 02-11-2020	05-12-2019 से 04-09-2020	45 से 162	7,77,07,725	7,77,07,725	15,54,15,450
3	जी. बी. नगर	1	11-02-2021	10-09-2020	154	74,18,486	74,18,486	1,48,36,972
4	हमीरपुर	9	19-11-2019 से 13-04-2022	31-01-2019 से 04-01-2022	37 से 575	22,98,17,331	22,61,00996	45,59,18,327
5	महोबा	14	01-06-2019 से 20-05-2021	18-07-2018 से 03-09-2020	104 से 1,037	2,82,09,132	2,82,09,132	5,64,18,264
6	प्रयागराज	8	07-01-2020 से 07-12-2022	15-11-2018 से 16-09-2022	82 से 708	1,86,55,947	1,68,39,948	3,54,95,895
7	सहारनपुर	3	04-10-2019 से 03-01-2022	21-06-2019 से 17-09-2021	98 से 148	7,96,51,804	7,32,89,860	15,29,41,664
8	शामली	1	01-01-2022	17-03-2021	290	51,86,700	51,86,700	1,03,73,400
9	सोनभद्र	3	12-02-2020 से 06-11-2020	23-10-2018 से 09-01-2020	34 से 745	8,19,98,141	8,19,98,141	16,39,96,282
योग		**43**	**01-06-2019** से **07-12-2022**	**18-07-2018** से **16-09-2022**	**34** से **1,037**	**52,98,20,295**	**51,79,26,017**	**1,04,77,46,312**

परिशिष्ट–III

खनन पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 2.7)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	प्रकरणों की संख्या	पट्टा अवधि में वसूली योग्य कुल रायल्टी	पट्टा अवधि में वसूली योग्य कुल डीएमएफ	रायल्टी की कुल धनराशि एवं डी एम एफ का योगदान	व्यक्तिगत मामलों को अगले हजार रुपये में पूर्णांकित करने के बाद रायल्टी और डीएमएफ अंशदान की कुल धनराशि	उद्ग्रहणीय स्टाम्प शुल्क (@ 2 प्रतिशत /4 प्रतिशत)	आरोपणीय निबंधन फीस	भुगतानित स्टाम्प शुल्क	भुगतानित निबंधन फ़ीस	स्टाम्प शुल्क का अन्तर	निबंधन फ़ीस का अन्तर	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (स्तं0 4*10%, व्यक्तिगत मामलों को पूर्णांकित किया गया)	(6) (स्तं0 4 और स्तं0 5 का योग)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) (स्तं0 8– स्तं0 10)	(13) (स्तं0 9– स्तं0 11)	(14) (स्तं0 12 और 13 का योग)
1	बागपत	3	2,19,70,01,059	21,97,00,107	2,41,67,01,166	2,41,67,02,000	9,66,68,080	60,000	8,78,80,160	60,000	87,87,920	-	87,87,920
2	बाँदा	25	19,82,61,15,848	1,98,26,11,594	21,80,87,27,442	21,80,87,39,000	48,95,51,680	17,77,89,930	43,78,66,070	16,16,57,930	5,16,85,610	1,61,32,000	6,78,17,610
3	बुलंदशहर	2	87,45,69,000	8,74,56,900	96,20,25,900	96,20,27,000	1,92,40,540	43,38,970	1,74,90,720	39,46,330	17,49,820	3,92,640	21,42,460
4	चित्रकूट	12	2,93,84,61,704	29,38,46,173	3,23,23,07,877	3,23,23,12,000	6,46,46,240	3,08,47,750	5,87,98,120	2,80,53,731	58,48,120	27,94,019	86,42,139
5	फतेहपुर	10	4,39,86,40,913	43,98,64,093	4,83,85,05,006	4,83,85,10,000	9,67,70,200	4,32,18,880	8,79,79,200	3,92,92,285	87,91,000	39,26,595	1,27,17,595
6	जी बी नगर	3	1,22,42,89,695	12,24,28,970	1,34,67,18,665	1,34,67,20,000	2,69,34,400	60,000	2,44,85,993	60,000	24,48,407	-	24,48,407
7	हमीरपुर	20	12,24,77,61,673	1,22,47,76,171	13,47,25,37,844	13,47,25,47,000	26,94,50,940	6,17,29,220	24,49,58,620	5,61,35,630	2,44,92,320	55,93,590	3,00,85,910
8	कानपुर देहात	9	3,53,17,44,202	35,31,74,425	3,88,49,18,627	3,88,49,24,000	7,76,98,480	2,38,68,740	7,06,35,238	2,17,07,160	70,63,242	21,61,580	92,24,822
9	कौशाम्बी	4	52,97,71,520	5,29,77,152	58,27,48,672	58,27,50,000	1,16,55,000	58,27,500	1,07,61,279	52,97,720	8,93,721	5,29,780	14,23,501
10	महोबा	40	6,43,53,84,680	64,35,38,476	7,07,89,23,156	7,07,89,39,000	14,15,78,780	6,08,84,310	12,87,32,039	5,53,75,120	1,28,46,741	55,09,190	1,83,55,931
11	प्रयागराज	20	1,83,91,54,574	18,39,15,458	2,02,30,70,032	2,02,30,79,000	4,20,73,360	1,94,31,130	3,82,52,172	1,76,66,650	38,21,188	17,64,480	55,85,668
12	सहारनपुर	9	3,52,02,30,372	35,20,23,042	3,87,22,53,414	3,87,22,58,000	7,74,45,160	2,59,11,020	7,04,05,054	1,95,23,450	70,40,106	63,87,570	1,34,27,676
13	संभल	1	41,28,26,862	4,12,82,687	45,41,09,549	45,41,10,000	90,82,200	20,000	82,58,140	20,000	8,24,060	-	8,24,060
14	शामली	6	1,09,86,43,705	10,98,64,372	1,20,85,08,077	1,20,85,12,000	2,41,70,240	1,04,95,770	2,19,77,040	95,44,420	21,93,200	9,51,350	31,44,550
15	सिद्धार्थनगर	4	34,64,35,427	3,46,43,545	38,10,78,972	38,10,81,000	76,21,620	23,98,280	69,29,200	21,82,080	6,92,420	2,16,200	9,08,620
16	सोनभद्र	5	3,90,66,70,961	39,06,67,097	4,29,73,38,058	4,29,73,41,000	17,18,93,640	2,21,72,620	14,98,39,430	2,01,58,800	2,20,54,210	20,13,820	2,40,68,030
	योग	**173**	**65,32,77,02,195**	**6,53,27,70,262**	**71,86,04,72,457**	**71,86,05,51,000**	**1,62,64,80,560**	**48,90,54,120**	**1,46,52,48,475**	**44,06,81,306**	**16,12,32,085**	**4,83,72,814**	**20,96,04,899**

परिशिष्ट–IV

पट्टा धारकों से वित्तीय आश्वासन नहीं लिया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 2.8)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	प्रकरणों की संख्या		पट्टा अवधि का परास	एल ओ आई तिथि का परास	क्षेत्रफल		वित्तीय आश्वासन की धनराशि
		बालू/मोरम	गिट्टी			हे0 में	एकड़ में	
1	बागपत	3	-	19-02-2018 से 20-02-2023	06-11-2017	38.12	94.15	14,12,250
2	बाँदा	4	-	13-12-2018 से 03-12-2025	22-05-2018 से 08-03-2019	85.00	209.95	31,49,250
3	फतेहपुर	2	-	05-01-2022 से 06-01-2027	04-03-2020 से 18-06-2020	30.00	74.10	11,11,500
4	जी बी नगर	6	-	16-02-2018 से 10-02-2026	20-11-2017 से 13-11-2019	182.62	450.95	67,64,250
5	हमीरपुर	4	-	04-12-2018 से 01-01-2025	22-03-2018 से 04-08-2018	109.31	269.99	40,49,850
6	कानपुर देहात	5	-	03-01-2019 से 02-01-2027	18-01-2018 से 23-05-2020	89.35	220.69	33,10,350
7	कौशाम्बी	2	-	14-02-2020 से 06-03-2025	26-11-2018 से 23-01-2019	25.00	61.75	9,26,250
8	महोबा	.	2	01-06-2019 से 06-11-2030	13-08-2018 से 25-02-2019	2.43	6.00	4,00,000
9	प्रयागराज	1	2	09-11-2020 से 22-05-2032	22-05-2020 से 30-01-2021	20.15	49.77	10,46,400
10	सहारनपुर	8	-	04-10-2019 से 02-01-2027	15-03-2018 से 05-06-2020	187.60	463.37	69,50,550
11	संभल	1	-	06-02-2020 से 05.02.2025	21-12-2017	49.00	121.03	18,15,450
12	शामली	6	-	16-01-2019 से 31-12-2027	10-04-2018 से 07-09-2019	106.10	262.07	39,31,050
13	सिद्धार्थनगर	3	-	13-12-2021 से 02-01-2027	17-08-2021 से 07-09-2021	13.21	32.63	6,92,350
14	सोनभद्र	4	1	23-03-2018 से 05-11-2030	06-01-2018 से 25-01-2019	47.73	117.89	18,67,000
योग		**49**	**5**	**16-02-2018 से 22-05-2032**	**06-11-2017 से 07-09-2021**	**972.60**	**2,434.34**	**3,74,26,500**

परिशिष्ट–V

रायल्टी की वसूली न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.2.1)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	प्रकरणों की संख्या	देय रायल्टी की अवधि	देय रायल्टी	जमा रायल्टी	अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (स्तं0 5– स्तं0 6)
1	फतेहपुर	3	01/2022 से 03/2022	9,49,33,748	1,10,00,000	8,39,33,748
2	हमीरपुर	1	05/2020 से 03/2022	19,77,47,073	203,24,064	17,74,23,009
3	प्रयागराज	4	01/2019 से 03/2022	12,51,83,056	1,30,00,000	11,21,83,056
4	सोनभद्र	2	01/2019 से 01/2022	13,25,90,946	3,00,00,000	10,25,90,946
योग		**10**	**01/2019 से 03/2022**	**55,04,54,823**	**7,43,24,064**	**47,61,30,759**

परिशिष्ट–VI

जि0ख0फा0ट्र0 में अंशदान संग्रह न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.2.2)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	प्रकरणों की संख्या	रायल्टी की अवधि	जमा रायल्टी	देय डी एम एफ़	जमा डी एम एफ़	अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (स्तं0 5*10%)	(7)	(8) (स्तं0 6– स्तं0 7)
1	चित्रकूट	4	05/2020 से 03/2022	9,58,42,389	95,84,252	0	95,84,252
2	फतेहपुर	1	01/2019 से 01/2020	19,80,04,020	1,98,00,402	0	1,98,00,402
3	हमीरपुर	7	07/2018 से 03/2022	61,40,83,553	6,14,08,379	0	6,14,08,379
4	प्रयागराज	3	04/2017 से 03/2022	18,47,39,683	18,47,39,69	0	18,47,39,69
5	सोनभद्र	5	01/2019 से 03/2022	27,85,37,822	2,78,53,783	0	2,78,53,783
	योग	**20**	**04/2017 से 03/2022**	**1,37,12,07,467**	**13,71,20,785**	**0**	**13,71,20,785**

परिशिष्ट– VII

ईंट भट्ठा मालिकों से परमिट आवेदन शुल्क, रायल्टी, और पलोथन की वसूली न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.3.1)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	भट्ठों की संख्या	आवेदन शुल्क	रायल्टी	पलोथन	डी एम एफ	योग
(1)	(2)	(3)	(4) (स्तं0 3*₹2000)	(5)	(6) (स्तं0 5*10%)	(7) (स्तं0 5*10%)	(8) (स्तं0 4,5,6 और 7 का योग)
1	हमीरपुर	4	8,000	3,67,200	36,720	36,720	4,48,640
2	कानपुर देहात	21	42,000	32,85,900	3,28,590	3,28,590	39,85,080
3	सहारनपुर	6	12,000	9,07,200	90,720	90,720	11,00,640
योग		**31**	**62,000**	**45,60,300**	**4,56,030**	**4,56,030**	**55,34,360**

परिशिष्ट– VIII

ईंट भट्ठा मालिकों से पलोथन की वसूली न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.3.2)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	भट्ठों की संख्या	अवधि	जमा आवेदन शुल्क	जमा रायल्टी	देय पलोथन	जमा पलोथन	अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (स्तं0 5*10%)	(8)	(8) (स्तं0 7– स्तं0 8)
1	फतेहपुर	54	2018-19 से 2019-20	1,08,000	63,07,200	6,30,720	0	6,30,720
2	जी बी नगर	5	2017-18	10,000	7,69,500	76,950	0	76,950
3	जे पी नगर	15	2017-18 से 2019-20	30,000	23,67,900	2,36,790	0	2,36,790
4	हमीरपुर	2	2018-19 से 2019-20	4,000	2,21,400	22,140	0	22,140
5	सहारनपुर	52	2018-19 से 2019-20	1,04,000	86,13,000	8,61,300	0	8,61,300
6	शामली	11	2019-20	22,000	22,27,500	2,22,750	0	2,22,750
7	सिद्धार्थनगर	36	2018-19 से 2019-20	72,000	30,56,400	3,05,640	0	3,05,640
योग		**175**	**2017-18 से 2019-20**	**3,50,000**	**2,35,62,900**	**23,56,290**	**0**	**23,56,290**

परिशिष्ट–IX

ईंट भट्ठा मालिकों से जि0ख0फा0ट्र0 में अंशदान की वसूली न किया जाना

(*सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.3.3*)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	भट्ठों की संख्या	जमा आवेदन शुल्क	जमा रायल्टी	जमा डी एम एफ़	देय डी एम एफ़	अन्तर
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7) (स्तं0 5*10%)**	**(8) (स्तं0 7– स्तं0 6)**
1	फतेहपुर	45	90,000	50,78,700	-	5,07,870	5,07,870
2	जी बी नगर	17	34,000	25,24,500	-	2,52,450	2,52,450
3	हमीरपुर	6	12,000	5,77,800	-	57,780	57,780
4	जे पी नगर	42	84,000	62,69,400	-	6,26,940	6,26,940
5	कानपुर देहात	67	1,34,000	1,03,76,100	-	10,37,610	10,37,610
6	कौशाम्बी	60	1,20,000	73,76,400	-	7,37,640	7,37,640
7	प्रयागराज	96	1,92,000	1,06,48,800	-	10,64,880	10,64,880
8	सहारनपुर	64	1,24,000	97,20,000	-	9,72,000	9,72,000
9	संभल	101	2,02,000	1,52,25,300	-	15,22,530	15,22,530
10	सिद्धार्थनगर	43	86,000	36,20,700	-	3,62,070	3,62,070
योग		**541**	**10,78,000**	**7,14,17,700**	**-**	**71,41,770**	**71,41,770**

परिशिष्ट–X

ईंट भट्ठा मालिकों से विनियमन शुल्क, परमिट आवेदन शुल्क, और पलोथन की वसूली न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.3.4)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	भट्ठों की संख्या	भट्ठा वर्ष	आवेदन शुल्क	विनियमन शुल्क	पलोथन	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (स्तं0 3*₹2000)	(6)	(7) (स्तं0 6*10%)	(8) (स्तं0 5,6 और 7 का योग)
1	जी बी नगर	31	2019-20 से 2021-22	62,000	57,59,100	5,75,910	63,97,010
2	हमीरपुर	10	2018-19 से 2021-22	20,000	9,88,200	98,820	11,07,020
3	जे पी नगर	30	2020-21	60,000	44,33,400	4,43,340	49,36,740
4	कानपुर देहात	58	2018-19 से 2021-22	1,16,000	90,07,200	9,00,720	1,00,23,920
5	कौशाम्बी	18	2021-22	36,000	22,78,800	2,27,880	25,42,680
6	प्रयागराज	76	2020-21	1,52,000	84,72,600	8,47,260	94,71,860
7	सहारनपुर	123	2018-19 से 2021-22	2,46,000	2,15,81,100	21,58,110	2,39,85,210
8	संभल	46	2021-22	92,000	73,49,400	7,34,940	81,76,340
9	शामली	26	2021-22	52,000	51,24,600	5,12,460	56,89,060
10	सिद्धार्थनगर	57	2020-21 से 2021-22	1,14,000	49,05,900	4,90,590	55,10,490
11	सोनभद्र	2	2021-22	4,000	1,83,600	18,360	2,05,960
योग		**477**	**2018-19 से 2021-22**	**9,54,000**	**7,00,83,900**	**70,08,390**	**7,80,46,290**

परिशिष्ट–XI

वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनिज प्राप्तियों से एम एस टी सी सेवा शुल्क की कटौती

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3..4)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	सफल बोली दाताओं की संख्या	जी एस टी प्रभार सहित सेवा शुल्क
1	बागपत	5	1,77,000
2	बाँदा	25	8,85,000
3	बुलंदशहर	2	70,800
4	चित्रकूट	7	2,47,800
5	फतेहपुर	17	6,01,800
6	जी बी नगर	6	2,12,400
7	हमीरपुर	21	7,43,400
8	कानपुर देहात	9	3,18,600
9	कौशाम्बी	6	2,12,400
10	महोबा	43	15,22,200
11	प्रयागराज	20	7,08,000
12	सहारनपुर	8	2,83,200
13	संभल	1	35,400
14	शामली	6	2,12,400
15	सिद्धार्थनगर	7	2,47,800
16	सोनभद्र	17	6,01,800
योग		**200**	**70,80,000**

परिशिष्ट–XII

प्रतिभूति जमा लोक लेखे के बजाय समेकित निधि में जमा किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3..5)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	सफल बोली दाताओं की संख्या	प्रतिभूति जमा धनराशि जो राजस्व शीर्ष में जमा की गयी
1	बागपत	5	11,66,50,721
2	बाँदा	25	84,94,76,200
3	बुलंदशहर	2	3,58,13,032
4	चित्रकूट	7	9,13,70,840
5	फतेहपुर	17	30,62,71,964
6	जी बी नगर	6	7,10,90,245
7	हमीरपुर	21	55,70,48,599
8	कानपुर देहात	9	15,93,90,398
9	कौशाम्बी	6	3,41,63,350
10	महोबा	43	14,01,09,272
11	प्रयागराज	20	5,46,63,033
12	सहारनपुर	8	13,72,28,117
13	संभल	1	1,69,05,000
14	शामली	6	4,49,87,331
15	सिद्धार्थनगर	7	5,50,36,800
16	सोनभद्र	17	48,71,21,579
योग		**200**	**3,15,73,26,480**

परिशिष्ट–XIII

रायल्टी विलम्ब से जमा करने पर ब्याज कम/न आरोपित किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.7.1)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	प्रकरणों की संख्या	जमा धनराशि	अवधि जिसमें धनराशि का भुगतान देय था	देय धनराशि जमा की अवधि	दिनों में विलम्ब से	दिनों में विलम्ब तक	देय ब्याज	जमा ब्याज	अन्तर
1	बुलंदशहर	1	10,26,21,794	04/2019 से 04/2020	04/2019 से 11/2020	7	215	42,58,603		42,58,603
2	चित्रकूट	1	22,43,34,243	04/2019 से 01/2021	05/2019 से 01/2021	10	106	60,31,382		60,31,382
3	फतेहपुर	7	39,13,73,088	04/2019 से 06/2020	06/2019 से 06/2020	13	383	2,71,85,022		2,71,85,022
4	हमीरपुर	5	27,92,24,004	07/2018 से 12/2021	09/2018 से 03/2022	7	227	1,22,51,164		1,22,51,164
5	कौशाम्बी	1	3,71,06,250	04/2019 से 07/2019	06/2019 से 02/2020	67	332	39,04,222	3,750	39,00,472
6	महोबा	13	8,73,22,650	04/2019 से 03/2022	04/2019 से 03/2022	6	308	37,92,868		37,92,868
7	प्रयागराज	5	13,21,90,536	04/2018 से 03/2022	05/2018 से 04/2022	41	409	1,40,20,423		1,40,20,423
8	सोनभद्र	2	2,11,14,958	04/2019 से 03/2022	11/2019 से 06/2022	101	452	23,35,110	5,32,286	18,02,824
योग		**35**	**1,27,52,87,523**	**04/2018 से 03/2022**	**05/2018 से 06/2022**	**6**	**452**	**7,37,78,794**	**5,36,036**	**7,32,42,758**

परिशिष्ट–XIV

रायल्टी/विनियमन शुल्क विलम्ब से जमा करने पर ब्याज कम/न आरोपण किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.7.2)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	प्रकरणों की संख्या	अवधि	जमा रायल्टी/विनियमन शुल्क/पलोथन	विलम्ब दिनों में से	विलम्ब दिनों में तक	देय ब्याज	जमा ब्याज	अन्तर
1	फतेहपुर	18	2017-18 से 2018-19	21,66,210	185	492	3,46,510		3,46,510
2	जी बी नगर	15	2017-18 से 2019-20	29,86,200	193	458	4,96,291	1,94,888	3,01,403
3	जे पी नगर	17	2017-18	27,88,830	228	512	4,26,975	2,16,309	2,10,666
4	कानपुर देहात	12	2017-18 से 2019-20	20,48,220	202	1,541	4,97,173	83,693	4,13,480
5	कौशाम्बी	2	2020-21	2,79,180	571	674	86,610	45,758	40,852
6	प्रयागराज	30	2017-18 एवं 2020-21	36,47,160	345	1,854	15,49,129	1,04,181	14,44,948
7	सहारनपुर	24	2017-18 से 2019-20	40,32,180	184	1,004	7,58,889	88,007	6,70,882
8	संभल	33	2017-18 से 2019-20	51,94,260	200	523	9,80,848		9,80,848
9	सिद्धार्थनगर	20	2017-18 से 2021-22	19,17,540	192	843	4,59,254	1,64,296	2,94,958
	योग	**171**	**2017-18 से 2021-22**	**2,50,59,780**	**184**	**1,854**	**56,01,679**	**8,97,132**	**47,04,547**

परिशिष्ट–XV

खनन योजना विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर शास्ति आरोपित न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.8)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	प्रकरणों की संख्या	खनन योजना प्रस्तुत करने में विलम्ब (दिनों में)	आरोपणीय शास्ति
1	चित्रकूट	4	44 से 204	35,10,000
2	जी बी नगर	2	152 से 230	2,00,000
3	हमीरपुर	4	4 से 123	3,20,000
4	महोबा	12	6 से 273	64,20,000
5	सहारनपुर	3	7 से 29	3,90,000
योग		**25**	**4 से 273**	**1,08,40,000**

परिशिष्ट–XVI

खनन योजना के बिना खनिजों का उत्खनन करने वाले पट्टाधारकों पर शास्ति आरोपित न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.9)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	प्रकरणों की संख्या	खनिज का नाम	पट्टा अवधि	पूर्व खनन योजना की वैधता	खनन योजना के नवीनीकरण की तिथि	ख0यो0 नवीनीकरण के बिना उत्खनन की अवधि	ख0यो0 नवीनीकरण के बिना उत्खनन (घ0मी0में)	वसूल की गयी रायल्टी की धनराशि	वसूली योग्य खनिज मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) (स्तं0 10*5)
1	चित्रकूट	7	गिट्टी ग्रेनाईट	01-05-2012 से 30-04-2022	23-10-2015 से 22-10-2020	नवीनीकृत नहीं	23-10-2020 से 31-03-2022	1,15,083	1,84,13,280	9,20,66,400
			गिट्टी ग्रेनाईट	04-04-2012 से 03-04-2022	22-06-2012 से 21-06-2015	नवीनीकृत नहीं	01-04-2017 से 31-03-2022	54,470	87,15,200	4,35,76,000
			गिट्टी ग्रेनाईट	11-04-2012 से 10-04-2022	22-12-2014 से 21-12-2019	29-12-2021	22-12-2019 से 28-12-2021	1,10,912	1,77,45,920	8,87,29,600
			गिट्टी ग्रेनाईट	24-12-2011 से 23-12-2021	25-01-2016 से 24-01-2021	नवीनीकृत नहीं	25-01-2021 से 23-12-2021	93,197	1,49,11,520	7,45,57,600
			गिट्टी सैंडस्टोन	10-05-2011 से 09-05-2021	31-05-2012 से 30-05-2015	नवीनीकृत नहीं	01-04-2017 से 09-05-2021	1,25,845	1,38,42,950	6,92,14,750
			गिट्टी सैंडस्टोन	10-05-2011 से 09-05-2021	16-02-2015 से 15-02-2020	नवीनीकृत नहीं	16-02-2020 से 09-05-2021	3,463	3,80,930	19,04,650
			सिलिका सैंड	06-04-2011 से 05-04-2031	14-05-2015 से 13-05-2020	02-03-2022	14-05-2020 से 01-03-2022	92,600	1,57,42,000	7,87,10,000
2	प्रयागराज	4	सैंडस्टोन	21-09-2016 से 20-09-2026	25-07-2016 से 24-07-2021	नवीनीकृत नहीं	25-07-2021 से 31-03-2022	66,472	73,11,920	3,65,59,600
			सिलिका सैंड	10-05-2011 से 09-05-2031	28-05-2015 से 27-05-2020	14-06-2021	28-05-2020 से` 10-06-2021	61,807	1,05,07,190	5,25,35,950
			सिलिका सैंड	25-05-2013 से 24-05-2033	खनन योजना नहीं	10-06-2021	01-04-2017 से 09-06-2021	31,093	52,85,810	2,64,29,050
			सिलिका सैंड	26-11-2011 से 25-11-2031	13-05-2016 से 12-05-2021	08-01-2022	13-05-2021 से 07-01-2022	3,976	6,75,920	33,79,600
3	सोनभद्र	3	गिट्टी ग्रेनाईट	31-05-2016 से 30-05-2026	22-09-2015 से 21-09-2020	17-06-2021	22-09-2020 से 16-06-2021	26,523	42,43,680	2,12,18,400
			गिट्टी ग्रेनाईट	31-05-2016 से 30-05-2026	27-04-2016 से 26-04-2021	29-10-2021	27-04-2021 से 28-10-2021	43,930	70,28,800	3,51,44,000
			सैंडस्टोन	01-06-2016 से 31-05-2026	25-04-2016 से 24-04-2021	01-11-2021	25-04-2021 से 31-10-2021	9,072	9,97,920	49,89,600
योग		**14**					**01-04-2017 से 31-03-2022**	**8,38,443**	**12,58,03,040**	**62,90,15,200**

परिशिष्ट– XVII

ट्रान्जिट पास के विना निष्पादित कार्यों के लिए ठेकेदारों से खनिज मूल्य की वसूली न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.10.1)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	प्रकरणों की संख्या	रायल्टी की अवधि	जमा रायल्टी की धनराशि	देय खनिज मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (स्तं0 10*5)
1	बाँदा	29	2017-18	1,23,12,160	6,15,60,800
		19	2018-19	47,34,581	2,36,72,905
		4	2019-20	4,94,661	24,73,305
		2	2020-21	39,95,433	1,99,77,165
		4	2021-22	25,31,760	1,26,58,800
2	जी बी नगर	1	2018-19	33,894	1,69,470
		2	2019-20	1,01,977	5,09,885
		6	2021-22	2,90,405	14,52,025
3	प्रयागराज	8	2018-19	49,09,518	2,45,47,590
		2	2019-20	4,54,092	22,70,460
4	सहारनपुर	10	2017-18	8,45,758	42,28,790
		9	2018-19	12,13,345	60,66,725
		14	2019-20	26,82,208	1,34,11,040
		10	2020-21	50,33,200	2,51,66,000
		20	2021-22	43,03,342	2,15,16,710
5	सिद्धार्थनगर	1	2017-18	43,440	2,17,200
		11	2018-19	4,57,902	22,89,510
		2	2020-21	1,05,160	5,25,800
		2	2021-22	2,53,333	12,66,665
योग		**156**	**2017-18 से 2021-22**	**4,47,96,169**	**22,39,80,845**

शास्ति = 156*25000=39,00,000

परिशिष्ट– XVIII

भुगतान की गयी रायल्टी के साक्ष्य के रूप में एमएम–11 प्रपत्र को कई बार प्रस्तुत किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.10.2.1 प्रथम बिन्दु)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जनपद का नाम	एकाधिक प्रस्तुतीकरण के प्रकरणों की संख्या	आपत्तिगत प्रकरणों की संख्या	मात्रा (घन मी0 में)	देय रायल्टी	देय खनिज मूल्य	आरोपणीय शास्ति	कुल देय धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (स्तं0 6*5)	(8) (स्तं0 4*₹25000)	(9) (स्तं0 6,7 और 8 का योग)
1	फतेहपुर	36	21	406.28	25,765	1,28,825	5,25,000	6,79,590
2	कौशाम्बी	99	50	1,456.00	86,010	4,30,050	12,50,000	17,66,060
3	सिद्धार्थनगर	32	29	602.00	60,280	3,01,400	7,25,000	10,86,680
योग		**167**	**100**	**2,464.28**	**1,72,055**	**8,60,275**	**25,00,000**	**35,32,330**

परिशिष्ट– XIX

भुगतान की गयी रायल्टी के साक्ष्य के रूप में एमएम–11 प्रपत्र की नकली/छायाप्रति/चेक पोस्ट प्रति प्रस्तुत करना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.10.2.1 द्वितीय बिन्दु)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जनपद का नाम	प्रकरणों की संख्या	मात्रा घन मी0 में	देय रायल्टी	देय खनिज मूल्य	आरोपणीय शास्ति	कुल देय धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (स्तं0 5*5)	(7) (स्तं0 3*₹25000)	(8) (स्तं0 5,6 और 7 का योग)
1	बाँदा	24	259	41,440	2,07,200	6,00,000	8,48,640
2	फतेहपुर	17	251	30,260	1,51,300	4,25,000	6,06,560
3	हमीरपुर	29	522	83,520	4,17,600	7,25,000	12,26,120
4	कौशाम्बी	15	255	34,570	1,72,850	3,75,000	5,82,420
5	प्रयागराज	1	22	2,420	12,100	25,000	39,520
6	सिद्धार्थनगर	159	2,836	3,13,760	15,68,800	39,75,000	58,57,560
योग		**245**	**4,145**	**5,05,970**	**25,29,850**	**61,25,000**	**91,60,820**

परिशिष्ट– XX

एम एम–11 प्रपत्र अन्य गंतव्यों के लिए प्रयोग किये गये

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.10.2.2)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जनपद का नाम	प्रकरणों की संख्या	मात्रा घन मी0 में	देय रायल्टी	देय खनिज मूल्य	आरोपणीय शास्ति	कुल देय धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (स्तं0 5*5)	(7) (स्तं0 3*₹25000)	(8) (स्तं0 5,6 और 7 का योग)
1	बागपत	21	269.41	29,424	1,47,120	5,25,000	7,01,544
2	बाँदा	226	3,537.16	5,51,288	27,56,440	56,50,000	89,57,728
3	बुलंदशहर	12	216.64	20,956	1,04,780	3,00,000	4,25,736
4	फतेहपुर	47	725.00	1,16,000	5,80,000	11,75,000	18,71,000
5	हमीरपुर	290	4,448.00	7,11,680	35,58,400	72,50,000	1,15,20,080
6	जे पी नगर	81	869.77	81,413	4,07,065	20,25,000	25,13,478
7	कानपुर देहात	70	1,345.57	1,77,643	8,88,215	17,50,000	28,15,858
8	कौशाम्बी	141	1,485.00	1,97,300	9,86,500	35,25,000	47,08,800
9	मुज़फ्फर नगर	37	602.49	59,392	2,96,960	9,25,000	12,81,352
10	सिद्धार्थनगर	16	320.46	36,891	1,84,455	4,00,000	6,21,346
योग		**941**	**13,819.50**	**19,81,987**	**99,09,935**	**2,35,25,000**	**3,54,16,922**

परिशिष्ट– XXI

एम एम–11 प्रपत्र की तिथियां कार्य देने से पहले की थीं

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.10.2.3)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जनपद का नाम	प्रकरणों की संख्या	मात्रा घन मी0 में	देय रायल्टी	देय खनिज मूल्य	आरोपणीय शास्ति	कुल देय धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (स्तं0 5*5)	(7) (स्तं0 3*₹25000)	(8) (स्तं0 5,6 और 7 का योग)
1	बागपत	27	371.76	39,194	1,95,970	6,75,000	9,10,164
2	जे पी नगर	18	205.24	22,693	1,13,465	4,50,000	5,86,158
3	कौशाम्बी	70	893.00	1,23,330	6,16,650	17,50,000	24,89,980
4	प्रयागराज	165	2,196.00	2,57,560	12,87,800	41,25,000	56,70,360
5	सिद्धार्थनगर	4	64.00	7,040	35,200	1,00,000	1,42,240
योग		**284**	**3,730**	**4,49,817**	**22,49,085**	**71,00,000**	**97,98,902**

परिशिष्ट– XXII

एम एम–11 प्रपत्रों की तिथियां कार्य पूर्ण होने की तिथियों के बाद की थीं

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.10.2.4)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जनपद का नाम	प्रकरणों की संख्या	मात्रा घन मी0 में	देय रायल्टी	देय खनिज मूल्य	आरोपणीय शास्ति	कुल देय धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (स्तं0 5*5)	(7) (स्तं0 3*₹25000)	(8) (स्तं0 5,6 और 7 का योग)
1	कौशाम्बी	6	78.00	11,700	58,500	1,50,000	2,20,200
2	प्रयागराज	4	68.00	10,880	54,400	1,00,000	1,65,280
3	सिद्धार्थनगर	17	328.50	40,435	2,02,175	4,25,000	6,67,610
योग		**27**	**474.50**	**63,015**	**3,15,075**	**6,75,000**	**10,53,090**

परिशिष्ट– XXIII

ई–एम् एम–11 निर्गत करने में विसंगतियां

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.6.1)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की संख्या	उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के प्रकार का परास	सृजित किये गए ई–एम् एम् –11 की संख्या	परिवहित की गयी खनिज की मात्रा (घ0मी0में)
1.	बागपत	357	2 से 4	18,969	2,05,565
2.	बाँदा	7,005	2 से 6	4,12,825	57,78,007
3.	बुलंदशहर	189	2 से 4	12,842	1,24,209
4.	चित्रकूट	2,828	2 से 6	3,21,056	43,21,833
5.	फतेहपुर	2,084	2 से 6	1,25,586	14,94,361
6.	जी.बी.नगर	1,179	2 से 4	1,43,405	16,25,409
7.	हमीरपुर	9,286	2 से 7	7,22,515	1,17,91,259
8.	जे.पी.नगर	12	2 से 3	270	3,765
9.	कानपुर देहात	812	2 से 5	30,853	4,59,472
10.	कौशाम्बी	2,121	2 से 6	2,81,182	28,91,465
11.	महोबा	6,856	2 से 6	7,29,904	1,02,44,146
12.	प्रयागराज	8,110	2 से 9	8,13,877	1,45,59,504
13.	सहारनपुर	1,965	2 से 7	2,33,885	32,68,595
14.	संभल	326	2 से 4	24,456	2,80,934
15.	शामली	759	2 से 7	69,494	10,35,624
16.	सिद्धार्थनगर	74	2 से 4	4,651	44,046
17.	सोनभद्र	2,446	2 से 5	1,21,992	14,96,687
योग		**46,409**	**2 से 9**	**40,67,762**	**5,96,24,881**

परिशिष्ट– XXIV

अनुमन्य समय के परे खनिजों का उत्खनन एवं परिवहन

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.6.2)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	कुल सृजित ई–एम एम–11 की संख्या	रात्रि के समय सृजित ई–एम एम–11 की संख्या	रात्रि के समय परिवहित खनिज का भार
1	बागपत	85,546	30,599	3,13,012
2	बाँदा	12,94,679	4,60,519	64,28,833
3	बुलंदशहर	38,721	11,989	1,10,772
4	चित्रकूट	8,22,008	2,38,971	31,67,378
5	फतेहपुर	4,07,665	1,65,827	16,96,562
6	जी.बी.नगर	2,42,241	76,415	8,39,538
7	हमीरपुर	16,98,455	6,72,577	1,05,06,101
8	जे.पी.नगर	4,077	1,184	11,056
9	कानपुर देहात	1,28,795	49,867	7,09,528
10	कौशाम्बी	7,64,129	2,60,723	25,78,406
11	महोबा	29,55,394	9,62,485	1,28,65,815
12	प्रयागराज	21,30,231	7,13,062	1,14,39,094
13	सहारनपुर	4,89,834	1,15,735	15,70,679
14	संभल	82,713	27,845	2,60,667
15	शामली	1,69,593	54,988	8,03,505
16	सिद्धार्थनगर	80,192	4,720	31,290
17	सोनभद्र	7,89,379	1,15,872	14,83,238
योग		**1,21,83,652**	**39,63,378**	**5,48,15,474**

परिशिष्ट– XXV

अनुमन्य मात्रा से अधिक खनिज का परिवहन

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.6.3)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	सृजित ई–एम एम–11 की संख्या	परिवहित खनिज का परास (घ0मी0 में)	अनुमन्य मात्रा का परास (घ0मी0 में)	परिवहित खनिज की मात्रा (घ0मी0 में)	अनुमन्य खनिज की मात्रा (घ0मी0 में)	अधिभार मात्रा (घ0मी0 में)
1	बागपत	13,313	3 से 30	2.25 से 23.0	1,13,503	86,522	26,981
2	बाँदा	4,55,868	3 से 90	2.16 से 23.0	48,43,235	41,54,720	6,88,515
3	बुलंदशहर	24,048	3 से 30	2.25 से 23.0	1,81,886	1,47,013	34,873
4	चित्रकूट	2,25,263	3 से 101	2.16 से 23.0	24,12,419	20,21,860	3,90,559
5	फतेहपुर	1,92,147	3 से 30	2.25 से 23.0	12,15,461	9,81,850	2,33,612
6	जी.बी.नगर	1,99,524	3 से 30	2.25 से 23.0	23,79,038	17,43,883	6,35,156
7	हमीरपुर	4,49,388	3 से 63	2.16 से 23.0	64,88,845	56,94,936	7,93,909
8	जे.पी.नगर	3,104	3 से 30	2.25 से 11.0	41,884	25,303	16,581
9	कानपुर देहात	14,772	3 से 30	2.25 से 23.0	1,71,988	1,38,368	33,620
10	कौशाम्बी	2,82,221	3 से 32	2.25 से 23.0	14,80,371	11,28,131	3,52,240
11	महोबा	2,20,882	3 से 400	2.16 से 23.0	30,08,651	26,20,671	3,87,980
12	प्रयागराज	6,96,081	3 से 410	1.87 से 23.0	1,09,72,317	81,95,744	27,76,573
13	सहारनपुर	88,761	3 से 30	2.25 से 23.0	11,21,974	8,57,757	2,64,217
14	संभल	46,704	3 से 30	2.25 से 23.0	3,57,268	2,46,268	1,11,000
15	शामली	45,821	3 से 30	2.25 से 23.0	4,73,501	3,67,650	1,05,851
16	सिद्धार्थनगर	73,045	3 से 20	2.25 से 18.0	2,46,489	1,89,722	56,767
17	सोनभद्र	51,732	3 से 110	2.16 से 23.0	6,80,847	5,96,185	84,662
योग		**30,82,674**	**3 से 410**	**1.87 से 23**	**3,61,89,677**	**2,91,96,581**	**69,93,096**

परिशिष्ट– XXVI

गन्तव्य की दूरी में हेर फेर (एक ही जनपद के भीतर)

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.6.5)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	दूरी का परास (कि0मी0 में)	सृजित ई–एम एम–11 की संख्या	परिवहित किये गए खनिज की मात्रा (घ0मी0 में)
1	बागपत	220 - 2,50,619	102	977
2	बाँदा	201 - 66,46,944	76,931	11,02,957
3	बुलंदशहर	201 - 20,30,011	80	943
4	चित्रकूट	201 - 2,22,145	5,443	74,989
5	फतेहपुर	201 - 35,48,424	6,081	73,891
6	जी.बी.नगर	201 - 1,02,01,306	11,214	1,15,215
7	हमीरपुर	202 - 56,44,654	49,404	7,39,561
8	जे.पी.नगर	202 - 2,44,221	2	35
9	कानपुर देहात	201 - 2,09,715	251	3,926
10	कौशाम्बी	202 - 21,54,887	26,067	2,86,398
11	महोबा	205 - 64,64,646	4,630	54,990
12	प्रयागराज	201 - 1,00,23,110	96,918	12,73,871
13	सहारनपुर	202 - 3,42,147	2,592	34,799
14	संभल	215 - 2,44,412	79	964
15	शामली	205 - 2,62,001	6,053	83,772
16	सिद्धार्थनगर	205 - 2,72,205	46	562
17	सोनभद्र	201 - 1,02,31,208	8,902	90,833
योग		**201 – 1,02,31,208**	**2,94,795**	**39,38,683**

गन्तव्य की दूरी में हेर फेर (अन्य जनपद के बीच)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	दूरी का परास (कि0मी0 में)	सृजित ई–एम एम–11 की संख्या	परिवहित किये गए खनिज की मात्रा (घ0मी0 में)
1	बागपत	1,230 - 56,64,878	22	217
2	बाँदा	1,210 - 50,02,207	959	13,654
3	बुलंदशहर	1,520 - 7,09,627	18	222
4	चित्रकूट	1,230 - 55,55,555	516	8,037
5	फतेहपुर	1,202 - 54,51,528	344	4,435
6	जी.बी.नगर	1,230 - 2,50,002	52	565
7	हमीरपुर	1,202 - 1,00,00,000	1,851	29,237
8	कानपुर देहात	1,300 - 6,99,588	103	1,346
9	कौशाम्बी	1,210 - 85,25,696	3,201	47,578
10	महोबा	1,220 - 80,02,356	1,791	23,488
11	प्रयागराज	1,205 - 64,02,611	1,955	32,897
12	सहारनपुर	1,203 - 3,50,183	75	1,096
13	संभल	1,202 - 45,65,645	28	413
14	शामली	1,230 - 25,47,001	66	1,031
15	सिद्धार्थनगर	1,798 - 2,205	4	37
16	सोनभद्र	1,210 - 55,02,274	648	8,553
योग		**1,202 – 1,00,00,000**	**11,633**	**1,72,806**

परिशिष्ट– XXVII

निषिद्ध माहों में खनिजों का उत्खनन/परिवहन

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.6.6)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	खनिज का नाम	पट्टेदार आई डी की संख्या	सृजित ई–एम एम–11 की संख्या	खनिज की मात्रा (घ0मी0 में)
1	बाँदा	मोरम	4	4	58
2	चित्रकूट	मोरम	3	4	57
3	फतेहपुर	मोरम	1	1	18
4	जी.बी.नगर	साधारण बालू	99	28,712	2,87,671
5	हमीरपुर	मोरम	18	241	5,860
6	कानपुर देहात	साधारण बालू	1	1	18
7	महोबा	मोरम	1	156	1,492
8	प्रयागराज	साधारण बालू	4	5	64
9	सहारनपुर	साधारण बालू	2	4	73
10	शामली	साधारण बालू	10	3,041	44,635
11	सोनभद्र	मोरम	1	1	11
योग			**144**	**32,170**	**3,39,957**

परिशिष्ट– XXVIII

वृक्षारोपण की निगरानी में विफलता

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 5.10)

क्रम सं0	जि0खा0का0 का नाम	प्रकरणों की संख्या	पट्टा अवधि		क्षेत्रफल (एकड़ में)	रोपे जाने वाले पौधों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6) (स्तं0 5*200)
1	बागपत	5	19-02-2018	17-06-2023	193	38,600
2	बाँदा	25	01-12-2018	17-12-1930	947	1,89,400
3	बुलंदशहर	1	28-11-2020	27-11-2025	25	5,000
4	चित्रकूट	12	06-11-2018	04-01-1937	496	99,200
5	फतेहपुर	10	23-01-2020	31-12-2026	783	1,56,600
6	जी.बी.नगर	5	25-04-2018	10-02-2026	410	82,000
7	हमीरपुर	20	04-12-2018	19-12-2031	1,209	2,41,800
8	कानपुर देहात	9	06-12-2018	02-01-2027	399	79,800
9	कौशाम्बी	4	14-02-2020	31-12-2026	116	23,200
10	महोबा	43	08-01-2019	05-01-2020	264	52,800
11	प्रयागराज	20	07-01-2020	05-01-2042	1,038	2,07,600
12	सहारनपुर	8	04-10-2019	02-01-2027	466	93,200
13	शामली	6	16-01-2019	31-12-2027	266	53,200
14	सिद्धार्थनगर	4	15-10-2018	02-01-2027	44	8,800
15	सोनभद्र	5	03-04-2018	03-01-2027	168	33,600
योग		**177**	**19-02-2018**	**05-01-2042**	**6,824**	**13,64,800**

परिशिष्ट– XXIX

वसूली प्रमाण पत्रों की निगरानी न करना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 5.11)

क्रम सं0	जनपद का नाम	निर्गत आर0सी0 की संख्या	आर0सी0 निर्गत की अवधि		आर0सी0 की धनराशि	वसूल की गयी धनराशि	अन्तर
			से	तक			
1	बाँदा	2	दिसम्बर -2019		15,28,54,650		15,28,54,650
2	फतेहपुर	13	अगस्त .2019	सितम्बर -2021	25,47,35,865		25,47,35,865
3	हमीरपुर	77	जनवरी -2018	जुलाई -2021	2,20,00,20,463		2,20,00,20,463
4	कानपुर देहात	4	जून -2019	जुलाई -2020	4,44,81,562		4,44,81,562
5	कौशाम्बी	18	मार्च -2019	मार्च - 2021	71,47,96,328		71,47,96,328
6	प्रयागराज	25	जुलाई -2019	दिसम्बर -2021	66,24,22,123	22,548	66,23,99,575
7	शामली	5	सितम्बर -2017	जनवरी -2019	75,08,600		75,08,600
8	सोनभद्र	11	अक्टूबर -2020	दिसम्बर -2021	6,16,68,732	1,16,45,000	5,00,23,732
	योग	**155**	सितम्बर **-2017**	दिसम्बर **-2021**	**4,09,84,88,323**	**1,16,67,548**	**4,08,68,20,775**

शब्द और संक्षेपण की शब्दावली	
एओआई	जाँच का क्षेत्र
सीसीटीवी	बन्द परिपथ टेलीविजन
का0प0उ0	कार्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व
का0सा0उ0	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीटीओ	संचालन के लिये सहमति
डीडीओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
डीजीएम	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म
जि0अ0	जिलाधिकारी / जिला अधिकारी
डी0एम0एफ0	जिला खनिज निधि
जि0ख0फा0	जिला खनिज फाउन्डेशन
जि0ख0फा0ट्र0	जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट
जि0खा0अ0	जिला खान अधिकारी
जि0खा0का0	जिला खान कार्यालय
खा0ख0वि0वि0 अधिनियम	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
प0म0	पर्यावरण मंजूरी
ईएमडी	बयाना धनराशि जमा
ईएसज़ेड	ईको सेन्सिटिव ज़ोन
प0प्र0यो0	पर्यावरण प्रबन्धन योजना
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
शा0	शासनादेश
जीओयूपी	उत्तर प्रदेश सरकार
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
आ०ले०प०शा०	आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा
आईबीएम	भारतीय खान ब्यूरो
भा0स्टा0 अधिनियम	भारतीय स्टाम्प अधिनियम
एल0ओ0आई0	आशय पत्र
एम आई	खान निरीक्षक
एमएनएनआईटी	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमएसएस	खनन निगरानी प्रणाली
एमएसटीसी	मेटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अन्तरण

शब्द और संक्षेपण की शब्दावली	
एन0आई0सी0	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
एन0ओ0सी0	अनापत्ति प्रमाण पत्र
ओटीएसएस	एकमुश्त समाधान योजना
पीटीजेड	पैन टिल्ट ज़ूम
आरएफआईडी	रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान
रा0प्र0नि0बो0	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
एस0एस0एम0एम0जी0	सतत बालू खनन प्रबन्ध निर्देश
उ0प्र0उ0ख0प0नि0	उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963
उ0प्र0प्र0नि0बो0	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आरटीजीएस	रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेन्ट

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएजी.जीओवी.इन